तृतीय माला, खण्ड १८—अंक ५५

मंगलवार, ३० अप्रैल, १९६३
१० वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १८ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या १०८७ से १०९०, १०९२ से १०९५ और १०९७ से १०९९ ५५२५—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०९१, ११०० से ११०८ . . ५५४७—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २४८१ से २५५१, २५५१-क और २५५१-ख ५५५१—८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ५५८०—८३

(१) भारत में निरुद्ध चीनियों के प्रति व्यवहार ।

(२) तृतीय योजनाकाल में खाद्य उत्पादन के लक्ष्यों में कथित कमी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५५८४—८५

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

कार्यवाही- सारांश . . . ५५८५

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही-सारांश . . . ५५८५—८६

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति

पहला प्रतिवेदन . ५५८६

तारांकित प्रश्न संख्या ९५० के उत्तर में शुद्धि . . . ५५८६—८७

प्राक्कलन समिति

सतीसवां प्रतिवेदन ५५८७

समिति के लिये निर्वाचन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड . . . ५५८७

सदस्य के निलम्बन के बारे में ५५८८

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६३—पुरःस्थापित तथा पारित . ५५८८—९०

अनिवार्य जमा योजना विधेयक--

खंड ६ से १२ और १ . . . ५५९०—५६०३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ५५९०

श्री मोरारजी देसाई . . . . . ५५९७—९९

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

मंगलवार, ३० अप्रैल, १९६३
१० वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयले के परिवहन के लिये विदेशी जहाज

+

†*१०८७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात स्थिति से पहले कलकत्ता से अन्य दक्षिण भारतीय पत्तनों तक कोयला ले जाने के लिये विदेशी जहाजों को भाड़े पर लिया जाता था;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे जहाजों को भाड़े पर लेना लाभप्रद था;

(ग) क्या भाड़ा भारतीय मुद्रा में दिया जाता था अथवा विदेशी मुद्रा में; और

(घ) क्या इन जहाजों को भाड़े पर लेना अब छोड़ दिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) मालिकों के लिए यह लाभप्रद था कि भाड़े के जहाजों से कोयला ले जाने के फेरे करें और इस से उपभोक्ताओं को कोई अन्तर नहीं पड़ता था क्योंकि उन्होंने सामान्य तटीय भाड़े का भुगतान किया और इस का उन्हें कोई अन्तर नहीं पड़ा कि कोयला अपने जहाजों से ढोया गया या भाड़े के जहाजों से ढोया गया ।

(ग) भाड़ा भारतीय जहाज मालिकों को दिया गया था जिन्होंने जहाज भाड़े पर लिये थे। यह भुगतान भारतीय मुद्रा में किया गया और उन्हें भाड़ा किराया का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा दी गई ।

(घ) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या भाड़ा दर प्राय: समान थी और तटीय नौकावहन द्वारा कोयला के परिवहन के लिए हमारे देश में परिवहन जहाजों की कमी है ?

†**श्री राज बहादुर** : कुछ अभाव था। हमें भाड़े पर जहाज लेने की अनुमति देनी पड़ी। अब इन्हें समाप्त कर दिया है। अब हमारे पास किराये का कोई जहाज नहीं है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार ने नौकावहन कम्पनियों के विदेशी मालिकों को भाड़े की दर के भुगतान की कोई शर्त रखी है, उस राशि का कैसे उपयोग करेंगे और क्या इस राशि का प्रयोग इस देश में होगा या इसे बाहर जाने दिया जाता है ?

†**श्री राज बहादुर** : वे विदेशी जहाज हैं। उन्हें भाड़ा-किराया दिया जाता है। वे भाड़ा-किराया बाहर ले जाते हैं। उस का यहां प्रयोग होने का प्रश्न ही नहीं है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : मंत्री महोदय ने कहा था कि विदेशी जहाजों को किराये पर लेना बन्द कर दिया गया है। क्या सूखा सामान ढोने वाले जहाज, जो हमारे पास हैं, पर्याप्त हैं और यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है ?

†**श्री राज बहादुर** : हमारे पास भारतीय नौवहन कम्पनियों के लगभग ४६ जहाज हैं।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या जहाजों से कोयला ले जाना अन्यथा रेलवे या अन्य गाड़ियों से ले जाने से मिला दिया गया है और यदि हां, तो क्या यह क्रिया जारी रहेगी और यदि हां, तो कब तक ?

†**श्री राज बहादुर** : परिवहन आवश्यकताओं को सुलभ बनाने के लिए अतिरिक्त दस लाख टन कोयला कलकत्ता से अन्य तटीय स्थानों पर ले जाने के लिए भारतीय तटीय नौवहन को नियत किया गया। यह हो रहा है और जाने वाला कोयला प्राय: जा चुका है। आशा है कि यह होता रहेगा क्योंकि यह लाभदायक सिद्ध हुआ है।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या यह सच है कि नौवहन नीति समिति की १९३५ की सिफारिशें, जो १०० प्रतिशत तटीय नौवहन हैं, भारतीय जहाजों से हो, सरकार ने स्वतंत्रता के बाद स्वीकार कर ली थीं और यदि हां तो इस के बाद हमारे तटीय नौवहन के रूप में कितना जी० आर० टी० टन भार बढ़ा दिया गया है, और हमारी वास्तविक आवश्यकता से कितना कम है।

†**श्री राज बहादुर** : यह बहुत लम्बा प्रश्न है। यदि अनुमति दी जाये तो मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

†**श्री कपूर सिंह** : वह प्रथम भाग का उत्तर दें।

†**श्री राज बहादुर** : यह सच है कि हम ने नौवहन नीति समिति की सिफारिशें स्वीकार की थीं। तटीय नौवहन राष्ट्रीय नौवहन कम्पनियों के लिए रक्षित रखा गया था। उस समय से हमने तटीय नौवहन बनाने का प्रयास किया है। यह अब ३,७५,००० टन से कुछ अधिक है। जहां तक कोयले की ढुलाई का सम्बन्ध है, अब हमारे पास २० लाख टन कोयला ढोने के लिए अपेक्षित संख्या में जहाज हैं।

†**श्री हे म बरुआ** : क्या यह सच है कि नगेन्द्र सिंह समिति ने, जो सरकार ने नियुक्त की थी, कोयले की ढुलाई के लिए १२ जहाजों की प्राप्ति का सुझाव दिया था और, यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उन्होंने इसे लागू करने के लिए कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : कार्यान्विति होगी । यह समिति विशेषकर पुराने जहाजों को बदलने के प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी । समिति की सिफारिशों के अनुसार अब यह सुझाव दिया गया है कि हमें १०,००० टन डी०डब्लू०टी० के जहाज़ लेने चाहियें जो कलकत्ता बन्दरगाह में भरे हुए आ सकें । अर्थात्, उनका ड्राफ्ट केवल २२ या २३ फीट होगा । इस अमुक सिफारिश की जांच की जा रही है । हम विजग और अन्य जहाज-निर्माण कारखानों से यह पता लगाने की कार्यवाही कर रहे हैं कि क्या वे इस जहाज को बना सकते हैं ?

सामुदायिक विकास

*१०८८. **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपातकाल की घोषणा के बाद सामुदायिक विकास के लिए आवंटित धनराशि में कटौती की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस कटौती का किन मदों पर असर पड़ेगा ; और

(ग) क्या इस कटौती से कृषि पर कोई बुरा असर पड़ने की संभावना है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) आपात-काल की घोषणा के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए निधि-नियतन में केन्द्रीय स्तर पर कोई कमी नहीं की गई । बल्कि कार्यक्रम में इस प्रकार परिवर्तन किया गया है कि कृषि उत्पादन को अति उच्च प्राथमिकता दी जा सके, जिसके लिए गैर-कृषि और गैर-औद्योगिक मदों के अन्तर्गत बचत करके निधि सुलभ की जानी थी । कुछेक राज्य अपने सीमित साधनों के कारण १९६३–६४ के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम हेतु पूरी धन राशि की व्यवस्था न कर सके ।

(ख) जिन मदों के खर्च में कमी की जाएगी वे कार्यालय के फुटकर खर्च, इमारतों का निर्माण, जीपों की खरीद और सुविधा-कार्यक्रम हैं किन्तु सामाजिक सेवाएं जो पहले से स्थापित की जा चुकी हैं उनकी देख-भाल जारी रहेगी और पीने के पानी की सुविधा की व्यवस्था ज्यों की त्यों रहेगी ।

(ग) जी नहीं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या अनेक राज्यों में कमी हुई है, और यदि उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो वे राज्य कौन कौन हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : जैसा कि मैं ने मुख्य उत्तर में बताया है कि कुछेक राज्यों में कमी हुई है और उनकी संख्या सात या आठ है । गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मैसूर और पंजाब में कमी हुई है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीमती सावित्री निगम** : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि अनावश्यक व्यय में बचत हुई है । मितव्ययता से कुल कितना धन बचा है और क्या वह सारा धन कृषि पर व्यय हुआ है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : वहां बचत करने का प्रश्न ही नहीं है । वह बचत कृषि उत्पादन कार्यक्रम को दी जायेगी । निश्चय किया गया है कि प्रत्येक खंड को जो १९६३–६४ में खोला गया है, १ लाख रु० और मिलेगा और वह धन अभी बताई गई मदों पर हुई बचत में से दिया जायेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : आपातकाल की स्थिति के कारण जो रीओरियेंटेशन किया गया है क्या इस सिलसिले में इस बात पर विचार किया गया कि सामुदायिक विकास खंडों को जो राशि सालाना तय की गई है उन में से अधिकांश खर्च नहीं हो पायी है, क्या इस के कारण उस में कुछ अधिक सुपरवाइज़र्स का होना था या यह कि सुपरवाईजर्स की कमी थी, यदि हां, तो क्या सरकार उस को बढ़ाना चाहती है ?

श्री श्यामवर मिश्र : इस में सन् १९६३–६४ का सवाल तो उठता ही नहीं है । जहां तक सन् १९६२–६३ का सवाल है उस में कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो ऐलाटमेंट्स किया गया था उस में कुल खर्च हो चुका है । उसमें सुपरवाइजर्स का कोई सवाल नहीं है । उस के कुछ और ही कारण हो सकते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि ६ या ७ राज्यों में कमी की गई है, मैं यह जानना चाहता हूं कि और राज्यों में कमी क्यों नहीं की गई और सारे देश भर के लिए एक सी यूनिफार्म नीति क्यों नहीं निर्धारित की गई है ?

श्री श्याम धर मिश्र : मैं ने यह कहा कि प्लानिंग कमिशन ने और यहां क मंत्रालय ने कमी करने की कोई व्यवस्था या इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं किया था । कुछ राज्य सरकारों के जिनके कि नाम भी मैंने दिये, चूंकि उनकी फंडामैंटल दिक्कत है, इसलिए उन्होंने स्वतः इस को कम कर दिया लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि एग्रीकलचरल उत्पादन प्रोग्राम सफ़र नहीं कर करने पायेगा और उस की वजह से उस पर कोई ठेस नहीं पहुंचेगी । कोई युनिफार्म व्यवस्था इसलिए नहीं हो सकी है क्योंकि हर एक राज्य का बजट ऐलोकेशन अलग अलग होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है । जहां तक एग्रीकलचरल प्रोडक्शन के प्रोग्राम का सम्बन्ध है उस को बढ़ाने के लिए उन पर ज़ोर दिया जाता है लेकिन इस बारे में अंतिम निर्णय करना स्वतः राज्य सरकारों पर निर्भर करता है ।

श्री विभूति मिश्र : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री डा० राम सुभग सिंह यह बराबर कहते रहते है कि जो बौर्डर ऐरियाज़ है, जैसे असम और नेपाल से मिला हुआ बिहार प्रदेश को ऐसे बोर्डर ऐरियाज़ में खेती की पैदावार बढ़ाने के बारे में ज्यादा ध्यान दिया जायगा । बी० डी० ओज० वगैरह जैसा कि कहते हैं कि इमरजेंसी की वजह से इसके लिए पैसे में कमी कर दी गई है तो क्या इस के लिए सरकार यह निर्देश देगी कि ऐसे बौर्डर ऐरियाज़ में खेती के काम के लिए जो खर्चा है उसमें ज़रा भी कमी नहीं की जायगी ?

श्री श्यामवर मिश्र : ठीक यही आदेश है कि बौर्डर ऐरियाज में सभी प्रोग्राम्स मज़बूत किये जायें । अब जहां तक असम और उत्तर प्रदेश का सवाल है जो कि बोर्डर ऐरियाज़ है उन में कोई कमी नहीं की गई है केवल एक बिहार स्टेट है जहां कि इस सम्बन्ध में थोड़ी कमी कर दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मेनन** : अधिक कृषि उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या मंत्रालय ने खंड विकास अधिकारियों के कृषि विस्तार अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप करने के अधिकार कम करना उचित समझा है ?

†**श्री श्याम धर मिश्र** : खंड विकास अधिकारियों की शक्ति पहले ही इतनी कम कर दी गई है कि एक पंचायत समिति है जिसका सभापति पंचायत समिति के अध्यक्ष करते है और अब केवल सलाहकार समिति ही नहीं अपितु एक प्रभावी निकाय है जो केवल खंड विकास अधिकारियों का ही नहीं अपितु विस्तार अधिकारियों का भी मार्ग दर्शन करता है । अतः खंड विकास अधिकारी स्वयं विस्तार अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता ।

श्री सरजू पांडेय : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि आने वाले सालों में नई जीपों की ख़रीद नहीं होगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पुरानी जीपें इस्तेमाल हो रही है, आर्थिक रूप से बचत करने के लिए क्या सरकार उन के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ।

श्री श्याम धर मिश्र : यहां से राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि विभिन्न ब्लाक्स में जो जीपें मौजूद हैं, उन को डिस्ट्रिक्ट लैवल पर पूल किया जाये और जिस ब्लाक में ज़रूरत हो, वहां पर जीप दी जाये । इसके अतिरिक्त जहां पर सिविलियन या डिफ़ेंस कामों के लिए ज़रूरत हो, वहां भी दी जाये ।

श्री यशपाल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि कम्यूनिटी डेवेलपमैंट के मातहत जो विलेज वालन्टियर फ़ोर्स का प्रोग्राम चल रहा था, उस पर इस कटौती का क्या असर पड़ेगा ।

श्री श्याम धर मिश्र : उस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पर कोई विशेष ख़र्च नहीं होने वाला है ।

श्री काशी राम गुप्त : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि राजस्थान में ब्लाक एक्स्टेंशन आफ़िसर हटाए जा रहे हैं और उद्योगों को भी ग्रामों में बढ़ाने के बजाये घटाया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल कम्यूनिटी डेवेलपमैंट के बारे में है । इस बारे में एक एक स्टेट में जाना कठिन है ।

डा० गोविन्द दास : क्या सरकार यह जानती है कि विकास-खंडों में कुटीर-उद्योग भी एक प्रमुख चीज़ है और उन कुटीर-उद्योगों का अभी तक कोई विकास नहीं हो रहा है ? क्या उन के लिए सस्ती बिजली प्राप्त हो सकती है, ताकि विकास-खंडों म कुटीर-उद्योग चलाए जा सकें ?

श्री श्याम धर मिश्र : यह प्रश्न अवश्य जटिल है । हम ने इस प्रश्न को प्लानिंग कमीशन और मिनिस्ट्री आफ़ पावर से टेक अप किया है और हम इस बात की कोशिश कर रहे है कि कुटीर-उद्योगों और ग्रामोद्योगों के लिए सस्ती बिजली दिलाई जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में नया असैनिक हवाई अड्डा

+

†*१०८९. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नये असैनिक हवाई अड्डे के लिये स्थान निश्चित कर लिया गया है ; और

(ख) वह किस स्थान पर बनाया जायेगा तथा इस परियोजना की प्राक्कलित लागत क्या है और निर्माण कब आरंभ होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** (क) दिल्ली में एक नया असैनिक हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव अभी स्थगित कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : चूंकि दिल्ली में एक नया सिविल एयरपोर्ट बनाने का सुझाव बहुत दिनों से सरकार के सामने है और आपात-काल की वजह से उस को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया है, इसलिए दिल्ली में जो वर्तमान एयरोड्राम है, क्या उनके विस्तार का कोई सवाल सरकार के सामने है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी हां । जब कभी आवश्यकता होगी, उनका विस्तार किया जायेगा ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : प्रस्ताव को स्थगित करने के क्या कारण हैं ? क्या इसे पुनः आरम्भ करने की कोई संभावना है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह प्रश्न कभी भी लिया जा सकता है, परन्तु फिर भी अनेक टेक्निकल तथा वित्तीय कठिनाइयां हैं जिन के कारण यह स्थगित कर दिया गया है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह प्रस्ताव केवल आपातकाल के लिए स्थगित रखा जायेगा और बाद में इस पर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या हवाई अड्डा आधुनिक जेट विमानों के प्रयोग के लिए होगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी नहीं, आपात काल के लिए ही नहीं ।

†**श्री अ० व० राघवन** : क्या पालम हवाई अड्डे पर सैनिक और असैनिक हवाई अड्डों के एक होने से असैनिक एयरलाइन्स को होने वाली कठिनाइयों का बोध है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : हम इस से भली भांति परिचित हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है कि सैनिक या असैनिक विमानों के लिए खतरा कम से कम हो

†**श्री स० मो० बनर्जी** : दिल्ली में पालम और सफदरजंग के वर्तमान हवाई अड्डों के विस्तार की कौन योजनायें सरकार के पास हैं और इस के लिए कितना धन स्वीकृत किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** : पालम की वर्तमान योजना यह है कि टर्मिनल इमारत के निर्माण पर विचार हो रहा है। शायद माननीय सदस्य जानते हैं कि केवल एक साल पहिले ९,००० फीट लम्बा नया धवनमार्ग बनाया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस के लिए स्वीकृत धनराशि जानना चाहते हैं ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी नहीं । वह धन मेरे पास नहीं है ।

†**डा० क० ल० राव** : क्या असैनिक व आवश्यकताओं के लिए पृथक कोई अड्डा बनाना अनिवार्य नहीं है और क्या इसे अनिश्चित रख कर टैक्निकल कठिनाइयां दूर हो सकती हैं ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : अभी तो यही विचार है कि टेक्निकल कठिनाइयां संचार व्यवस्था, रैडार आदि से दूर की जानी चाहियें ।

एयर इंडिया द्वारा क्रय

†*१०९०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया विदेशों में किए गए क्रय पर किसी फर्म को कोई कमीशन देता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में कुल कितना कमीशन दिया गया है तथा क्या एयर इंडिया के साथ किसी भी तरह का सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति का भी कमीशन पाने वाली फर्म में कोई हित है ; और

(ग) यदि हां, तो फर्म का क्या नाम है तथा एयर इंडिया से सम्बन्ध रखने वाले उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिन का उपयुक्त फर्म में हित है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). न्यूयार्क में निगमित मैसर्स टाटा अमरीका में एयर इंडिया के क्रय एजेन्ट हैं और वहां पुर्जों तथा सामान के क्रय पर उन्हें कमीशन देता है। निगम विमानों का क्रय स्वयं करता है और उन पर कोई कमीशन नहीं दिया जाता। १९५७-५८ से १९६१-६२ तक को कुल १८.८५ लाख रु० का कमीशन दिया गया।

क्रय एजेन्ट टाटा का उपक्रम है, इस कारण एयर इंडिया के सभापति, श्री जे० आर० डी० टाटा क्रय एजेन्ट उपक्रम में दिलचस्पी रखते हैं।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या सरकार ने इस बात और/या अन्यथा पर विचार किया है कि उन व्यक्तियों को कमीशन दिया जाये जिन का एयर इंडिया के प्रबन्ध तथा संचालन से सक्रिय सम्बन्ध है ? क्या यह इस समान्य विचार के सर्वथा विरुद्ध नहीं है कि कम्पनी में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति को ऐसा लाभ उठाने की अनुमति न दी जाये ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : कम्पनी अधिनियम में उपबन्ध है कि यदि कोई निदेशक किसी प्रस्ताव में दिलचस्पी रखे, तो वह उस प्रस्ताव सम्बन्धी विचार विमर्श में भाग नहीं लेगा और इस का कठोरता से पालन किया जाता है। यह नई बात नहीं है। बहुत सी कम्पनियां इस का पालन करती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : विदेशों में एयर इंडिया के क्रय की गठनात्मक व्यवस्था क्या है ? क्या सरकार ने इस का आधुनिकीकरण करने और कमीशन एजेन्ट की बजाये इसे स्वयं एयर इंडिया के लिए लाभप्रद बनाने का विचार किया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस पर एक से अधिक बार विचार किया जा चुका है और पता लगा है कि यह सर्वाधिक मितव्ययी व्यवस्था है जिस के द्वारा क्रय प्रभावी ढंग से किया जा सकता है और संभरण एयरलाइन्स के लिए अपेक्षित शीघ्रता से किया जा सकता है ।

†**श्री हेडा** : इस प्रश्न की वैधता के अतिरिक्त, क्या सरकार ने कभी प्रयुक्त प्रक्रिया के औचित्य या अन्यथा पर विचार किया, अर्थात् जबकि सभापति क्रयकर्ता एजेन्सी में रुचि रखते हैं ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस का उपबन्ध कम्पनी अधिनियम में है और सरकार इस की अनुमति देती है . . . .

†**श्री मुरारका** : औचित्य का उल्लेख कम्पनी अधिनियम में नहीं है ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : प्रश्न ऐसे मामले के बारे में है जिस की विधान अनुमति देता है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : प्रश्न यह है कि क्या यह उचित है ; प्रश्न इस की मान्यता का नहीं है ।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार ने इस प्रश्न की कभी लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति से जांच करने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : प्राक्कलन समिति ने इस प्रश्न की जांच की है और उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं जिस का उन्हें उत्तर भेज दिया गया है ।

†**श्री रंगा** : क्या वे सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थीं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जहां तक मुझे याद है प्रश्न पर प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के आधार पर विचार किया गया था कि क्या पृथक व्यवस्था की जा सकती है, और यह देखा गया कि एयर इंडिया के लिए पृथक व्यवस्था पर अधिक व्यय होगा ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या सरकार को पता लगा है कि एक भारतीय राष्ट्रजन को अमरीका में बोइंग निर्माताओं ने बोइंग के क्रय पर कुछ कमीशन दिया था और क्या अमरीका में हाल में खरीदे गये एक बोइंग विमान पर भी दिया गया था और यदि हां, तो कितना कमीशन अमरीकी निर्माता ने भारतीय राष्ट्रजन को दिया जिस का कुछ सम्बन्ध, मेरा ख्याल है कि टाटा लि० बम्बई से है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस के बारे में मुझे किसी कमीशन का पता नहीं है । मैं ने बताया है कि बोइंग विमान की खरीद स्वयं निगम ने कारपोरेशन से की है ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : श्रीमान, एक औचित्य के प्रश्न पर ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री काशी राम गुप्त** : कमीशन कितना प्रतिशत होता है और इस के निर्धारण का क्या आधार है ?

---

†मल अंग्रेजी में

श्री मुहीउद्दीन : १९६२-६३ में कमीशन प्रथम ३५ लाख डालर पर ३ १/२ प्रतिशत और शेष राशि पर २ १/२ प्रतिशत निर्धारित किया गया था ।

†**श्री हेम बरूआ** : माननीय उपमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है और बचत हो रही है । क्या यह सच नहीं है कि कमीशन एजेन्ट, जो क्रय करते हैं, क्रय वस्तुओं के लिए १८ लाख रु० पाता है और वह एयर इंडिया इन्टरनेशनल का सभापति है । मंत्री जी कैसे कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया से बचत होती है जबकि सभापति को बड़ी राशि चली जाती है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं ने यह कहा था कि यदि अन्य संगठन बनाया जाये, तो उस पर और भी अधिक व्यय होगा और पांच वर्षों में उस पर १८ लाख से भी अधिक व्यय करना होगा ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या सरकार इस सभापति को तत्काल हटाने पर विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । यह जानकारी मांगना नहीं है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या यह सच नहीं है कि प्राक्कलन समिति ने इस प्रश्न की जांच करते समय पता लगाया कि वर्तमान क्रय अधिकरण समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि वर्तमान क्रयकारी अभिकरण व्यवस्था एकदम असन्तोष जनक तथा अनुचित है और उन्होंने फिर इस कार्य के लिए पृथक निकाय हो ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं ने बताया है कि उन्हों ने सिफारिश अवश्य की थी कि एक वैकल्पिक व्यवस्था की जांच की जा सकती है और हम ने देखा कि यह व्यावहारिक न था ।

†**श्री त्यागी** : क्या सभापति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी भी तरह प्राप्त हुए कमीशन से लाभ हुआ है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह एक निगमित निकाय है जिस का नाम टाटा इनकारपोरेटेड है । यह अमरीका में केवल एयर इंडिया के लिए ही नहीं परन्तु अन्य अनेक संगठनों के लिए सामान व पुर्जे खरीदने का काम करता है । (एक माननीय सदस्य : आप उन के सब से बड़े ग्राहक हैं) नहीं, नहीं । यह आवश्यक नहीं है । मैं यह नहीं जानता कि कौन कौन ग्राहक हैं । अनेक अन्य वस्तुयें खरीदने के लिए उन का एक बहुत बड़ा संगठन है ।

†**श्री त्यागी** : मैं खरीदों के बारे में नहीं जानना चाहता । मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उन्हें लाभ होता है । (**अन्तर्बाधा**) मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई वित्तीय लाभ प्राप्त किया है ?

श्री मुहीउद्दीन : जहां तक एयर कारपोरेशन के सभापति का प्रश्न है, उन्हें कोई लाभ नहीं होता (**अन्तर्बाधा**) ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : यह प्रश्न कारपोरेशन का नहीं अपितु क्रयकर्ता संगठन का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि क्या सभापति को इस संगठन से कोई लाभ होता है ?

†**श्री त्यागी** : वह कहते हैं कि उन्हें लाभ नहीं होता । (**अन्तर्बाधा**)

कई माननीय सदस्य उठे--

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य यह जानकारी चाहते हैं । माननीय

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्री ने कहा है कि यह क्रमकारी व्यवस्था जो वहां है टाटा से संबंधित है। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या सभापति को उस क्रमकारी व्यवस्था से कोई लाभ प्राप्त होता है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह टाटा का एक संगठन है। मुझे विदित नहीं कि उनके बीच क्या संबंध है और यह निगम अमरीका में कार्य करता है ?

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : औचित्य के एक प्रश्न पर : माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने औचित्य तथा मान्यता के प्रश्न की जांच की है। वह कहते हैं कि उन्हें विदित नहीं कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल के सभापति को कोई व्यक्तिगत लाभ होता है या नहीं। यदि उन्हें यह विदित नहीं है, तो उन्होंने कैसे इसकी जांच की होगी ? निश्चय ही यह विरोधी बात है ?

श्री हेम बरूआ : श्रीमान् यह आपके विचार करने की बात है। मैंने यह प्रश्न उनसे बहुत ही स्पष्ट रूप में पूछा था कि क्या सभापति को एक ही सौदे में लगभग १८ लाख रु० का लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि हुआ है। बाद में वह बात बदल रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने उन्हें ठीक नहीं सुना। १८ लाख रु० कुल कमीशन है जो इस कमीशन एजेंसी ने पिछले पांच वर्षों में लिया है।

†**श्री हेम बरूआ** : उससे सभापति का संबंध है।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, यह बात नहीं है।

†**श्री जयपाल सिंह** : यदि मैंने माननीय मंत्री को ठीक समझा है तो स्थिति के दो भाग हैं। विमान खरीदने के मामले में निगम ने स्वयं लाभ उठाया, परन्तु पुर्जों की खरीद के मामले में, यह काम एजेंसी को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि यह अधिक मितव्ययी है, और समय कम लगता है। यदि यह बात है, तो इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के मामले में यही प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इंडियन एयरलाइन्स की खरीद अमरीका में अधिक नहीं होती। वहां डकोटा विमानों की खरीद होती है। कुछ खरीद या तो सीधी होती है या एजेंसी द्वारा होती है। **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य और कोई उपाय अपना सकते हैं।

सहकार के लिये वित्तीय व्यवस्था

†*१०९२. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की है कि तृतीय योजना में सहकार के लिये जितनी वित्तीय व्यवस्था की गई है उसके २५ प्रतिशत भाग का १९६३-६४ में उपबन्ध करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र)** : (क) हां, दिनांक ३ अक्तूबर, १९६२ के एक पत्र में।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य सरकारों के साथ विचारविमर्श के परिणामस्वरूप सभी राज्यों के लिये सहयोग के लिये स्वीकृत व्यय तीसरी योजना के उपबन्ध का १८ प्रतिशत आता है।

†**श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : १९६३-६४ के लिए इस २५ प्रतिशत योजना आवंटन के अतिरिक्त कोई और उपबन्ध है।

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मैं नहीं जानता कि अन्य उपबन्ध क्या हो सकते हैं, क्योंकि २५ प्रतिशत का सुझाव योजना आयोग ने राज्यों को दिया था और २५ प्रतिशत के बदले १८ प्रतिशत आवंटन किया गया।

†**श्री मान सिंह पू० पटेल** : आगामी वर्ष के लिये आवंटन की दृष्टि से क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय निश्चय ही सहकारिता के लिये है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : इस कमी की दृष्टि से हम निश्चित नहीं हैं कि तीसरी योजना का कुल आवंटन व्यय हो जायेगा। हम राज्य सरकारों पर जोर दे र हैं और योजना आयोग भी उन्हें मनाने का प्रयास कर रहा है। हम निश्चित नहीं हो सकते। यदि ये प्रवृत्तियां जारी रहती हैं, तो कमी हो सकती है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या इसमें अनेक सहकारी संस्थाओं की अंशपूंजी में राज्यों का अंश भी शामिल होगा ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : जी हां। कुछ तो यह है, परन्तु जितनी अंशपूंजी समितियों की रिजर्व बैंक लेता है, वह नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : यह जो सेंटर और स्टेट्स दोनों के कोआपरेशन से कोआपरेटिव्ज को बढ़ाया जा रहा है तो क्या यह भी हिदायत दी गई है कि कोआपरेटिव्ज से कम से कम कितना सूद लिया जायेगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : जी हां, इस प्रकार की हिदायत है, और हम लोगों की कोशिश होती है कि ६ से लेकर ८ परसेंट तक सूद अगर किसानों से लिया जाय तो अच्छा होगा और करीब करीब हर जगह इस का पालन किया जाता है। केवल एक या दो राज्य ऐसे हैं जहां ९ या १० परसेंट लिया जाता है।

†**श्री त्यागी** : क्या २५ प्रतिशत कटौती का समूचा प्रतिबन्ध है और उसे सहकारी योजनाओं को दिया जाता है ? क्या विभिन्न मूल परियोजनाओं के होते हुये भी, जो राज्य सरकारों ने आरम्भ की हैं, इसकी सिफारिश की गई है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : जी नहीं। निश्चय स्पर्धाकारी प्राथमिकतायें हैं। सहकारिता का हमारी अर्थ-व्यवस्था में अब विकास हो रहा है। अतः योजना आयोग ने सोचा कि उन्हें इस पर जोर देना चाहिये, क्योंकि इसे हमारी राष्ट्रीय नीति के एक साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः उन्होंने राज्य सरकारों से प्रार्थना की कि वे तीसरी योजना के आवंटन का २५ प्रतिशत दें। क्योंकि २५ और १८ प्रतिशत में २५ प्रतिशत का अन्तर हो सकता है। हां, यह हमारी इच्छा है कि हम सहकारिता के लिये अधिकतम उपबन्ध करें, परन्तु सिंचाई, विद्युत् तथा अनेक अन्य बातें जैसी अन्य प्राथमिकतायें हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शिव नारायण : किसान जब आप से रुपया लेते हैं, तो उनसे आप ६ या ८ परसेंट सूद लेते हैं। क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब वह किसानों से रुपया लेगी तो वह उस पर कितने परसेंट सूद देगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह तो बहुत साफ है कि डिपाजिटस पर जो रेट दिया जाता है वह इसे ४½ परसेंट तक होता है। कहीं कहीं २ या २½ परसेंट दिया जाता है करेंट डिपाजिट्स के हिसाब से तरह तरह के दर हैं।

†**श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : क्या सरकार को विदित है कि सामुदायिक विकास मंत्री ने एक दिन वक्तव्य दिया था कि आसाम में सहकारिता आंदोलन उचित मात्रा में नहीं है और यदि यह बात है, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में जांच करने का है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : यह निश्चय ही सच है कि आसाम में सहकारिता आंदोलन बहुत ही बुरा है और हमने जांच करने का प्रयत्न किया है। वास्तव में, तीसरे साल राज्य सरकारों के परामर्श से कुछ प्रस्ताव किये गये थे और योजना आयोग ने लगभग १ करोड़ रु० का कुछ सहकारिता में पिछड़े राज्यों के लिये आवंटन किया। इनमें आसाम भी शामिल है। हम इसका प्रयोग करने के लिये और आगे बढ़ने के लिये राज्य सरकार को मना रहे हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या १९६३–६४ में सहकारिता के लिये तीसरी योजना के कुल उपबन्ध का २५ प्रतिशत देने के लिये जोर सरकार के इस निष्कर्ष के कारण है कि सहकारिता आन्दोलन की एकमात्र कठिनाई धन की है या स्थायी नीति इसमें अच्छी सफलता न मिलने के लिये उत्तरदायी है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : सहकारिता आंदोलन की निर्बलता के लिये दोनों ही उत्तरदायी हैं। यदि सहकारिता की बात महसूस न की जाये, तो केवल वित्तीय आवंटनों से सहकारिता नहीं बढ़ सकती। परन्तु वित्तीय आवंटन भी आवश्यक हैं। अतः, जोर दोनों पहलुओं पर है।

†**श्री बाल कृष्णन** : जब मंत्री स्वयं स्पष्ट रूप में कह चुके हैं कि सहकारिता आंदोलन उचित मात्रा में नहीं है, तो दोष दूर न होने तक धन की सिफारिश करने की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मैं इस मत से सहमत नहीं हूं। हम कभी भी यह नहीं कह सकते हैं कि "अब सहकारिता आंदोलन ठीक है' और तब ही वित्तीय आवंटन आवश्यक होगा। सहकारिता आंदोलन में सुधार करने के लिये सभी कार्यवाही आवश्यक होगी जिसमें वित्तीय आवंटन भी शामिल है।

खेती के औजार

†*१०९३. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने देश में खेती के उत्तम औजारों का पुनर्विलोकन तथा वर्गीकरण करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या इस समिति ने सरकार को कोई रिपोर्ट दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). समिति ने उत्तम कृषि औजारों की एक सूची बनायी है, जो देश भर में और विभिन्न क्षेत्रों के लिये अपेक्षित औजारों के रूप में इस्तेमाल किये जा सकते हैं । समिति ने विभिन्न राज्यों में 'पैकेज प्रोग्राम' जिलों में सिफारिश किये गये औजारों की भी सूचियां बनायी हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने भी ये समितियां नियुक्त की हैं और यदि हां, तो इस समिति ने उत्तम कृषि औजारों के बारे में अन्तिम सिफारिशें कब कीं और क्या राज्य समितियों से भी परामर्श लिया गया और क्या अब तक कोई समेकित सिफारिश की गयी है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हमने जुलाई में एक बैठक बुलाई है, यद्यपि इसकी अभी तक कोई तारीख निश्चित नहीं की गयी है । इस बैठक में सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया जायेगा और यह विचार किया जायेगा कि किसी विशेष क्षेत्र अथवा जिले में किस प्रकार के औजार इस्तेमाल किये जाने चाहियें । हम सभी राज्यों से, निर्माताओं से और कृषि औजारों के व्यापारियों से परामर्श करेंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : अब जब कि उत्तम कृषि औजारों की सूची को लगभग अन्तिम रूप दिया जा चुका है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठायेगी जिससे कृषि औजारों की अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देश में निर्माण की गति भी बढ़े ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हम कृषि औजार निर्माण सार्थों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं । हम लोहा तथा इस्पात की उपलब्धता पर भी ध्यान दे रहे हैं और हमें आशा है कि समूचा कार्यक्रम निर्धारित क्रम के अनुसार चलेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इन नये और उत्तम कृषि औजारों के बारे में किसानों को अवगत कराने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है और इन औजारों के लिये सरकार उनको क्या सहायता देगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : सहायता लगभग २५ प्रतिशत है । जहां तक पैकेज प्रोग्राम वाले जिलों का सम्बन्ध है, हमने हर राज्य में पैकेज जिलों के लिये उपयुक्त उत्तम औजारों की एक सूची तैयार की है । इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास खंड भी यह देखता है कि किसान अधिकाधिक उत्तम कृषि औज़ारों का इस्तेमाल करें ।

श्री क० ना० तिवारी : क्या गवर्नमेंट इम्प्रूव्ड इम्पिलमेंट्स लोकल कंडिशन्स के मुताबिक गांवों के लोहारों के जरिये बनवा कर देना चाहती है या फैक्ट्री के अन्दर बनवा कर सप्लाई करना चाहती है ?

डा० राम सुभग सिंह : इम्प्रूव्ड इम्प्लिमेंट्स बनाये जाते हैं बड़े बड़े इंजीनियर्स के अनुसन्धान के आधार पर, लेकिन यह तरीका अपनाया गया है कि गांवों के लोहारों को उन के बनाने के बारे में पूरा प्रशिक्षण दिया जाये । इसलिये पैकेज वाले जिलों में हर जगह एक एक वर्कशाप की स्थापना की जा रही है जहां गांवों के लोहारों को भी उन के बनाने और उन की मरम्मत करने की सारी विद्या बतलाई जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री तुलशीदास जाधव : देहातों में जो लोहार लोग होते हैं उन को ट्रेनिंग देने का भी कोई इन्तजाम किया जा रहा है ताकि वे इन इम्प्लिमेंट्स को देहातों में ही तैयार कर सकें ?

डा० राम सुभग सिंह : गांवों के लोहार लोगों को उन की मरम्मत करने की ज्यादा से ज्यादा विद्या, और यदि वे उन को बनाने में भी समर्थ हो सकें तो उस के लिये भी प्रशिक्षण पाने की सुविधा प्रदान करने का आयोजन है क्योंकि जब तक हम लोग हर गांव में सुधरे हुए औजारों को बनाने के लिये एक एक परिवार को या उस से अधिक को जानकारी न करा सकें तब तक पूरी तरह से इस काम को बढ़ाना सम्भव नहीं है ।

श्री त्यागी : मैं अंग्रेज़ी कम जानता हूं, लेकिन मैं ने ऐसा सुना कि एक जवाब देते हुए मिनिस्टर साहब ने खुले तरीके से कहा कि या तो बनायेंगे या फब्रिकेट करायेंगे । तो क्या इस मिनिस्ट्री में फब्रिकेशन की इजाजत है ? आप ने इस पर एतराज नहीं किया ?

अध्यक्ष महोदय : आप शायद पहले से ही फब्रिकेशन के मतलब को जानते थे इसलिये बहाना लिया अंग्रेज़ी न जानने का ?

†**डा० सरोजिनी महिषी** : क्या सरकार अब पैकेज क्षेत्रों में इस्तेमाल किये जा रहे उत्तम कृषि औजारों को अन्य खंड विकास क्षेत्रों में भी उपलब्ध करेगी, यदि हां तो इस सम्बन्ध में कब कार्यवाही की जायेगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जैसा मैं एक पूर्व अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं, हम केवल पैकेज जिलों के बारे में ही कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, यद्यपि पैकेज जिले भी इसमें शामिल हैं । यह ५० प्रतिशत जिलों पर लागू होगा और एक या दो वर्ष के भीतर यह पैकेज कार्यक्रम पर लागू होगा । परन्तु योजना यह है कि हमारे सभी सामुदायिक विकास खंड उत्तम कृषि औजारों का प्रचार करें और वे ऐसा कर भी रहे हैं । अतः इसमें सभी ग्राम शामिल होंगे ।

श्री सरजू पांडेय : माननीय मंत्री जी ने बताया कि गांवों के लोहारों को खेती के औजारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में यह व्यवस्था की गयी है ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश में जाएं, तो फिर जिलों और गांवों में भी जाना पड़ेगा । एक आवाज आ रही है कि पंजाब का भी बतलाया जाए । इतनी तफसील में जाना तो मुश्किल है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार ने कोई ऐसा प्रशिक्षण दिया है कि चावल की काश्त के लिए जो अभी तक डिफेक्टिव इम्पलीमेंट चल रहे थे उन को बदला जाए और क्या उनको रिप्लेस करने के लिए इस कमेटी ने कोई सिफारिश की है ?

डा० राम सुभग सिंह : धान के खेती के लिए बढ़िया जापानी ट्रेक्टर चार जगहों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं । वे अभी प्रदर्शन सरीखे हैं लेकिन उनको बढ़ाने की बात सोची जा रही है और माननीय सदस्य महोदय के नजदीक ही उस का प्रदर्शन भी हुआ है सहारनपुर के सरौना गांव में, और वहां खेती भी धान की अच्छी हुई थी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी म

मिजो पहाड़ियों का विकास

+

†*१०९४. **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने मिजो पहाड़ियां आसाम में धालेश्वरी नदी को जहाजरानी के योग्य बनाने की एक योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है तथा योजना पर व्यय करने के लिये धन मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है उसके लिये कितना धन चाहिये तथा सम्पूर्ण प्रस्ताव पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) आसाम सरकार से प्राप्त योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १२५६/६३] योजना का परीक्षण किया जा रहा है ।**

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने सड़कों का जाल बिछा कर मिज़ो पहाड़ियों के विकास के लिये एक समेकित योजना बनायी है ? यदि हां तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह विशिष्ट योजना उस समेकित योजना का एक भाग है या यह कोई भिन्न योजना है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे इस योजना का पता है । माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, वह मैं स्वीकार करता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मंत्री महोदय इस योजना की मोटी मोटी बातें बतलायेंगे और क्या इससे कृषि और उद्योग की दृष्टि से मिजो पहाड़ियों के विकास में लाभ होगा और सहायता मिलेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : विवरण में सब कुछ बताया गया है । माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं इतना कह सकता हूं कि इससे हमारे देश के उस भाग में अत्यावश्यक परिवहन सुविधायें उपलब्ध होंगी । यह उन स्थानों पर जहां सड़क परिवहन बड़ा असंतोषजनक है क्योंकि उस पर केवल जीप गाड़ियां चल सकती है, परिवहन की द्वितीय पंक्ति होगी । परिवहन की लागत भी बहुत अधिक है । ९६ मील लम्बे रास्ते के लिये जल-परिवहन धालेश्वरी और कट सवल नदियों से ही संभव है । इस बात को ध्यान में रख कर ही यह योजना बनायी गयी है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या अकयाब को एक पत्तन बनाने का कोई प्रस्ताव है, क्यों कि धालेश्वरी नदी उसी ओर बहती है, ताकि उस क्षेत्र में दूसरा बन्दरगाह हो जाये ?

†**श्री राज बहादुर** : अकयाब बर्मा में एक पत्तन है । जहां तक मुझे याद है, धालेश्वरी नदी बर्मा तक बहती है । परन्तु मैं नहीं जानता कि क्या हम अकयाब को अपना पत्तन बना सकते हैं या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : मंत्री महोदय ने बताया है कि कालादन नदी बर्मा में है । क्या मैं जान सकती हूं कि क्या कालादन नदी के उस भाग को, जो मिज़ो पहाड़ियों से होकर गुजरता है, धालेश्वरी नदी से मिलाया जायेगा ताकि उसमें नौवहन हो सके ? क्या इस योजना में यह प्रस्ताव भी शामिल होगा ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री सुरेन्द्र पाल सिंह ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

मरमागाओ बन्दरगाह

+

†*१०९५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मरमागाओ बन्दरगाह के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) योजना की क्रियान्विति के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). मरमागाओ पत्तन के लिये विकास की एक बड़ी योजना बनायी गयी है । योजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है । इतने समय में, अत्यावश्यक मदों के बारे में अग्रिम कार्यवाही की गयी है । एक नये ड्रैजर और शक्ति-चालित मूरिंग लौंच के खरीदने के बारे में मंजूरी दी गयी है । इस पर अनुमानित लागत १ करोड़ रुपया आयेगी । ड्रैजर के लिये शीघ्र ही क्रयादेश दिया जायेगा । लगभग १२ लाख रुपये की लागत से उपागमन नहरों और आन्तरिक बेसिन की खुदाई का काम पूरा किया गया है और इस से वर्ष भर २८ फुट ड्राफ वाले जहाजों के लिये न्यूनतम गहराई सुनिश्चित होगी । इस कार्यक्रम में शामिल की जाने वाली अन्य योजनाओं को, ब्योरे को अन्तिम रूप दिये जाते ही, क्रियान्वित किया जायेगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या अब तक इस पत्तन के विकास के लिये बहुत थोड़ा काम किया गया है क्योंकि नौसेना अधिकारियों और असैनिक अधिकारियों में इस बात पर मतभेद है कि इस पत्तन का स्वामित्व किस को मिलेगा और मतभेद कैसे दूर किये गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : कोई मतभेद अथवा विवाद नहीं है । प्रश्न यह था कि पत्तन के विकास और नौसेना की आवश्यकता के क्षेत्र कौन कौन से हैं । मैं समझता हूं कि उनकी जांच

---

†मूल अंग्रेज़ी में

की जा रही है। परन्तु इससे विकास योजनाओं और उनकी क्रियान्विति में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी ।

†**डा० गायतोंडे** : क्या यह सच है कि गोआ में रेलवे का अभी भी पत्तन से सम्बन्ध है, यदि हां, तो इनको रेलवे मंत्रालय अपने अधिकार में कब लेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक पत्तन के क्षेत्र का सम्बन्ध है, बम्बई और कलकत्ता के पत्तन क्षेत्रों की तरह रेलवे का पत्तन प्राधिकारी से सम्बन्ध है । पत्तन-क्षेत्रों से बाहर की रेलवे पर रेलवे मंत्रालय का नियंत्रण हो सकता है ।

†**डा० कोलाको** : क्या सरकार ने मरमागाओ बन्दरगाह के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है कि यह वाणिज्यिक पत्तन होगा, निर्बाध पत्तन होगा अथवा अतिरिक्त नौसैनिक अड्डा होगा ?

†**श्री राज बहादुर** : यह वाणिज्यिक पत्तन है और रहेगा । वास्तव में, हम प्रत्याशा करते हैं कि वहां से औसतन १०० से १२० लाख टन लौह-अयस्क और २० लाख टन सामान्य माल का निर्यात होना है । इन आंकड़ों को ध्यान में रख कर ही हम अपनी विकास योजनाओं का आयोजन कर रहे हैं । जहां तक एक निर्बाध पत्तन के प्रश्न का सम्बन्ध है, भारत में कोई निर्बाध पत्तन नहीं है और न ही कोई निर्बाध पत्तन हो सकता है । केवल एक निर्बाध व्यापार क्षेत्र हो सकता है और यह प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : अब जब कि यह निर्णय किया गया है कि मरमागाओ पत्तन का नौसनिक अड्डे और असैनिक पत्तन, दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार भारतीय नौसेना को यह अधिकार देगी कि वह अपने लिये बन्दरगाह का जो भाग उपयुक्त समझे, चुन ले ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं नहीं समझता कि इसमें स्थिति गंभीर होगी क्योंकि वास्को घाटी और अन्य दो घाटियों में काफी स्थान है । प्रश्न यह है कि नौसेना विकास योजनायें किस और क्रियान्वित की जायें । परन्तु मैं समझता हूं कि दोनों के लिये काफी स्थान है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : इस पत्तन के विकास की जिम्मेवारी परिवहन विभाग की है या नौ-सेना विभाग की क्योंकि यह द्वि-उद्देशीय पत्तन है ?

†**श्री राज बहादुर** : पत्तन के लिये यह परिवहन मंत्रालय की है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रशासनिक नियंत्रण वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से इस मंत्रालय को क्यों हस्तांतरित किया गया ? उस में क्या कठिनाइयां थीं ?

†**श्री राज बहादुर** : क्योंकि पत्तनों का प्रबन्ध परिवहन मंत्रालय द्वारा किया जाता है अथवा वे इस मंत्रालय के प्रशासनाधीन हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या हम इस पत्तन का अपने ही संसाधनों से विकास कर रहे हैं अथवा हम को इस पत्तन के आधुनिकीकरण के लिये कोई तकनीकी जानकारी अथवा विदेशी सहायता मिल रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : अब तक जो भी विकास योजनायें चालू की गयी हैं वे सब अपने विशेषज्ञों और इंजीनियरों ने की हैं। जहां तक वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है, हम ने वह अभी मांगी नहीं है।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि मरमागाओ पत्तन के विकास के लिये, वर्तमान रेलवे लाइन को दोहरा करने और मरमागाओ और बेलगांव के बीच एक रेलवे लाइन बहुत आवश्यक है ?

†**श्री राज बहादुर** : वहां पर रेलवे लाइन है परन्तु मैं समझता हूं कि यह मीटर गेज है। प्रश्न उस रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है। इस पर रेलवे मंत्रालय ध्यान देगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या जहाजों का परिचय प्राप्त करने और शत्रु-जहाजों के भारतीय नदियों में प्रवेश को रोकने के लिये इस बन्दरगाह में राडार और अन्य उपकरण जैसी आधुनिक व्यवस्था की जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : यह नौसेना के विचारार्थ सामान्य समस्या है। आने वाले जहाजों के मार्गदर्शन के लिये अथवा मौसम के बारे में जानकारी के लिये राडार उपकरण लगाये भी जा सकते हैं और नहीं भी लगाये जा सकते हैं। यह अग्रेतर विचार का मामला है।

वाणिज्यिक विमान चालक संस्था

\+

†*१०९७. **श्री अ० व० राघवन** :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री पू० ना० खां :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक विमान चालक संस्था ने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा सरकार से कहा है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का भारतीय वाणिज्यिक विमान-चालक संस्था के बीच १९६१ में हुए समझौते की क्रियान्विति के लिए शीघ्र कार्य करें;

(ख) १९६१ के समझौते की क्रियान्विति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा समझौते की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने अयोग्य विमान चालकों को अन्य रोजगार दिलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाये गये नियमों को किस हद तक क्रियान्वित किया है; और

(घ) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों का व्यावसायिक खतरों के लिए बीमा किया जाता है तथा डाक्टरी परीक्षा के आधार पर अयोग्य घोषित हो जाने पर उन को 'भूमि-कार्य' दिये जाते हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—१२५७/६३**]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० व० राघवन** : पिछले पांच वर्षों में कितने चालक अयोग्य पाये गये हैं और कितनों को इस अवधि में 'भूमि-कार्य' दिये गये हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : वर्ष १९५३ से, पिछले वर्षों में केवल १० चालकों को उड़ान के अयोग्य घोषित किया गया जिन में से ९ चालकों को 'भूमि-कार्य' दिये गये ।

†**श्री अ० व० राघवन** : यह करार कब तक पूरी तरह क्रियान्वित किया जायेगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : योजना पेश करना चालकों पर निर्भर है । अभी कन्होंने योजना पेश नहीं की है । जैसे ही वे योजना पेश करेंगे, इस पर विचार किया जायेगा ।

नई तेलीफोन प्रणाली

†***१०९८. श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)· क्या यह सच है कि यूरोपीय टेलीफोन 'स्विचिंग' प्रणाली पर आधारित नई टेलीफोन प्रणाली के देश में अपना लिये जाने की सम्भावना है;

(ख)· यदि हां, तो उसके लिए उपकरण किस प्रकार उपलब्ध किये जायेंगे; और

(ग)· क्या इस कारण वर्तमान टेलीफोन कारखाने के अतिरिक्त दूसरा टेलीफोन कारखाना स्थापित करना होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क)· देश में प्रयोग और निर्माण के लिये क्रोसबार स्विच इस्तेमाल करके अप्रत्यक्ष तरीके पर आधारित एक आधुनिक टेलीफोन प्रणाली को अपनाया जायेगा ।

(ख)· आई० डी० ए० ऋण के अन्तर्गत कुछ उपकरण प्राप्त किये जायेंगे । भारत में इस उपकरण के उत्पादन के लिये एक कारखाना स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

(ग)· अभी नये प्रकार के उपकरण के निर्माण के लिये कारखाने की स्थापना के स्थान को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इस नयी प्रणाली को अपनाने के क्या कारण हैं और नयी प्रणाली किस प्रकार की है ? पुरानी प्रणाली और नयी प्रणाली में क्या अन्तर है ?

†**श्री भगवती** : टेलीफोन स्विचिंग प्रणाली समिति ने इस प्रश्न की जांच की है और उन्होंने इस प्रणाली की पूरी जांच पड़ताल की है । योरोप और अमरीका में अनेक देशोंमें यह प्रणाली लागू की गयी है । समिति की सिफारिश यह है कि यह प्रणाली अपनाना अधिक सस्ता और अच्छा रहेगा । संधारण व्यय भी कम होगा और दूरवर्ती काल और सीधे डायल घुमाने के लिये यह अधिक लाभप्रद होगा और इससे अधिक विश्वास सुनिश्चित होगा ।

†**श्री रामेश्वर राव** : उन्होंने यह उत्तर नहीं दिया है कि दोनों के बीच क्या अन्तर है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया है यह दूरवर्ती कालों और अन्य बातों के लिये अधिक सस्ती और लाभप्रद होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या इस नयी प्रणाली में दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े नगरों के लिये सीधे डायल घुमाने की व्यवस्था शामिल है।

†**श्री भगवती** : सीधा डायल दोनों पद्धति में घुमाया जा सकता है। परन्तु नयी प्रणाली कई दृष्टिकोणों से लाभप्रद है और यह आधुनिक भी है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पुरानी प्रणाली को नयी प्रणाली से बदलने में भारत सरकार को कितना समय लगेगा ?

†**श्री भगवती** : बम्बई, दिल्ली और मद्रास में स्थापना के लिये ४८,९०० स्थानीय एक्सचेंज उपकरण के आयात के लिये विश्वव्यापी टेंडर आमंत्रित किये जा चुके हैं। चार बड़े नगरों के लिये स्वचालित एक्सचेंज उपकरणों के लिये भी टेंडर मांगे गये हैं। देश इस नये प्रकार के उपकरण के निर्माण के लिये, कारखाने स्थापित करने में सहयोग के लिये भी 'कोटेशन' मांगी गयी हैं।

†**श्री महेश्वर नायक** : इस परिवर्तन में कितना धन व्यय होगा? यदि उन्होंने पता लगा लिया है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें कितना धन लगेगा और क्या कोई विदेशी मुद्रा भी व्यय होगी ?

†**श्री भगवती** : इन ४८,००० लाइनों और अन्य स्वचालित एक्सचेंज के आयात के लिये लगभग ३ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय होगी।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या इस नयी प्रणाली से टेलीफोन के संबंध में शिकायतें बिल्कुल समाप्त हो जायेंगी ?

†**श्री भगवती** : इस नयी प्रणाली के लागू होने से काफी सुधार होगा।

†**श्री त्यागी** : आपात काल को देखते हुये और राज्य व्यय में मितव्ययिता की भावना से, क्या सरकार ने इस योजना पर विचार किया है कि क्या इसको कुछ समय तक स्थगित किया जा सकता है ? क्या यह इतनी आवश्यक है कि यह अभी लागू की जाये ?

†**श्री भगवती** : प्रविधिक दृष्टि से मितव्ययिता की दृष्टि से भी इसको आवश्यक समझा गया है।

†**श्री त्यागी** : मितव्ययिता किस में ?

†**श्री भगवती** : संधारण में।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। सीधी बातचीत नहीं होनी चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : स्पष्टीकरण के हेतु, कुछ समय पहले अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। अब वह अंग्रेजी में बोल रहे हैं।

†**श्री त्यागी** : मैं गलत अंग्रेजी बोल रहा हूं। मैंने कभी अंग्रेजी ठीक नहीं बोली है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारियों के लिये मनोवैज्ञानिक परीक्षा

+

†*१०९९. **श्री महेश्वर नायक :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे रेलगाड़ियों को चलाने के लिये जिम्मेदार इंजन ड्राइवरों तथा अन्य कर्मचारियों के लिये मनोवैज्ञानिक परीक्षा आरम्भ करने के संबंध में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परीक्षा के क्या लाभ होंगे ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की दृष्टि से गाड़ी के साथ चलने वाले कर्मचारियों को उपयुक्त बनाना और मानव असफलताओं को न्यून करने और रोकने के लिये इन श्रेणियों में कर्मचारियों का वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करना ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या हाल की जांच से यह पता चला है कि कई दुर्घटनायें इस कारण हुई हैं कि गाड़ी के संचलन से संबंधित चालक और अन्य लोग मानसिक रूप से जागरूक नहीं हैं और यदि हां, तो किस हद तक ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : दुर्घटना जांच समिति ने यह सुझाव दिया है कि ६० प्रतिशत दुर्घटनायें या इससे अधिक मानवीय असफलताओं के कारण होती हैं । उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिये कदम उठाये जायें । हम एक ऐसा 'सेल' बना रहे हैं जहां मनोवैज्ञानिक परीक्षण किये जायेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं में और कुछ प्रतिरक्षा सेवा परीक्षाओं में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अपेक्षित परिणाम नहीं निकला है और यदि हां, तो इन कुछ परीक्षाओं में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के असफल रहने को ध्यान में रखते हुये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं नहीं समझता कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अपेक्षित परिणाम नहीं हुआ है । यह आशा है कि यदि संचलन कार्य में लगे लोगों को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण दिया जाये, तो इससे सुरक्षा के प्रति उनकी कुशलता और जागरूकता में सुधार होगा और आगे इसके बढ़ने की संभावना है ।

†**डा० गायतोंडे** : मनोवैज्ञानिक परीक्षण कितनी बार किये जायेंगे और ये परीक्षण कौन करेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम एक छोटा सा 'सेल' बना रहे हैं जिसमें एक सीनियर साइन्टिफिक अफसर होगा और तीन अन्य जूनियर अफसर और असिस्टेंट होंगे । इसका कुछ आधार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

फ्रांसीसी रेलवे का व्यावहारिक मनोविज्ञान का एक बड़ा संगठन है । हम अन्य रेलवे से जहां यह व्यवस्था है, जानकारी एकत्र करेंगे ।

†**डा० गायतोंडे** : कितनी बार ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह अभी आरम्भ किया जाना है ।

†**श्री हेम बरुआ** : अधिकांश रेलवे दुर्घटनायें यंत्रों की खराबी से होती हैं । क्या सरकार ने इस पहलू की जांच की है कि यंत्रों की खराबी के कारण मनोवैज्ञानिक तौर पर ठीक चालक भी दुर्घटना कर सकता है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : यह सच है कि जहां तक यंत्रों की खराबी का संबंध है, ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा ठीक नहीं किये जा सकते । इनको यंत्रीकृत साधनों से ही ठीक करना होगा । यंत्रों की खराबी के अतिरिक्त, मानव असफलतायें भी होती हैं । यह आशा है कि यह तरीका अपनाने से संचलन कार्य में लगे कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने से पूर्व उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, जो प्रशिक्षण पाना चाहते हैं ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : इरादा यही है । वास्तव में यह परीक्षा नहीं है, परन्तु यह एक प्रकार का प्रशिक्षण है जिसमें परीक्षण भी किये जायेंगे ।

†**श्री बड़े** : क्या यह सच है कि यह मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण संसार में कहीं भी नहीं दिया जाता है और यह केवल भारत में है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : जी, नहीं । अन्य देशों ने भी इसको अपनाया है और एक देश ने, फ्रांस ने, तो इसको बड़े पैमाने पर लागू किया है और इसके परिणाम बड़े उत्साहजनक हैं ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धिमत्ता संबंधी प्रश्न, व्यक्तित्व अथवा विशेष कार्य के संबंध में होंगे ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : ये व्यक्तित्व के संबंध में नहीं होंगे परन्तु य सुरक्षा की भावना बढ़ाने के ख्याल से होंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मनोवैज्ञानिक परीक्षण केवल कर्मचारियों तक ही सीमित होंगे अथवा रेलवे बोर्ड के सदस्यों और मंत्रियों पर भी ये लागू होंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । मंत्री यह कह सकते हैं कि ये परीक्षण संसद सदस्यों पर भी लागू किये जायें ।

†**श्री मेनन** : मंत्री महोदय ने बताया है कि ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने के लिये एक 'सेल' स्थापित किया जायेगा । क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या इस संबंध में ऐसी कोई व्यवस्था की जायेगी कि इस 'सेल' का ठीक प्रकार और मनोवैज्ञानिक ढंग से परीक्षण किया जाये ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : माननीय सदस्य सेल के लिये ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण का सुझाव दे रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एयर इंडिया

†*१०९१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया की अन्तर्देशीय उड़ानों में कितनी सीटों का उपयोग नहीं हो पाता ;

(ख) इन सीटों का उपयोग होने पर कितनी अतिरिक्त आय होगी ; और

(ग) एयर इंडिया के वर्तमान विमानों से अन्तर्देशीय मार्गों पर कितनी सीटों तथा सर्विसों का प्रबन्ध किया जा सकता है और जिन वायुयानों के लिये मंजूरी दे दी गई है उनको मिला लेने पर क्या स्थिति होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) से (ग). मैं एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

विवरण

भाग (क) एयर इंडिया १९६२ से ले कर प्रत्येक शुक्रवार की प्रातःकाल को दिल्ली से ले कर बम्बई तक केवल एक ही अन्तर्देशीय उड़ान के लिये वायुयान चला रही है । केवल मात्र अन्तर्देशीय यातायात इस उड़ान में नहीं लाया ले जाया जाता । मई, १९६२ से ले कर १५ मार्च १९६३ तक की अवधि में इन उड़ानों में ७९४८ सीटें उपलब्ध थीं जिन में से ६०७२ सीटों का उपयोग नहीं हो पाया ।

भाग (ख) यदि बम्बई/दिल्ली उड़ानों में इन ६०७२ सीटों का उपयोग हो जाये तो १०० प्रतिशत भार-कारक के आधार पर, जोकि तदपि एक अन्तर्देशीय सेवा के लिए भी असाधारण है, लगभग ९ लाख रुपये की अतिरिक्त आय होगी । इस क्षमता का उपयोग करने के प्रश्न पर अनेकों बार विचार किया गया था परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा भारत में अनेक स्थानों पर जो अतिरिक्त सीमाशुल्क सम्बन्धी औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ी हैं उनके कारण इस प्रश्न का अनुसरण नहीं किया गया । अतः यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा कि एयर इंडिया को जो वैध आय होती उसे छोड़ दिया गया था ।

भाग (ग) एयर इंडिया इस समय प्रतिदिन बम्बई/दिल्ली/बम्बई के बीच एक सायंकालीन सेवा चला रही है जिसमें इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के लिये भाड़े के आधार पर एक बोइंग वायुयान चलाया जाता है । एयर इंडिया ने यह बताया है कि १९६३-६४ के दौरान वे अतिरिक्त क्षमता का प्रबन्ध करने की स्थिति में होंगे, जिसमें से कुछ गारंटी दिये गये समय के आधार पर होंगी तथा अन्य कुछ उतार-चढ़ाव वाले समय के आधार पर होंगी तथा यह बात विदेशों से मंगाये जाने वाले वायुयानों के पहुंचने पर निर्भर करेगी । कार्पोरेशन ने यह बताया है कि कुछ मामलों में अन्तर्देशीय प्रयोजनों के लिए इस प्रकार से व्यवस्था की गई सेवाओं को रद्द भी करना पड़ेगा । यह भी दावा किया जाता है कि क्रयादेश पर अप्रैल, १९६४ में ७वें बोइंग वायुयानों के प्राप्त हो जाने के पश्चात्, एयर इंडिया अतिरिक्त क्षमता की भी व्यवस्था कर सकती है । इस बात की अभी इंडियन एयर-लाइन्स कार्पोरेशन द्वारा जांच की जानी है कि विशेष रूप से जबकि कुछ सेवायें रद्द किये जाने अथवा

---

†मूल अंग्रेजी में

विलम्ब होने पर निर्भर करेंगी तो क्या इस प्रकार से एयर इंडिया द्वारा व्यवस्थित अतिरिक्त क्षमता का इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन द्वारा सुविधापूर्वक उपभोग किया जा सकता है अथवा नहीं ।

सीधे टेलीफोन करने की सुविधा

†*११००. { **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई के बीच सीधे टेलीफोन करने की सुविधा कब से लागू होगी ; और

(ख) क्या दिल्ली-आगरा तथा लखनऊ-कानपुर लाइनों पर आरम्भ की गई सुविधा सन्तोषजनक रूप में काम कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई के बीच सीधे टेलीफ़ोन करने की सुविधा के १९६६ तक दिये जाने की आशा है ।

(ख) जी, हां ।

रेल मार्ग विद्युतीकरण का व्यय

†*११०१. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री १६ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के विभिन्न देशों में रेल मार्ग के प्रति किलोमीटर विद्युतीकरण पर आने वाले व्यय के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे देश में व्यय अधिक है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट आंकड़ों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दक्षिण-भारत के लिए विशेष रेलगाड़ी

*११०२. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गर्मियों की छुट्टियों में दक्षिण भारत को जाने वालों की सुविधा के लिए सरकार का विचार एक विशेष रेलगाड़ी चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब से चालू की जायेगी ;

(ग) ऐसी रेलगाड़ियां किन-किन स्थानों के लिए चलाई जायेंगी ; और

(घ) क्या इन गाड़ियों में किराये की कोई रियायत दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) कई स्पेशल गाड़ियां चलाने का विचार है ।

(ख) अप्रैल और जुलाई, १९६३ के बीच ।

(ग) दिल्ली और मद्रास, बम्बई वी० टी० और कोच्चिन हार्बर टर्मिनस और हावड़ा और मद्रास के बीच ।

(घ) इन गाड़ियों से यात्रा करने के लिए कोई ख़ास रियायत नहीं दी जाती ।

दिल्ली से चीनी का बाहर ले जाया जाना

*११०३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से चीनी बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चीनी की बिक्री तथा मूल्य पर उक्त प्रतिबन्ध का क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली चीनी वितरण का एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है और दिल्ली के लिये नियत की गयी चीनी को बाहर जाने से रोकने के लिए यह प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

(ग) भाव गिर कर उचित स्तरों पर आ गए हैं ।

चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्टरी

†*११०४. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्टरी में अब तक कितने बिजली के इंजन बनाये गये ;

(ख) क्या ये सभी इंजन देशी सामान से बनाए जाते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत आयात किया गया सामान लगाया जाता है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) मार्च, १९६३ के अन्त तक उन्नीस ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) लगभग ५६ प्रतिशत आयात किया गया सामान लगाया जाता है ।

चीनी का कारखाना मूल्य

†*११०५. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री काशी नाथ पांडे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग ने चीनी का कारखाना मूल्य बढ़ाने की मांग की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां ।

(ख) परिवर्तन के लिये कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

भारत के पूर्वी भागों में भूकम्प

*११०६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ९ अप्रैल, १९६३ को भारत के कई पूर्वी भागों में भूकम्प के झटकों का अनुभव किया गया ;

(ख) यदि हां, तो भूकम्प का उद्गम-स्थान कहां था ;

(ग) उस भूकम्प के परिणामस्वरूप किन-किन स्थानों पर क्या-क्या हानि हुई ; और

(घ) भूकम्प से पीड़ित व्यक्तियों को यदि कोई सहायता दी गई है तो क्या ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां । ९ अप्रैल, १९६३ को इंडियन स्टेण्डर्ड टाइम से ५ बज कर ३४ मिनट पर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भूचाल का एक मामूली झटका महसूस किया गया ।

(ख) इस झटके का एपीसेन्टर जमशेदपुर (बिहार) के दक्षिण-पश्चिम में ४० किलोमीटर (२५ मील) की दूरी पर उत्तर में २२.५ डिग्री लेटीट्यूड और पूर्व में ८६.० डिग्री लांगीट्यूड पर पाया गया है ।

(ग) और (घ). मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक झटका जमशेदपुर (बिहार), और बारीपाद (उड़ीसा) में महसूस किया गया और मामूली तौर पर कलकत्ता और हावड़ा के कुछ हिस्सों में भी महसूस किया गया । इन झटकों से हुए नुकसान, या मुतासिर लोगों को दी गई मदद के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं है । इनका ताल्लुक राज्य सरकारों से है ।

इंटीग्रल कोच फैक्टरी

†*११०७. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ में इंटीग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर से यात्री डिब्बों के उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि नही, तो कितनी कमी रही तथा इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९६२-६३ के लिये लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	शैल	फर्निशिंग
लक्ष्य	६२०	३८१
वास्तविक आंकड़े . . .	६००	३७२

(ख) कुछ आवश्यक पुर्जों के सम्भरण की कठिन स्थिति तथा फैक्टरी में उत्पादन के विकेन्द्रीकरण के कारण उत्पादन में कमी हुई है ।

---

†मल अंग्रेजी में

Shell.

जापानी युवा कृषकों के दल की भारत यात्रा

*११०८. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी युवा कृषकों का एक दल इस समय भारत का भ्रमण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस दल ने अब तक किन-किन स्थानों की यात्रा की है तथा अन्य किन स्थानों पर जाने का विचार है; और

(ग) उनके अनुभवों से भारतीय किसानों ने क्या लाभ उठाया है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (ग): इस विषय पर हमारे पास सरकारी जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु युवा कृषक समाज से पता लगा है कि जापानी युवा कृकृषकों के एक दलने पाकिस्तान जाते समय दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद तथा महाराष्ट्र के आस-पास के स्थानों का दौरा किया था और समाज के क्षेत्र कार्यकर्ताओं ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए इसके सदस्यों से सांझी समस्याओं पर विचार-विमर्ष किया।

महाराष्ट्र में कृषि का विकास

†२४८१. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के प्रथम दो वर्षों में कृषि का विकास करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या यह धन पूरे का पूरा व्यय कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सिंचाई प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र को सहायता

†२४८२. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अधीन १९६२-६३ में कृषि प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र सरकार को कितने रुपये के अनुदान दिये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिये पुनरीक्षित प्रणाली के अधीन, जो कि १९५८–५९ से लागू की गई थी, जो केन्द्रीय सहायता अनेक राज्य सरकारों के लिये स्वीकार्य है वह उन योजनाओं के लिये जो कि 'कृषि उत्पादन' शीर्ष के अन्तर्गत आती हैं तथा जिन में लघु सिंचाई तथा भूमि विकास भी सम्मिलित हैं एक मुश्त रूप में मंजूर की जाती है। इस प्रकार, १९६२-६३ में महाराष्ट्र सरकार को उनकी लघु सिंचाई योजनाओं के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता की धन राशि को बताना सम्भव नहीं है। तदपि. १९६२-६३ में महाराष्ट्र सरकार को उनकी उत्पादन योजनाओं के लिये, जिनमें कि लघु सिंचाई तथा भूमि विकास योजनायें भी सम्मिलित हैं. दिये गये अनुदान तथा ऋण के सम्बन्ध में

†मूल अंग्रेजी में

जानकारी नीचे दी गई है :—

वर्ष	अनुदान	ऋण
१९६२-६३	७९.१३ लाख रुपये	२०९.०६ लाख रुपये

महाराष्ट्र में नलकूप

†२४८३. **श्री दे० शि० पाटिल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं के अधीन महाराष्ट्र में कितने नलकूप लगाये जाने हैं तथा नागपुर डिवीज़न में कितने नलकूप लगाये जाने हैं; और

(ख) नागपुर डिवीज़न में प्रत्येक नलकूप के लिये कितनी धन राशि आवंटित की जानी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) इस समय महाराष्ट्र में नलकूप लगाने का केन्द्रीय सरकार का अपना कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में कृषि विश्वविद्यालय

†२४८४. **श्री दे० शि० पाटिल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा उस राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव पेश किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या स्वरूप है तथा उसके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाली सहायता का क्या स्वरूप होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हावड़ा-मद्रास एक्सप्रेस

†२४८५. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि हावड़ा-मद्रास एक्सप्रैस में तृतीय श्रेणी के स्थान की कमी के कारण तथा हावड़ा-पुरी एक्सप्रैस और हावड़ा-मद्रास मेल में तृतीय श्रेणी में यात्रा करने पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण, हावड़ा से उड़ीसा जाने वाले तृतीय श्रेणी के यात्रियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या उक्तलिखित रेलगाड़ियों में तृतीय श्रेणी में यात्रा करने पर लगाये गये इन प्रतिबन्धों को हटाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या हावड़ा–मद्रास एक्सप्रैस के साथ और अधिक तृतीय श्रेणी के डिब्बे लगाने का विचार है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, नहीं; परन्तु दक्षिण की ओर जाने वाले तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये सामान्यतया तेज़ तथा आरामदेह यात्रा की

---

†मूल अंग्रेज़ी में

व्यवस्था करने के लिये मद्रास–हावड़ा एक्सप्रैस रेलगाड़ियों में भार को बढ़ाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं । विशेष रूप से हावड़ा तथा वाल्टेयर के बीच एक अतिरिक्त डिब्बा लगाने के लिये इन रेलगाड़ियों में गुंजाइश भी उपलब्ध नहीं है ।

रेलवे छात्रावास, कटक

†२४८६. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कर ली गई है कि कटक स्थित राजसहायता प्राप्त रेलवे छात्रावास में छात्रों को भेजने के लिये उनके माता पिताओं द्वारा जो कम रुचि दिखाई जा रही है उसके लिये इसका कुप्रबन्ध कहां तक उत्तरदायी है; और

(ख) छात्रावास की क्षमता कितनी है तथा इस समय वहां कितने विद्यार्थी हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें वें० रामस्वामी** : (क) जी, नहीं । छात्रावास कर्मचारियों में बहुत लोकप्रिय है ।

(ख) **क्षमता**

३०-६-६२ तक	२५
१-७-६२ से	५०
वर्तमान संख्या	३३

उन विद्यार्थियों के अतिरिक्त जो कि शैक्षिक सत्र के समाप्त होने के कारण छात्रावास को छोड़ कर चले गये हैं ।

कटक में छात्रावास

†२४८७. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटक स्थित राजसहायताप्राप्त छात्रावास में प्रवेश देने के लिये रेलवे मुख्यालय में चयन किये जाते हैं तथा निर्णयों के लिये जाने में भारी विलम्ब होता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से मामलों में यह निर्णय विद्यार्थियों पर इतने विलम्ब से पहुंचते हैं कि इसके कारण वह स्थानीय कालेजों अथवा स्कूलों में प्रवेश नहीं पा सकते हैं;

(ग) क्या शीघ्रतापूर्वक निर्णय लिये जाने के लिये छात्रावासों के विद्यार्थियों के चयन के कार्य को खुर्दा रोड के विभागीय अधीक्षक के पास हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) कटक स्थित राजसहायता-प्राप्त छात्रावास में प्रवेश के लिये चयन का कार्य रेलवे मुख्यालय में ही किया जाता है, परन्तु इस सम्बन्ध में निर्णय करने में कोई विलम्ब नहीं होता ।

(ख) अभी तक ऐसे किन्हीं मामलों के समाचार नहीं मिले हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) राजसहायताप्राप्त छात्रावास में प्रवेश केवल एक ही डिवीज़न में अथवा एक ही रेलवे ज़ोन में भी कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चों तक ही सीमित नहीं है परन्तु वह सारी रेलवेज़ के रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये खुले हुए हैं। इस प्रकार, इस कार्य को विभागीय अधीक्षक के पास हस्तांतरित करने को वांछनीय नहीं समझा जाता है।

रायगड़ा-जेपुर (उड़ीसा) टेलीफोन सम्पर्क

†२४८८. **श्री उलाका :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २२ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रायगड़ा तथा जेपुर के बीच एक सीधा टेलीफोन परिपथ[1] स्थापित करने के प्रस्ताव की अब तक जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यह परियोजना कब पूरी हो जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) :** (क) जी, हां।

(ख) रायगड़ा तथा जेपुर के बीच एक सीधी लाइन की व्यवस्था करने के कार्य को मंजूर कर लिया गया है।

(ग) सामान की उपलब्धि पर निर्भर रहते हुए, ६३-६४ के अन्त तक।

उड़ीसा के डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२४८९. **श्री उलाका :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के डाक-तार विभाग के जिन कर्मचारियों को सरकारी मकान दे दिये गये हैं उनकी संख्या कितनी है;

(ख) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें कि अभी तक कोई मकान नहीं दिया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा के मुख्य नगरों तथा शहरों में १९६३–६४ में उनके लिये क्वार्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) :** (क) ३६०.

(ख) ४२९६.

(ग) और (घ). जो कार्य प्रगति कर रहे हैं तथा जिनके १९६३-६४ में प्रारम्भ किये जाने का विचार है उनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

स्थान	क्वार्टरों की संख्या
कटक	१८
सम्बलपुर	२०
झारसुगुडा	१०

†मल अंग्रे जी में

[1] Circuit.

स्थान	क्वार्टरों की संख्या
रूरकेला	५४
फूलबनी	५
जाजपुर	६
जगतसिंहपुर	२
भद्रक	४
जतनी	७

(ङ) लगभग दो वर्ष ।

उड़ीसा में केतकी[1] के बागान का विकास

†२४९०. **श्री उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य को उस राज्य में केतकी के बागान का विकास करने के लिये १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में कोई धन-राशि आवंटित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं ; और

(ग) तृतीय योजनाकाल में इस प्रयोजन के लिये कितना धन आवंटित किया गया है?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) से (ग). केतकी के बागान के विकास के लिये उड़ीसा सरकार को कोई पूर्वनिर्धारित अनुदान नहीं दिये गये थे । यह सम्भव है कि राज्य की विकास योजनाओं के लिये दिये गये एकमुश्त विकास अनुदानों में से उड़ीसा सरकार ने केतकी बागान के विकास के लिये कुछ व्यय किया हो । इन धन-राशियों के सम्बन्ध में जानकारी मंगायी गई है तथा राज्य सरकार से प्राप्त होने पर वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गुणपुर नौपदा लाइट रेलवे

†२४९१. **श्री उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन कठिनाइयों से अवगत है जो कि (१) उपयुक्त पेय जल सुविधाओं और (२) गुणपुर-नौपदा लाइट रेलवे (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के बहुत से स्टेशनों पर प्लेटफार्म आश्रय-स्थलों के अभाव के कारण यात्रा करने वाली जनता द्वारा अनुभव की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो यात्रा करने वाली जनता के लिये इन मूल सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sisal.

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी, नहीं । नौपदा-गुणपुर सेक्शन पर पेय जल के सम्भरण के लिये विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त है । पारला खेमुंडी तथा काशीनगर स्टेशनों पर प्लेटफार्म आश्रय-स्थल बना दिये गये हैं । स्टेशनों पर यातायात के सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्य की मात्रा पर निर्भर करते हुए बनाये गये एक कार्यक्रम के आधार पर तथा निधियों तथा सामग्री की उपलब्धि पर निर्भर रहते हुए प्लेटफार्म आश्रय-स्थलों की व्यवस्था की जा रही है । तथापि, इस सैक्शन पर के सभी स्टेशनों पर प्रतीक्षागृह बने हुए हैं ।

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक

†२४९२. **श्री प्रताप सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशकों के बोर्ड ने उस बैंक के कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों सम्बन्धी नियम बनाये हैं, जिनमें सेवा निवृत्ति की आय निर्धारित की गई है, तथा जो कि एक बहुत दीर्घ काल से हिमाचल प्रदेश की सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में सहकारी आन्दोलन के हित में इन नियमों को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) और (ख). बैंक के निदेशकों द्वारा बनाये गये सेवा सम्बन्धी नियमों के प्रारूप को रजिस्ट्रार ने उनमें कुछ बातें जोड़ने तथा कुछ अदल-बदल करने के सुझावों को देकर बैंक को लौटा दिया था । यह आशा की जाती है कि निदेशकों के बोर्ड द्वारा इन संशोधनों पर मई, १९६३ में होने वाली उनकी अगली बैठक में विचार किया जायेगा ।

डाक-तार कार्यालय

†२४९३. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र में प्रत्येक जिले में कितने-कितने डाक तथा तार कार्यालय हैं ;

(ख) क्या १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में उनकी संख्या में वृद्धि करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो जिन स्थानों पर इनके खोले जाने की सम्भावना है उनकी संख्या कितनी है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)**: (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १२५८/६३]** ।

(ख) और (ग). जी, हां ।

वर्ष	डाक कार्यालय	*तार कार्यालय
१९६३-६४ .	२३१	४४
१९६४-६५ . . .	२५२	३७

†मूल अंग्रेजी में

*यह सामग्री की उपलब्धि पर निर्भर करेंगे ।

रेलगाड़ी की छत पर यात्रा करने वाले यात्री

२४९४. { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी से कटिहार आ रही रेलगाड़ी की छत पर यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों की कुरसेला के निकट एक पुल से टकरा कर १५ अप्रैल, १९६३ को मृत्यु हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना की जांच का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १५-४-६३ को बरौनी से कटिहार आने वाली गाड़ी की छत पर जो यात्री यात्रा कर रहे थे, उनमें से कोई यात्री पुल से टकरा कर नहीं मरा । लेकिन १५-४-६३ को दो घायल व्यक्ति कुरसेला और कटरिया स्टेशनों के बीच पटरी के पास पड़े हुए मिले । उनके पास कोई रेलवे टिकट नहीं था । उन दोनों व्यक्तियों को कुरसेला लाया गया और डाक्टर की सलाह पर उन्हें वहां कटिहार के रेलवे अस्पताल में भेज दिय गया । इनमें से एक अस्पताल जाते हुए रास्ते में मर गया और दूसरा अस्पताल में पहुचने के फौरन बाद मर गया ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

कृषि विद्यालय

†२४९५. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में कुल कितने कृषि डिग्री कालेज हैं ;

(ख) उन संस्थाओं में प्रतिवर्ष कुल कितने विद्यार्थी लिये जाते हैं ;

(ग) क्या इन संस्थाओं की संख्या बढ़ाई जायेगी ; और

(घ) क्या पुराने कालेजों को भी पुनरुज्जीवित किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) इस समय भारत में ६२ कृषि कालेज हैं ।

(ख) इन विद्यालयों में प्रतिवर्ष लगभग ७३०० विद्यार्थी लिये जाते हैं ।

(ग) कुछ राज्य सरकारें और अधिक कृषि विद्यालयों को स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही हैं ।

(घ) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

गण्डक नदी पर सड़क का पुल

२४९६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व राष्ट्रीय राजपथ, जो रक्सौल (बिहार) को सारन जिले से मिलाता था और डुमरिया में गण्डक नदी पर प्रस्तावित सड़क का पुल अब भिन्न मार्गों एवं स्थानों पर बनाए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं । राष्ट्रीय राजमार्ग नं० २८ की पिपरा-कासिया सड़क, जो उत्तर प्रदेश में कासिया को, बिहार में पिपरा कोठी से मिलाती है, बिहार के सारन जिले से होकर गुजरती है और गण्डक नदी को डुमरिया घाट के पास पार करेगी । इस सड़क के रेखांकन को या डुमरियाघाट के पास गण्डक के पुल की जगह को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता है ।

खेती के औजारों के लिये लोहे का आवंटन

२४९७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को खेती के औजारों के लिये कितने टन लोहा १९६२-६३ में दिया गया ;

(ख) इस प्रकार दिये गये लोहे का बिक्री मूल्य क्या निर्धारित किया गया है ; और

(ग) किसानों को समुचित कीमत पर आसानी से लोहा मिल जाये इस सम्बन्ध में कौन सी व्यवस्था की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) १९६२-६३ में कृषि कार्यों के लिए लोहे तथा इस्पात के राज्यवार तथा श्रेणीवार नियतन को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १२५९/६३]** केवल कृषि औजारों के लिये कोई अलग नियतन नहीं किया गया है ।

(ख) लोहे तथा इस्पात के बिक्री मूल्य विभिन्न श्रेणियों तथा साइजों के लिये अलग-अलग हैं । नियंत्रित श्रेणियों के मूल्य लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता द्वारा नियत किये जाते हैं और उनको समय-समय पर भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया जाता है ।

(ग) कृषि कार्यों के लिए लोहे तथा इस्पात का एक अलग कोटा प्रति वर्ष दो बार अलाट किया जाता है । शीघ्र वास्तविक सम्भरण करने में सहायता देने के लिये केन्द्रीय कृषि विभाग का एक अधिकारी इस्पात उत्पादकों, लोहा तथा इस्पात नियंत्रक तथा राज्य सरकारों से लगातार सम्पर्क बनाए रखता है । कृषकों को वही मूल्य देना पड़ता है जोकि लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर नियत किया जाता है ।

खाद्यान्न का आयात

२४९८. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने १९५८, १९५९, १९६०, १९६१, १९६२ और १९६३ में (१ फरवरी तक) कितने रुपये का कितना-कितना अनाज आयात किया है ;

(ख) क्या सरकार कोई ठोस योजना बना रही है कि अनाज शीघ्र बन्द हो जाये ; और

(ग) यदि हां, तो वह क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) एक विवरण जिस में आवश्यक जानकारी दी गई है संलग्न किया जाता है ।

(ख) और (ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये गये कृषि उत्पादन कार्यक्रमों का उद्देश्य योजना के अन्त तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है ।

विवरण

(परिमाण हज़ार मीट्रिक टनों में)
(अनुमानित मूल्य करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आयातित खाद्यान्नों का परिमाण	उन का मूल्य (लागत और भाड़ा)
१९५८	३२२४	१२०.५
१९५९	३८६८	१४१.४
१९६०	५१३७	१९२.८
१९६१	३४९५	१२९.५
१९६२	३६४०	१४१.०
१९६३ (१ जनवरी तक)	४०६	१७.६

काजू बागान

†२४९९. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों में १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में काजू बागानों के एकड़ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: काजू बागानों के एकड़ क्षेत्रफल में १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में क्रमशः ३५ हैक्टेयर (८७ एकड़) तथा १०२ हैक्टेयर (२५३.५ एकड़) की वृद्धि हुई है ।

पटना के लिये फोकर फ्रेंडशिप सेवा

†२५००. { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भगवत दर्शन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि कलकत्ता से दिल्ली तक चलने वाले फोकर फ्रेंडशिप सेवा के विमान पटना हो कर आयेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान में टेलीफोन

२५०१. { **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री बाल्मीकि :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में अनेक तहसील हैडक्वार्टरों पर भी जो कि पाकिस्तान की सीमा के नजदीक हैं, टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में ऐसे स्थानों पर टेलीफोन लगाने की व्यवस्था की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) १५ तहसील हैडक्वार्टरों में से सात में टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है और बाकी तहसील हैडक्वार्टरों में से छः में टेलीफोन सुविधायें देने की मंजूरी जारी की जा चुकी है । शेष दो हैडक्वार्टरों के मामले विचाराधीन हैं ।

(ख) मंजूरशुदा कार्यों के लिए सामान प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किये जा रहे हैं ।

(ग) मार्च, १९६४ ।

अमरीकी मित्र सेवा समिति

२५०२. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी मित्र सेवा समिति नामक एक निजी संस्था ने उड़ीसा राज्य के ५४ गांवों में दस साल तक विकास की कोई योजना चलाई है ;

(ख) यदि हां, तो वह योजना कहां तक सफल हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उक्त योजना की कार्य-प्रणाली और मुख्य बातें क्या हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से स्थिति का पता किया जा रहा है और जानकारी प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अंगूर उत्पादकों के लिये पुरस्कार

†२५०३. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अंगूर के सर्वोत्तम उत्पादक को पुरस्कार देने का सरकार का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के क्या ब्यौरे हैं ;

(ग) प्रतियोगिता में कौन कौन से राज्य भाग ले रहे हैं ; और

(घ) १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में कितने क्षेत्र में अंगूर की खेती की गई थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा अंगूर उगाने के क्षेत्र में 'उद्यान पंडित' की उपाधि देने के लिये अखिल भारतीय प्रतियोगिता आयोजित करने की एक योजना को मंजूरी दे दी गई है । पहले अंगूर उगाने के क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी जोकि पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले उत्पादकों के नामों की अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रवेश के लिये सिफारिश करेंगी । राज्य स्तर पर प्रतियोगिता किये जाने वाले वर्ष से अगले वर्ष में सफल उत्पादकों के फलोद्यानों का एक अखिल भारतीय निर्धारण समिति दौरा तौरा किया जायेगा जोकि 'उद्यान पंडित' का एक प्रमाणपत्र तथा ५,००० रुपये का एक पुरस्कार दिये जाने के लिये देश के सर्वोत्तम अंगूर उत्पादक के नाम की सिफारिश करेगी ।

(ग) (१) आंध्र प्रदेश ;

(२) महाराष्ट्र ; और

(३) मद्रास ।

(घ) १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में जितने क्षेत्र में अंगूर की खेती हुई है उस के सम्बन्ध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, १९५७-५८ में ३०९९ एकड़ क्षेत्र तथा १९५८-५९ में ३,६८७ एकड़ क्षेत्र में अंगूर की खेती की गई थी ।

नारियल की जटा की वस्तुओं पर भाड़े की दरें

†२५०४. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **परिवहन तथा संचर** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल की जटा से निर्माण की गई वस्तुओं पर भाडे की दरों को कम कराने के लिये सरकार अभी तक नौवहन समवायों से बातचीत कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस समय तक समझौते पर पहुंच जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) निकट भविष्य में भारत का दौरा करने के लिये लन्दन से आने वाले मालाबार तट/यूनाइटेड किंगडम—द्वीप सम्मेलन प्रतिनिधिमण्डल के साथ इस मामले पर चर्चा करने तथा इसे अन्तिम रूप देने का विचार है ।

अनुसन्धान कार्य के लिये छात्रवृत्तियां

†२५०५. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में अनुसन्धान कार्य के लिये कितने छात्रों को सरकारी छात्रवृत्तियां मिल रही हैं ; और

(ख) उन में से कितने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्र हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) उन्नीस ।

(ख) कोई भी नहीं ।

दक्षिण रेलवे पर स्टेशनों का विद्युतीकरण

†२५०६. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान दक्षिण रेलवे के जिन स्टेशनों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है उन के क्या क्या नाम हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १२६०/६३**]

रेलवे सुरक्षा बल

†२५०७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत हाल ही में दक्षिण पूर्वी रेलवे पर खड़गपुर के निकट रेलवे सुरक्षा बल तथा चोरों के बीच एक मुठभेड़ हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दोनों ओर से गोलियां चलाई गई थीं ;

(ग) कितने डाकू गिरफतार किये गये थे ; और

(घ) उनसे कौन कौन सी वस्तुएं बरामद हुई थीं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) दोनों ओर से गोलियां नहीं चलाई गयीं थी; परन्तु ड्यूटी पर लग हुए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को अपराधियों के हताश समूह द्वारा उन पर आक्रमण किये जाने पर अपनी सुरक्षा के लिये दस्यु-दल पर गोलियां चलानी पड़ी थीं ।

(ग) अभी तक कोई भी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जस्त चढ़े हुए लोहे की नालियों के ७ टुकड़े बरामद किये गये थे।

टी० टी० ई०

†२५०८. **श्री सेझियान :**
श्री मुत्तु गोंडर :
श्री कन्डप्पन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में ७½ प्रतिशत टी० टी० ई० के पर्यवेक्षक पदों का स्तर ऊंचा किया गया है जब कि अन्य रेलवे में १० प्रतिशत था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में डाक तथा तार सुविधायें

†२५०९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक पहाड़ी जिले अर्थात देहरादून, उत्तर काशी, टिहरी गढ़वाल, चमौली, पौरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अलमोड़ा और नैनीताल में वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में किन किन स्थानों पर उप-डाक घर, तार-घर, टेलीफोन केन्द्र, सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले गये अथवा वायरलैस सुविधायें दी गईं ; और

(ख) १९६३-६४ में प्रत्येक उपरोक्त जिले में उक्त सुविधायें देने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १२६१/६३]**

कृषि का सुधारा गया ढंग

†२५१०. **श्री बालगोविन्द वर्मा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को टैक्नीकल और यांत्रिक मंत्रणा देने के लिये जिससे वे कृषि क बढ़िया तरीकों को प्रयोग में ला सकें, एक कार्यालय खोलने के बारे में सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यालय स्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) सरकार का ऐसा कोई कार्यालय खोलने का विचार नहीं है क्योंकि केन्द्र में और राज्यों में फार्म मंत्रणा सेवा विद्यमान है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

भीमवरम गुडिवाडा लाइन पर रेल दुर्घटना

†२५११. **श्री राम हरख यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ मार्च, १९६३ की सुबह को भीमवरम-गुडीवाडा सवारी गाड़ी जब गुडीवाडा स्टेशन के निकट थी उस समय उसके इंजन के पहियों की तीन जोड़ियों पटरी से उतर गईं ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है, इसके क्या कारण थे और हताहतों की संख्या क्या है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) दुर्घटना ३१-३-६३ को हुई ।

(ख) भीमवरम से गुडिवाडा जाने वाली ११९३ अप सवारी गाड़ी जब गुडिवाडा के सिगनल पर थी उस समय उसके इंजन के पहियों की तीन जोड़ियों पटरी से उतर गयीं ।

दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है ।

कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ ।

कृषि यन्त्र मरम्मत केन्द्र

†२५१२. **श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि यंत्र मरम्मत केन्द्र खोलने की किसी योजना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय कितने केन्द्र चल र हैं जो सरकार द्वारा अथवा कृषकों की मान्यता प्राप्त संस्थाओं अथवा कृषि यन्त्र निर्माताओं द्वारा चलाये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) कृषि यन्त्र सप्लाई और मरम्मत करने वाले केन्द्र की स्थापना के बारे में सरकार विचार कर रही है ।

(ख) अभी तो कृषि यन्त्रों के आयात करने वालों और निर्माताओं को मरम्मत आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है जो राज्य सरकार की दृष्टि में सन्तोषजनक होनी चाहिये । ये सुविधायें देने के लिये कोई मान्यताप्राप्त संस्था नहीं है ।

आन्ध्र प्रदेश में चल रही अनुसन्धान योजनायें

†२५१३. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा स्वीकृत कौन सी अनुसंधान योजनाओं पर आंन्ध्र प्रदेश में काम चल रहा है ; और

(ख) क्या १९६३–६४ के लिये उस राज्य के लिये कोई और योजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १२६२/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पालम हवाई अड्डे पर टर्मिनल

†२५१४. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे के लिये नये टर्मिनल के बारे में विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक तैयार हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी हां ।

(ख) अभी नक्शे आदि पर विचार करना आरम्भ हुआ है अतः यह बताना संभव नहीं कि निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ।

गिर शेरों को विष देना

†२५१५. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि गिर वन के आसपास के गांवों के ढोर मालिक विषैला गोश्त वन में उपयुक्त स्थानों पर रख आते हैं ताकि शेर उसे खा लें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शेरों की उस किस्म को बनाये रखने के लिये कोई कदम उठा रही है और यदि हां तो वह क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) ऐसी घटनाएं होती तो हैं परन्तु बहुत कम ।

(ख) वन्य पशुओं और पक्षियों को सुरक्षित रखने का विषय राज्य सरकार का है । गुजरात सरकार ने गिर में शेरों को सुरक्षित रखने के लिये कार्यवाही की है । वहां की सरकार ने यह घोषणा की है कि वहां के शोंरों को न मारा जाये और जिन लोगों के पशुओं को शेर मार डालते हैं उन्हें प्रतिकर दिया जाता है । यह इस लिये किया गया है कि ढोर मालिक शेरों को विष न दें । यदि विष देने की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी पूरी तफतीश की जाती है । केन्द्रीय सरकार ने मरे हुए अथवा जीवित शेरों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है ।

मछली पकड़ने के संशलिष्ट जाल बनाने का कारखाना

†२५१६. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० ब० राघवन् :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एरनाकुलम के निकट मछली पकड़ने का संशलिष्ट जाल बनाने का कारखाना लगाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संयन्त्र के आयात के लिये कोई विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई है ; और

(ग) कारखाना चालू होने से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) ऐसी कोई प्रस्थापना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

†२५१७. **श्री फिरोड़िया** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यवार 'ए' और 'बी' श्रेणी के कितने जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार रिजर्व बैंक ने अतिरिक्त सीमाय स्वीकृत की हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : १९६१–६२ में महाराष्ट्र राज्य के २ बैंकों और मद्रास राज्य के ५ बैंकों और १९६२–६३ में महाराष्ट्र के ७ और मद्रास राज्य के ६ बैंकों की उधार की सीमा बढ़ाई गई थी।

जलागम क्षेत्र में भूमि संरक्षण

†२५१८. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की नदी घाटी परियोजनाओं के जलागम क्षेत्रों में किन किन केन्द्रीय भूमि संरक्षण योजनाओं पर कार्य हो रहा है ;

(ख) क्या १९६३–६४ में कोई नई योजनायें आरम्भ की जाने वाली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कौन सी ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं के जलागम क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई भूमि संरक्षण की योजनाओं पर कार्य हो रहा है :—

परियोजना का नाम	संबंधित राज्य
१. दामोदर घाटी निगम	बिहार तथा पश्चिमी बंगाल
२. भाखड़ा नंगल	हिमाचल प्रदेश और पंजाब
३. मचकुंड	आंध्र प्रदेश और उड़ीसा
४. हीराकुड	मध्य प्रदेश और उड़ीसा
५. चम्बल	मध्य प्रदेश और राजस्थान
६. मयूराक्षी	बिहार
७. कुंडा	मद्रास
८. पोहरु	जम्मू व काश्मीर
९. तुंगभद्र	मैसूर
१०. रामगंगा	उत्तर प्रदेश
११. घंतीवाडा	गुजरात
१२. कनकसबै . . .	पश्चिम बंगाल

(ख) १९६३–६४ के लिये अभी तक कोई नई योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

†मूल अंग्रेजी में

सोमालिया से भेड़ों की खरीद

†२५१९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमालिया से भेड़ें खरीदने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापना का ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) देश में गोश्त के लिये भेड़ें पालने वाले क्षेत्रों में भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिये २० मेंढे और ६० भेड़ें सोमालिया से मंगवाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है ।

विपणन समितियां

†२५२०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य को विपणन समितियों का विकास करने और बागानों की फसलों का परिष्करण करने के लिये कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) और (ख) राज्य सरकारों को सहकारी विपणन और कृषि उत्पादों का परिष्करण करने के लिये कई बार कहा गया है । राज्यों को जो सुझाव दिये गये थे उनका संबंध सहकारी विपणन तथा बागान फसलों के परिष्करण से भी था । फिर भी सहकारी विपणन और बागान फसलों विशेषकर सुपारी, इलाइची, काजू और नारियल आदि के परिष्करण संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों का एक दल बनाया जा रहा है । यह अध्ययन दल राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा स्थापित किया जा रहा है ।

सहकारी विपणन कार्यक्रम के अंगस्वरूप वे राज्य जहां बागान फसलें होती हैं इन फसलों के सहकारी आधार पर विपणन और परिष्करण करने के बारे में कार्यवाही करती रही है । इस क्षेत्र में कुछ सफलता प्राप्त हुई है । ३० जन १९६२ को केरल, मैसूर, महाराष्ट्र और मद्रास राज्यों में सुपारी विपणन की २३ सहकारी समितियां थीं । इन समितियों ने वर्ष १९६१–६२ में ४०५३८७२८.०० रुपये के मूल्य की सुपारी बेची ।

हतगमहरिया और रायरंगपुर के बीच बड़ी लाइन

†२५२१. **श्री गो० महन्ती :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हतगमहरिया और रायरंगपुर के बीच बड़ी लाइन बिछाने की प्रस्थापना में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) सरकार को कार्य के कब तक पूरा होने की आशा है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख) केंडपोसी के निकट से लगभग रायरंगपुर तक नई लाइन बिछाने और संबंधित सुविधायें उपलब्ध करने का कार्यक्रम चालू वर्ष के लिये नियत किया गया है और इस बारे में प्रारम्भिक इंजीनियरिंग तथा यातायात

---

†मूल अंग्रेजी में

सर्वेक्षण कर लिये गये हैं । इसके अतिरिक्त सीनि–पेंडासली और गमहरिया–आसनबोनी और सीनि और गमहरिया के बीच एक तीसरी लाइन का निर्माण करने के वैकल्पिक सुझाव के बारे में भी विचार किया जा रहा है । इन के परिणामों का अध्ययन करने के पश्चात् इस लाइन के निर्माण का निर्णय किया जायेगा । नई लाइनों के निर्माण की रेलवे की तृतीय योजना में इस लाइन के निर्माण को शामिल नहीं किया गया है ।

रेलवे इंजन

२५२२. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टूंडला (उत्तर रेलवे) स्टेशन पर कई रेलवे इंजन मरम्मत न किये जाने के कारण बेकार खड़े हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त इंजनों के कल पुर्जे और पीतल के हिस्से चोरी चले गये हैं और रेलवे प्रशासन इस दिशा में कोई उचित कार्यवाही नहीं कर रहा है ; और

(ग) इस प्रकार भारतीय रेलवे में बेकार पड़े इंजनों की जोनवार संख्या क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं । लेकिन टूंडला शेड में १२ निकम्मे रेल इंजन पड़े हुये हैं । ये रेल इंजन १०–५–१९६३ को नीलाम किये जाने को हैं और रेलवे अधिकारी ने इनके सभी काम के पुर्जे निकाल लिये हैं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) कोई नहीं ।

रेलवे स्टेशनों पर वाटर कूलर

†२५२३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में उत्तर रेलवे के कितने स्टेशनों पर वाटर कूलर लगाये गये ; और

(ख) १९६३–६४ में कितने स्टेशनों पर वाटर कूलर लगाये जायेंगे ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) एक ।

(ख) कोई नहीं ।

सिंचाई के छोटे कार्य

†२५२४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को एक विधान बनाने की मंत्रणा दी है जिस के अन्तर्गत सिंचाई के सभी छोटे कार्य वे अपने हाथ में ले लेंगी जिन के मालिक कोई व्यक्ति विशेष अथवा कृषक वर्ग नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में भी ऐसी कार्यवाही की जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) से (ग). भारत सरकार ने सिंचाई के सभी छोटे कार्यों की देखरेख का ठीक प्रबन्ध करने की सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र शासनों को मंत्रणा दी है । सरकार ने यह उपबंध करने वाला विधान लाने की सिफारिश

---

†मूल अंग्रेजी में

की है कि (क) कार्य के कुछ भागों की देखरेख के बारे में उस से लाभ उठाने वालों के कर्त्तव्य तथा दायित्व निश्चित किये जायें; (ख) सरकार सामुदायिक सिंचाई कार्य की देखरेख की जिम्मेदारी स्थानीय संस्थाओं को सौंप सके; (ग) यदि सम्बन्धित लोग ठीक प्रबन्ध न कर पायें तो सरकार कोई उपचारिक कार्यवाही कर सके। इस विषय में कुछ अन्य सुझाव भी दिये गये हैं और राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के शासनों से प्रार्थना की गई है कि वे उन पर विचार करें और अपने राज्य संघ राज्य क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए उस में कुछ रूपभेद कर के विधान लायें। जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उन से पता चलता है कि सुझावों का परीक्षण हो रहा है।

उदयपुर-हिम्मतनगर रेलवे लाइन

२५२५. **श्री रतन लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदयपुर और हिम्मतनगर के बीच डुंगरपुर जिला होकर जो नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है उसके निर्माण-कार्य में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) अभी तक कितना व्यय हुआ है; और

(ग) वह कब तक पूरी होगी ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ३१ मार्च, १९६३ तक उदयपुर–हिम्मतनगर रेलवे लाइन के निर्माण-कार्य में कुल ५० प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) ५०२ लाख रुपये।

(ग) आशा है, यह लाइन अक्टूबर, १९६४ तक बन कर तैयार हो जायेगी।

दिल्ली राज्य क्षेत्र में मोटर कर

२५२६. **श्री ओंकारलाल बैरवा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में इस साल मोटर टैक्स वालों को १० प्रतिशत छूट दी है जो साल भर का एक मुश्त टैक्स अदा करेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस कटौती से सरकार को कितने रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा;

(ग) १९६२–६३ का कितना टैक्स आया था; और

(घ) अब इस वर्ष कटौती काट कर कितना टैक्स आने की संभावना है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। यह छूट दिल्ली मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, १९६२ के अनुसार जो पहली अप्रैल, १९६३ से लागू है, दी गयी है।

(ख) चूंकि पूरे वर्ष के कर का भुगतान एकमुश्त में किया जायगा इसलिए इस छूट से सरकार को हानि नहीं होगी। अप्रैल, १९६३ के अन्त तक इस छूट की राशि को ज्ञात करना सम्भव नहीं है क्योंकि मोटर गाड़ी के मालिकों को इस महीने तक पूरे वर्ष का कर देने का हक है।

(ग) ३९,६१,७६० रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) चालू वर्ष में इस कर से वसूल की जाने वाली राशि अनुमानतः ८० लाख रुपये होगी। इस राशि में से छूट के रूप में कम की जाने वाली राशि उन करदाताओं की संख्या पर निर्भर है जो पूरे वर्ष के कर का भुगतान एकमुश्त में करेंगे।

मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†२५२७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १३ अप्रैल, १९६३ को उत्तर-पूर्वी सीमा रेलवे के कटिहार-सिलिगुड़ी सैक्शन पर तायलेपुर रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते समय एक माल गाड़ी पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस में कितने व्यक्ति हताहत हुए और सम्पत्ति की कितनी हानि हुई; और

(ग) दुर्घटना का क्या कारण था ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) एक अप मिलिटरी स्पेशल जिस में मुख्यतः माल डिब्बे ही थे तयबपुर स्टेशन पर पटरी से उतर गई थी।

(ख) एक व्यक्ति मरा और अन्य १० को मामूली चोटें आईं।

रेलवे सम्पत्ति को लगभग १८,८७८ रुपये की हानि पहुंची।

(ग) रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त की, जिस ने दुर्घटना की जांच की, रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

उड़ीसा में संयुक्त खेती की अग्रिम योजनाएं

†२५२८. **श्री उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय योजना काल में उड़ीसा में संयुक्त खेती की अग्रिम योजनायें आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तृतीय योजना काल में इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) उड़ीसा में इस समय कितनी अग्रिम योजनायें चल रही हैं और तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष से उसके लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी हां।

(ख) १५.८६ लाख रुपये।

(ग) अभी तक पांच अग्रिम परियोजनायें आरम्भ की गई हैं जिन में ३१ सहकारी खेती समितियां संगठित की गई हैं। तृतीय योजना काल के प्रथम दो वर्षों अर्थात् १९६१–६२ और १९६२–६३ में सहकारी खेती के लिये ३.५१ लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कटिहार खजूरियाघाट सेक्शन के स्टेशनों पर सिनगल

†२५२९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्व सीमान्त रेलवे के कटिहार (बड़ी लाइन) और खजूरिया-घाट सैक्शन के स्टेशनों पर 'अपर क्वाड्रेंट टू आस्पेक्ट सिगनल'[1] लगाये गये हैं;

(ख) क्या समान्य नियमों के अन्तर्गत ऐसे सिगनल लगाये जा सकते हैं; और

(ग) क्या रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त ने इसकी मंजूरी दी है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, विशेष स्वीकृति के अनुसार ।

(ग) जी हां ।

'इंटरलाकिंग'

†२५३०. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में ऐसे कितने स्टेशन हैं जहां इंटरलाकिंग का प्रारम्भिक उपबंध नहीं किया गया है;

(ख) क्या इसके उपबंध का कोई कार्यक्रम है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी** : (क)

बड़ी लाइन (बी० जी०)	४४ स्टेशन
मीटर लाइन (एम० जी०)	२४६ स्टेशन
छोटी लाइन (एन० जी०)	२१५ स्टेशन
कुल	५०५ स्टेशन

(ख) जी हां ।

(ग) संलग्न विवरण में प्रत्येक रेलवे का वृत्तांत दिया गया है । **(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—१२६३/६३)**

रेलपथ निरीक्षक[2]

†२५३१. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी और मार्च, १९६३ में मध्य रेलवे में असिस्टेंट इंजीनियरों के पदों के चुनाव के लिये लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के लिये कितने रेलपथ निरीक्षक बुलाये गये थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Upper quadrant to aspects Signals

[2] Permanent Way Inspectors

(ख) इन में से कितने व्यक्ति अन्तिम रूप से चुने गये; और

(ग) १ अप्रैल, १९६३ को कितने पद रिक्त थे ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १८ स्थायी वे इंसपेक्टर लिखित परीक्षा के लिये बुलाये गये थे। इन में से जो १७ व्यक्ति इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उन में से ९ व्यक्ति अर्हताप्राप्त सिद्ध हुए और उन्हें २९ और ३० अप्रैल, १९६३ को आयोजित मौखिक परीक्षा के लिये बुलाये गये। एक शेष उम्मीदवार, जो लिखित परीक्षा में शामिल नहीं हो सका, उस पर बाद में विचार किया जायेगा।

(ख) इस चुनाव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) ९

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये एवरो—७४८ विमान

†२५३२. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के प्रयोग हेतु एवरो–७४८ देने के लिये कानपुर स्थित विमान निर्माण डिपो को अब तक आर्डर न देने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में आर्डर देने के लिये कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कितने विमानों के लिये आर्डर देने की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) से (ग). ज्योंहि विमान वाणिज्यिक कार्य के लिये उपलब्ध हुआ त्योंहि इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन अपने क्षेत्रीय मार्ग के लिये एवरो ७४८ विमान प्रयुक्त करेगा। कारपोरेशन इस बात पर विचार कर रहा है कि कितने विमान खरीदे जायें।

बचत बैंक की जमा का गबन

२५३३. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में घरभारा पोस्ट आफिस से पास बुक में जमा ३६,००० रुपये के कथित गबन की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो दोषी का पता लगा कर उस को उचित सजा देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या पास बुक में रुपये जमा करने वालों को रुपये देने का निणय सरकार ने कर लिया है; और

(घ) जमा करने वालों को कब तक रुपये दे दिये जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी हां। रुपयों का गबन १० बचत बैंक लेखों से किया गया।

(ख) अपराधी व्यक्ति पर, जिसे कि नौकरी से हटा दिया गया था, अदालत में मुकदमा चल रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) तथा (घ) जी हां। जैसे ही इस मामले में अदालत फैसला देगी, दावे के निपटान कर दिये जायेंगे ।

मालगाड़ी का पटरी से उतरना

†२५३४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५ अप्रैल, १९६३ को मध्य रेलवे के पूर्णिया-निजामाबाद मीटर गॉज सैक्शन पर लिम्ब गांव और नान्देड़ स्टेशन पर एक मालगाड़ी के इक्कीस डिब्बे पटरी से उतर गये;

(ख) क्या इस दुर्घटना की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) उक्त दुर्घटना लिम्बगांव और नान्देड़ स्टेशनों के बीच घटी थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) जांच समिति की उपपत्तियों की छानबीन की जा रही है ?

धान की पैदावार

२५३५. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के शाहबाद जिले में पैकेज प्रदर्शन खंडों में अधिक से अधिक प्रति एकड़ ९१ मन तथा कम से कम ३४ मन धान की उपज हुई है; और

(ख) यदि हां, तो अधिक से अधिक तथा कम से कम उपज में इस भारी अन्तर का कारण क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) १९६१–६२ में पैकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत किए गए समन्वित प्रदर्शनों के जो परिणाम उपलब्ध हुए हैं, उन के अनुसार दिनारा खंड में धान की अधिक से अधिक प्रति एकड़ औसत उपज ४४ मन ३४ सेर थी (जबकि "कंट्रोल" प्लाटों में यह उपज २४ मन १५ सेर थी) तथा शाहबाद जिले के डेहरी खंड में कम से कम प्रति एकड़ औसत उपज २१ मन ६ सेर थी (जब कि 'कंट्रोल' प्लाटों में यह उपज ६ मन थी) ।

(ख) प्रदर्शन प्लाटों की उपज जल की उपलब्धि, भूमि की किस्म, भूमि की उर्वरता फसलों की विविधता आदि अ कारणों पर निर्भर करती है। जो कि सभी खंडों में एक जैसे नहीं होते ऊपर लिखित दोनों स्थितियों में प्रदर्शन प्लाटों (जहां पर कि पैकेज के तरीके अपनाये गए हैं) की उपज में 'कंट्रोल' प्लाटों (जहां पर कि पुराने तरीके अपनाये गए हैं) की तुलना में काफी वृद्धि हुई ।

मिरज पूना सैक्शन

†२५३६. **श्री लोनीकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने मिरज-पूना मीटर लाइन (मीटर गॉज) सैक्शन को बड़ी लाइन (ब्राड गॉज) में बदलने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यह कार्य कब प्रारम्भ और कब पूर्ण होगा;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या मिरज-कूर्दवाडी छोटी लाइन (नेरो गाज) को मीटर गॉज में बदलने के लिये मिरज-पूना लाइन की पुरानी एम० जी० सामग्री काम में लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हाल ही में स्वीकृत किया गया है और उस के पूरा होने पर तुरन्त ही उपरोक्त लाइन परिवर्तन का काम प्रारम्भ किया जायेगा । लाइन परिवर्तन के उक्त काम के पूरा होने में कम से कम तीन वर्ष लगेंगे ।

(ग) जी नहीं ।

पंचायती राज संस्थायें

†२५३७. **श्री लोनीकर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (१) संसद् सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और विधान परिषद् सदस्यों को पंचायती राज्य संस्थाओं के सदस्य बनाने, और (२) गैर सरकारी पदाधिकारियों को भत्ते अथवा वेतन न देने के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या राज्यों में पंचायती राज अधिनियमों के अधीन दिये गये भत्तों का ब्यौरा बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० —१२६४/६३)

भूमि अधिग्रहण

†२५३८. **श्री लोनीकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में गैर-कृषि प्रयोजनों के लिये (१) केन्द्र और (२) राज्य सरकारों द्वारा कितने एकड़ कृषि सम्बन्धी भूमि प्राप्त की गई है ? और

(ख) बेकार और गैर-कृषि योग्य कितने एकड़ भूमि में १९६२–६३ में खेती की गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) जानकारी भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

मालगाड़ी का पटरी से उतरना

†२५३९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६ अप्रैल, १९६३ को इलाहबाद जंक्शन के रेलवे यार्ड में एक मालगाड़ी के दो वैगन पटरी से उतर गये थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस विषय में कोई जांच की गई है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) १६ अप्रैल, १९६३ को नं० ३०२ डाउन गुड्स इलाहबाद यार्ड की लाइन नं० १६ से रवाना हुई। जब सत्रहवां वैगन इंजन से डायमंड क्रासिंग पर गुजर रहा था यह उस मार्ग से पृथक मार्ग पर चला गया जिस पर ट्रेन जा रही थी। इस वैगन के आगे और पीछे के वैगन सही मार्ग अपना रहे थे। इस क्रास-पुल के कारण दूसरे मार्ग पर ३७ फीट चलने के बाद यह पटरी से उतर गया। इस तेज झटके के कारण उपरोक्त वैगन के दोनों सिरों के ड्राबार्स में ब्रेकेज हो गया और आगे के वेगन के पहियों के लेडइन पेयर पटरी से उतर गये। गाड़ी अलग हो कर रुक गई।

(ग) जी हां।

अखिल भारत कृषि सेवा

†२५४०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कृषि सेवा प्रारम्भ करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख). अखिल भारत कृषि सेवा की रचना का प्रश्न आजकल सरकार के विचाराधीन है। यह विषय अभी प्रारम्भिक स्तर पर है।

बीकानेर दिल्ली राजपथ पर दुर्घटना

२५४१. **श्री ओंकारलाल बैरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर-दिल्ली राजपथ पर कल्स्बा पड़िहारा के पास एक जीप पैट्रोल ट्रेन से टकारा गई;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का कारण क्या था ; और

(ग) कितने व्यक्ति मरे व कितने घायल हुए ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १२-४-६३ को उत्तर रेलवे के रतनगढ़ और पड़िहारा स्टेशनों के बीच एक समपार पर एक जीप माल गाड़ी से टकरा गयी। उस समपार पर चौकीदार नहीं रखा गया है।

(ख) सामने आती हुई गाड़ी को देख कर जीप का ड्राइवर समय रहते जीप को काबू में न रख सका।

(ग) एक व्यक्ति मरा और दो घायल हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार की एक्सप्रेस रेल गाड़ी से टक्कर

२५४२. **श्री ओंकारलाल बैरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ अप्रैल, १९६३ को एक क्रासिंग पर एक कार बटबाई-जियाना एक्सप्रेस रेल गाड़ी से टकरा गई जिस से कुछ आदमी मर गये और कुछ घायल हो गये; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का क्या कारण था और उस का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) बैटबाई-जियाना एक्सप्रैस नाम की कोई गाड़ी नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारियों को पुरस्कार

२५४३. **श्री ओंकारलाल बैरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेल कमचारियों को अच्छा काम करने के कारण पुरस्कार दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो पहला और दूसरा पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिये गये हैं; और

(ग) वे किस राज्य के हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां, १६-४-१९६३ को विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के २४ कर्मचारियों ने बड़ोदा हाउस, नयी दिल्ली में रेल मत्री से पुरस्कार प्राप्त किये ।

(ख) हर कर्मचारी को एक रजत पदक, एक योग्यता प्रमाण-पत्र और ५०० रुपये का एक रक्षा बचत प्रमाण-पत्र पुरस्कार में दिये गये ।

(ग) यह सुचना उपलब्ध नहीं है कि पुरस्कार पाने वाले कर्मचारी किन किन राज्यो के हैं । जिन क्षेत्रीय रेलों या रेल सिब्बदियों में वे काम करते हैं, उन का विवरण इस प्रकार है :—

	कर्मचारियों की संख्या
मध्य रेलवे	४
पूर्व रेलवे	३
उत्तर रेलवे	२
पूर्वोत्तर रेलवे	३
पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे	५
दक्षिण रेलवे	१
दक्षिण-पूर्व रेलवे	२
पश्चिम रेलवे	१
इन्टेग्रल सवारी डिब्बा कारखाना	१
चितरंजन रेल इजन कारखाना	१
रेलवे बिजली योजना	१

रेल कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तथा किराया वसूली

†२५४४. **श्री काशीराम गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक रेलवे कर्मचारी का महंगाई भत्ता, वेतन में मिला दिया गया हो अथवा पृथक रूप में दिया हो, किराया वसूली के लिये उस के पारिश्रमिक का अंश समझा जाता है, किन्तु उसे इस किराये की छूट देते समय उसे पारिश्रमिक को अंग नहीं समझा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) यह सही नहीं है कि रेलवे क्वार्टरों के किराये की वसुली के प्रयोजन हेतु महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का अंग माना जाता है। किराये की छूट के लिये इस की गणना की जाती है। महंगाई भत्ता, जिसे अधिकृत वेतन दरें लागू करने के बाद वेतन में मिला दिया गया है, मूल वेतन ही बन गया है, इसे मकान किराया वसूली और किराया छूट दोनों दृष्टियों के हिसाब में शामिल किया जाता है।

(ख) ऊपर जो कुछ अभिव्यक्त किया गया है उस से यह स्पष्ट है कि इस विषय में कोई भेद-भाव नहीं किया गया है अतः इस के लिये कारण बताने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

वाणिज्यिक संस्थानों में सेवा निवृत्त रेल पदाधिकारी

†२५४५ **श्री द्वारका दास** : क्या **रेलवे मंत्री** १० अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में मत्रालय से अनुमति प्राप्त कर रेलवे बोर्ड और भारतीय रेलवे के कितने वरिष्ठ रेलवे पदाधिकारियों ने वाणिज्यिक सस्थाओं में नौकरी कर ली है;

(ख) क्या एक नवीनतम सूची पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) इन में से कितने व्यक्ति दिल्ली में नियुक्त हैं।

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) चालीस। ३१ जनवरी १९५९ के पहले भारतीय रेलवे गैर-पेन्शन शुदा पदाधिकारियों को सेवा निवृत्ति के पश्चात प्राइवेट नौकरी स्वीकार करने के लिये पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं था किन्तु पेन्शनशुदा प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों को सेवा निवृति के दो वर्ष के भीतर अनुमति लेना आवश्यक है। ३१ जनवरी, १९५९ से गजटेड गैर पेंशनशुदा इजीनियरों को भी सेवा निवृत्ति के दो वर्ष के भीतर अनुमति लेना आवश्यक है। (ख) और (ग). विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १२६५/६३]**

रेलवे सेवा आयोग

†२५४६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सेवा आयोग ने उत्तर रेलवे में अनेक पदों के लिये विज्ञापन दिये हैं। देखिये नोटिस संख्या ६–५८–५९;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के कितने पदों के लिये विज्ञापन दिये गये हैं;

(ग) प्रत्येक पद के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) प्रशिक्षणार्थी 'जर्नी-मेन' के पदों के लिये कितने आवेदन कर्ताओं को अंतिम रूप से चुना गया है और नौकरी में ले लिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां;

(ख) १७४।

(ग) कुल ६८२। इन में केवल १८४ ही पात्र थे।

(घ) चुने जाने वालों की संख्या --४६।

नौकरी में लिये जाने वालों की संख्या --एक भी नहीं।

उपभोक्ता सहकारी भण्डार

२५४७. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री ९ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई योजना के अधीन अब तक दिल्ली में कितने थोक तथा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भडार खोले गये हैं;

(ख) क्या थोक तथा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडारों को उपरोक्त प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में वित्तीय सहायता सम्बन्धी दिये गये ब्यौरे के अनुसार वित्तीय सहायता दी गई है और यदि हां, तो थोक तथा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडारों को अलग-अलग कितनी राशि की सहायता दी गई; और

(ग) थोक भंडार प्राथमिक भंडारी को किस प्रकार की वस्तुयें देते हैं ; और क्या उन की कीमतें बाजार की कीमतों से कम हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) केन्द्र द्वारा चालू की गई योजना के अन्तर्गत दिल्ली में १ थोक भंडार और ४९ प्राथमिक भंडारों को अब तक गठित/पुनर्जीवित किया गया है।

(ख) जी हां, सरकार ने अभी तक १ लाख रु० थोक भंडार और २५ ००० रु० १० प्राथमिक भंडारों की अंश पूंजी के लिये दिये हैं ६ प्राथमिक भंडारों को ४७५७ रु० की राशि प्रबन्धकीय उपदान के रूप में भी दी गई है।

(ग) थोक भंडार ने अपने सम्बद्ध प्राथमिक भंडारों को चावल सप्लाई करना शुरू किया है, जिस की कीमत बाजार के भाव से कम है इस ने हाल ही में चीनी नियंत्रण आदेश १९६३ के अधीन सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर अपने प्रामिक भंडारों के माध्यम से वितरित करने के लिये चीनी का कोटा पी लिया है।

सैलम जिले में राष्ट्रीय राजपथ

†**२५४८. श्री कंडप्पन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैलम जिले में तामिलनाद को कर्नाटक से मिलाते हुए पैत्तूरब्डाम से कोलात्तूर होते हुए एक अन्तर्राज्यिक राष्ट्रीय राजपथ निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के सामने विचाराधीन है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जी, नहीं किन्तु अन्तर्राज्यिक सड़कों अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों, जो मद्रास राज्य में पैत्तूर को कोलात्तूर होते हुए मैसूर राज्य में माधेश्वरम को मिलाती हुई सड़क के मद्रास राज्य सैक्शन के सुधार के लिये है, केन्द्रीय सहायता

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्यक्रम के अधीन १५ लाख रुपयों का सहायता अनुदान अनुमोदित किया गया है। यह सड़क तामिलनाद और कर्नाटक में सम्बन्ध स्थापित करती है।

पास और पी० टी० ओ०

†२५४९. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो रेलवे कर्मचारी मुअत्तल हैं अथवा जो छट्टी पर हैं, (अधिकृत अथवा अनधिकृत) वे प्रीविलेज पास और पी० टी० ओ० प्राप्त करने के अधिकारी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—१२६६/६३**]

रेलवे में ठगी करने वाले

२५५०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल के अपराध विभाग ने हाल में एक ऐसे अन्तर्राज्यीय ठग गिरोह का पता लगाया है, जिसने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में रेलवे और कई व्यापारियों को ठग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस ठग गिरोह के कारनामों पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) उन ठगों व उनसे सम्बन्धित रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार कर के दण्ड दिलाने में अब तक क्या सफलता मिली है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अब तक ४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं चूंकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, इसलिये अभी इस गिरोह के कारनामों के बारे में विस्तृत विवरण देना सम्भव नहीं है।

जबलपुर इटारसी मार्ग

†२५५१. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के जबलपुर-इटारसी सैक्शन में मार्ग पर दोहरी पटरी बिछाने का काम निर्धारित समय से पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब पूरा होने की आशा है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इटारसी-जबलपुर सैक्शन का १५२.३२ मील लम्बाई वाले मार्ग को दोहरे करने का काम विभिन्न स्तरों में किया जा रहा है। ५४.१५ मील मार्ग को दोहरे करने का काम प्रगति पर है और आशा है कि यह दिसम्बर, १९६४ में पूरा हो जायेगा। शेष ८०.८२ मील मार्ग में से ७६.८२ मील १९६३–६४ के बजट में सम्मिलित किया गया है और शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह काम चौथी योजना के प्रारम्भ में पूरा होने की आशा है। बगरातवा वयाडक्ट और टनल (२ मील) और शेर ब्रिज (२ मील) को दोहरे करने के प्रश्न पर आवश्यकतानुसार विचार किया जायेगा ।

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

†२५५१-क. **श्री राम हरख यादव :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक बोर्ड स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बोर्ड के कृत्य क्या हैं और कौन उस के सदस्य हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). शिमला में हाल में हुई पर्वत विकास गोष्ठी में यह सिफारिश की गई है कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये एक उपयुक्त उच्च शक्ति ऐजेंसी स्थापित की जाये गोष्ठी की सिफारिशों पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

मैसूर में लघु सिंचाई कार्य

†२५५१.ख. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह) :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है कि मैसूर सरकार ने लघु सिंचाई कार्यों के लिये निर्धारित योजना आवंटन का कुछ भाग एक चिड़िया घर के निर्माण की ओर केन्द्रित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है;

(ग) निधियों को एक कार्य के स्थान पर दूसरे कार्य में लगाने का क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार इस प्रकार की और भयंकर अनियमितताओं को रोकने का विचार रखती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी मैसूर सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत में निरुद्ध चीनियों के विरुद्ध प्रति व्यवहार

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्न-लिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सम्बन्ध में वह एक वक्तव्य दें :—

"भारत में विरुद्ध चीनियों के उत्पीड़न तथा उनके साथ दुर्व्यवहार के बारे में न्यू चाइना न्यूज़ एजेन्सी की रिपोर्ट"

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैंने भी इस सम्बन्ध में अल्प सूचना प्रश्न भेजा था। इस प्रस्ताव में मेरा नाम शामिल नहीं किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा करना मेरे अधिकार में नहीं है। यदि मंत्री महोदय अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर देने को तैयार नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हाल में ही निष्कासित निरुद्ध व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में जो मुख्य आरोप गये लगाये हैं वह इस प्रकार हैं —

(१) कि निरूद्ध शिविर से मद्रास ले जाते समय उनके साथ दुर्व्यवहार तथा उत्पीड़न किया गया ;

(२) कि जहाज पर चढ़ते समय उनके पास उनका सामान नहीं था ;

(३) कि वह जो कुछ कपड़े पहने हुए थे उनके अतिरिक्त उनके पास कपड़े नहीं थे तथा धन भी नहीं था ;

(४) कि उनमें से कुछ व्यक्तियों के पासपोर्ट छीन लिए गए थे।

इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। तथ्य इस प्रकार है :—

(१) निरुद्ध व्यक्तियों को देवली से मद्रास विशेष रेलगाड़ी द्वारा ले जाया गया जिसमें सभी प्रकार की सुविधायें थीं जैसे पर्याप्त स्थान, सफाई, योजन, चिकित्सा सुविधा, आदि। रेलगाड़ी के साथ साथ उदारता से खाद्यान्न भेजे गये थे तथा रेलगाड़ी के साथ सम्बद्ध योजन यान में भोजन बनाने की व्यवस्था थी। दो डाक्टर तथा छः नर्सें भी निरुद्ध व्यक्तियों के उपचार के लिये प्रतिनियुक्त किए गए थे।

(२) सामान्य सामान नियमों के अधीन ग्राह्य व्यक्तिगत सामान निरूद्ध व्यक्ति ले जा सकते हैं। कपड़ों के अतिरिक्त इसमें व्यक्तिगत तथा मकान का सामान जैसे घड़ियां, फाउन्टेन पैन, १ कैमरा प्रति परिवार, व्यक्तिगत जवाहरात १००० रुपये प्रति परिवार, फरनीचर, बर्तन, क्रोकरी आदि आता है। कुछ परिवारों के पास २० से २५ मद सामान था। सीमा शुल्क अधिकारियों ने ९०० निरूद्ध व्यक्तियों का सामान तीन घंटे में निकाल दिया था।

(३) प्रत्येक परिवार को ५० पौंड (६६६ रुपये) के बराबर धनराशि लेजाने की अनुमति थी। यह देश से जाने वाले व्यक्तियों को न मिलने वाली विशेष रियायत दी गई।

(४) क्योंकि निरुद्ध व्यक्ति अपने देश को, अपने जहाज़ों में लौट रहे थे इसलिये उनको पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी। परन्तु उनको बिना किसी औपचारिक बातों के विशेष बाहर जाने की अनुमतिपत्र दिया गया था।

†**श्री हेम बरुआ** : क्योंकि चीन इस देश में चीनी निरूद्ध व्यक्तियों के सम्बन्ध में झूठा तथा भ्रमपूर्ण प्रचार कर रहा है मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उनके इस झूठ को झुठलाने के लिए विश्व में अपना प्रचार करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी हां। मैं इस सम्बन्ध में सार्वजनिक सभाओं में कई बार कह चुका हूं। यह समाचारपत्रों में भी आ चुका है। हमने पेकिंग में श्री बनर्जी को भी इसकी सूचना दे दी है। उन्होंने भी इन कहानियों का विरोध किया है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में दिया गया मेरा उत्तर भी प्रचार में सहायक होगा।

†**श्री हेम बरुआ** : विश्व के अन्य देशों में क्या किया गया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : विश्व में हमारी बड़ी प्रतिष्ठा है तथा मैं नहीं समझता कि उन बातों पर अन्य किसी देश में विश्वास किया गया है।

तृतीय योजना काल में खाद्य उत्पादन के लक्ष्यों में कथित कमी

†**श्री सुबोध हंसदा** (झाड़ग्राम) : नियम, १९७ के अन्तर्गत मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान निम्न लिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में वह एक वक्तव्य दें :—

'तृतीय योजना काल में खाद्य उत्पादन के लक्ष्यों में कथित कमी'

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : हमने कल स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार देखा है।

खाद्य उत्पादन के १९६२–६३ की पूरी रिपोर्ट अभी हमें नहीं मिली है। तथ्य यह है कि रवी की फसल अभी उठायी जा रही है और ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है कि स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार को सच माना जाये। यह कहना भी ठीक नहीं है कि हमने लगभग ८३० लाख टन का खाद्यान्नों का उत्पादन होने की आशा की थी। खाद्यान्नों का उत्पादन तीसरी योजना में पहले वर्ष में अर्थात् १९६१–६२ में ७९८ लाख टन था। योजना आयोग द्वारा परिचालित पत्र के अनुसार १९६२–६३ के खाद्यान्नों के उत्पादन आंकड़े ८०८ लाख टन होने की संभावना है। योजना के पहले पांच वर्षों अर्थात् १९४६–५७ से १९५०–५१ में खाद्यान्नों का औसत उत्पादन ५८१ लाख मीट्रिक टन था। पहली योजना के पांच वर्षों में यह ६५८ लाख टन था तथा दूसरी योजना के पांच वर्षों में यह ७४९ लाख टन था। इन आंकड़ों की तुलना में तीसरी योजना के पहले दो वर्षों के उत्पादन आंकड़े निश्चित रूप से अधिक हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा** : यह कल के समाचार पत्रों के समाचार पर आधारित नहीं है। यह योजना आयोग का विचार है कि खाद्य उत्पादन उससे कम हो गया है जिसकी मंत्रालय ने आशा की थी। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय के दावे के अनुसार हमारे देश में सिंचाई का विकास हो गया है तथा रासायनिक उर्वरक बढ़ गया है तो इस कमी के अन्य कारण क्या हैं ? क्या यह सच है कि किसान कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रति उत्साही नहीं हैं अथवा सरकार के संगठन में कमी है जिसके कारण देश में उत्पादन कम हो रहा है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हम प्रशासन को सक्रिय कर रहे हैं तथा यह सच है कि ४७ लाख एकड़ में सिंचाई का अभी उपयोग करना है क्योंकि हमें गांवों में गलियां बनानी हैं। उर्वरक की भी हमें ६.५ लाख टन की आवश्यकता थी परन्तु मिला केवल ४.६१ लाख टन।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न राज्यों के खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त प्रतिवेदनों में दिया गया है कि, इस वर्ष खाद्यान्नों की कमी होगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हम लक्ष्य का इतना ध्यान नहीं रखते हैं क्योंकि कमी कभी लक्ष्य कम होने पर भी उत्पादन बढ़ जाता है जैसा १९५८–५९ में हुआ। तथ्य से उत्पादन १२ लाख टन बढ़ गया। परन्तु मैं आशा करता हूं कि हम लक्ष्य पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : १९६२ में माननीय मंत्री ने सभा में बताया था कि हमारे गोदाम भरे हुए हैं तथा हम उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे जो इनके दाम बढ़ाने का प्रयत्न करेगा ? मैं जानना चाहती हूं कि इस वायदे को क्या पूरा कर दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल)** : यह सच है कि कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। यह हमारे इतिहास में सबसे अधिक है। इस में कोई ग़लत बात नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि चोर बाज़ारी करने वाले इसका लाभ न उठायें तो हमारा यह कहना ठीक है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : आंकड़े क्या हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : ३३५ लाख टन के आंकड़े थे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या यह सच है कि खाद्यान्नों की कमी के कारण मूल्य बढ़ गये तथा बढ़ रहे हैं तथा यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि निकट भविष्य में मूल्य न बढ़ें ?

†**श्री स० का० पाटिल** : कमी की बात कहने पर मूल्य बढ़ जाते हैं। हमारे गोदाम भरे पड़े हैं तथा कोई कारण नहीं कि मूल्य बढ़ें।

†**श्री दाजी** : क्या यह सच नहीं है कि गत वर्ष की तुलना में ३० लाख टन इस वर्ष कम है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जी नहीं। मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं क्योंकि फसल अभी बाजार में नहीं आई है।

†**श्री प्रभातकार** : क्या स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार सच हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह मेरे द्वारा दिए गए समाचार नहीं हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : माननीय मंत्री ने बताया कि मूल्य कुछ व्यक्तियों की कल्पना मात्र है। क्या वह इसको गलत बतायेंगे कि कलकत्ते में इस समय चावल के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : कलकत्ते के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं । संभवतया आपको याद होगा कि हमने बताया था कि जहां पर मूल्य बढ़ेंगे वहां पर हम उचित मूल्य की दूकानें खोलेंगे। हमने ऐसा ही वहां पर किया तथा मूल्यों को ठीक रखने का प्रयत्न किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८-क की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २५ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२१६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—१२३२/६३]

१९६२ के लिए गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)**: श्री राज बहादुर की ओर से मैं वर्ष १९६२ के लिये गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के प्रतिवेदन के हिन्दी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—१२३३/६३]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) दिनांक ३० मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ९४४ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६३।

(दो) दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३६ में प्रकाशित उर्वरक (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६३।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—१२३४/६३]

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)**: मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १८ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—१२३५/६३]

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के १९६०-६१ तथा १९६१-६२ के वार्षिक लेखे तथा विमान निगम नियम १९५४ के अधीन पत्र

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(५) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा १५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ के लिए इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वार्षिक लेखे की एक प्रति और उसका लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(६) विमान निगम नियम, १९५४ के नियम ३ के उप-नियम (५) के अन्तर्गत

---

†मूल अंग्रेजी में

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) वर्ष १९६३-६४ के लिए इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के राजस्व तथा व्यय के आय-व्ययक प्राक्कलनों का सारांश।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्ष १९६१-६२ के लिए वास्तविक आंकड़ों का सारांश, वर्ष १९६२-६३ के लिए आय-व्ययक प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष १९६३-६४ के लिए पूंजी के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राक्कलन।

(ग) वर्ष १९६३-६४ के लिए एयर-इण्डिया कारपोरेशन के राजस्व तथा व्यय के आय-व्ययक प्राक्कलनों का सारांश।

(घ) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्ष १९६१-६२ के लिए वास्तविक आंकड़ों का सारांश, वर्ष १९६२-६३ के लिए आय-व्ययक प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष १९६३-६४ के लिए पूंजी के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राक्कलन।

[पुस्तकालय में रखी गयीं। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० --१२३६/६३, एल० टी०—१२३७/६३, एल० टी० १२३८/६३, एल० टी--१२३९/६३, तथा एल० टी० १२४०/६३]

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही-सारांश

†**श्री मुरारका** (झुंझुनू): मैं वर्तमान सत्र में हुई सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की तीसरी बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही-सारांश

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर): मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) निम्नलिखित के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश की एक-एक प्रति:—

(क) वित्त मंत्रालय (आर्थिक-कार्य विभाग)—अनुदानों की मांगों के प्रपत्र और विषय वस्तु के पुनरीक्षण के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन;

(ख) खान और ईंधन मंत्रालय—कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयले की ढुलाई, कोयला बोर्ड, कोयला धोने के कारखाने, भारत की कोयला परिषद् आदि के बारे में तैंतीसवां प्रतिवेदन;

(ग) प्रक्रिया सम्बन्धी तथा विविध विषय।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दासप्पा]

(२) प्राक्कलन समिति की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी उप-समिति के सामने दिये गये साक्ष्यों के कार्यवाही-सारांश और निम्नलिखित रिपोर्टों से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश की एक-एक प्रति:—

(क) खान और ईंधन मंत्रालय—इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड के बारे में अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ;

(ख) खान और ईंधन मंत्रालय—राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के बारे में बत्तीसवां प्रतिवेदन ;

(ग) खान और ईंधन मंत्रालय—इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड के बारे में चौंतीसवां प्रतिवेदन; और

(घ) वित्त मंत्रालय—भारत के औद्योगिक वित्त निगम के बारे में छत्तीसवां प्रतिवेदन।

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति

पहला प्रतिवेदन

†**श्री ज० रा० मेहता** (पाली) : मैं लाभ पद संबंधी संयुक्त समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

तारांकित प्रश्न संख्या ९५० के उत्तर में शुद्धि

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : १९ अप्रैल, १९६३ को तारांकित प्रश्न संख्या ९५० के भाग (क) तथा (ख) का उत्तर देते समय मैंने बताया था कि जब मैसर्स साहू जैन लिमिटेड को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के आल्दा में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिए जो लैटर आफ इंटैंट दिया गया था उस समय विवियन बोस प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ था। इसी प्रकार प्रश्न के अनुपूरक प्रश्नों के समय मैंने बताया था कि जब लैटर आफ इंटैंट दिया गया था उस समय विवियन बोस आयोग का प्रतिवेदन नहीं मिला था।

मेरे उत्तर पर किए गए प्रश्नों के बाद मैंने मामले पर और विचार किया और अब मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। यह सच है कि जब लैटर आफ इंटैंट जारी किया गया था उस समय इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में विवियन बोस जांच आयोग का प्रतिवेदन नहीं था तथा प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया गया था। परन्तु यह सच है कि प्रतिवेदन का प्रथम भाग वाणिज्य तथा उद्योग समवाय विधि-प्रशासन विभाग में १८ जून, १९६२ को आगया था। प्रतिवेदन का भाग २—३१ अक्तूबर, १९६२ को मिला था। आयोग का प्रतिवेदन २३ जनवरी, १९६३ को संसद् में रखा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

जैसा मैंने बताया आयोग के प्रतिवेदन पर अब विचार करके लाइसेंस दिया जायेगा।

†**श्री बाजी** (इन्दौर): क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय को बताया है कि अब लाइसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिए।

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने विवियन बोस आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और इसीलिए केवल लैटर आफ इंटेंट जारी किया गया था। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध कुछ नहीं किया जायेगा।

प्राक्कलन समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर): मैं सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय—राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (रिपोर्ट तथा लेखे) के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के एक-सौ-पचपनवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समिति के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : श्री कानूनगो की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा ४ की उप-धारा (३) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन श्री डोडा तिम्मय्या के स्थान पर, जिन्होंने बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा ४ की उपधारा (३) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन श्री डोडा तिम्मय्या के स्थान पर, जिन्होंने बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुरस्थापित तथा पारित

सदस्य के निलम्बन के बारे में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर): श्रीमान, मैं आपसे २२ तारीख को भी मिला था। मैं समझता था कि मैं २९ तारीख को प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकूंगा क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आज ऐसा करना संभव होगा। संभवतया मैंने औपचारिकतायें पूरी नहीं की थीं। परन्तु ऐसा हाल में ही हुआ था कि प्रस्ताव एकदम प्रस्तुत कर दिया गया। श्री कछवाय का निलम्बन संभवतया अब हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि अब बहुत दिन हो गये हैं। माननीय सदस्य ने क्षमा प्रार्थना आपके पास भेज दी है। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि सभा इन सदस्यों का निलम्बन समाप्त कर देगी।

†**अध्यक्ष महोदय**: मुझे माननीय सदस्य की प्रार्थना कल मिली थी। परन्तु यह दो तीन लाइनें थी और नियमित नहीं थी। आज उन्होंने मुझे औपचारिक रूप में लिखा है। मैंने उनके द्वारा मुझे लिखे गये पत्र को भी मंगवाया है। इन दोनों को एक साथ परिचालित किया जायेगा जिससे उनको मालूम हो सके श्री कछवाय ने क्या लिखा है। तब मैं उनको प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दूंगा।

विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६३

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उनके लिये स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उनके लिये स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उनके लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उन के लिये स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिये भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान, मेरा एक औचित्य प्रश्न है । मैं आपका ध्यान नियम ७४ की ओर दिलाना चाहता हूं । उसमें दिया है कि :

"विधेयक जब पुर: स्थापित किया जाय तब या उसके बाद किसी अवसर पर, अपसाधक सदस्य अपने विधेयक के बारे में निम्न प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव कर सकेगा ।"

अभी जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह उन्हीं प्रस्तावों में से एक है । परन्तु परन्तुक २ में यह दिया गया है :

"परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई प्रस्ताव उस समय तक नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग के लिये उपलब्ध न कर दी गई हों, और यदि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से दो दिन पहले इस तरह उपलब्ध न कर दी गई हों तो कोई सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव के किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि अध्यक्ष प्रस्ताव किये जाने की अनुमति न दे दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी ।

मैं बताना चाहता हूं कि आज जो विधेयक पुर:स्थापित किया गया है उसकी प्रतियां हमें आज सबेरे ही मिली है जब कि यह हमको दो दिन पहले मिल जानी चाहिये थी । इसलिए नियम के अधीन इस विधेयक पर कल विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस पर प्रत्येक सदस्य को आपत्ति करने का अधिकार है । परन्तु मंत्री महोदय ने मुझे लिखा था कि उन्हें इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की विशेष रूप में अनुमति दी जाये क्योंकि अन्य विषयों पर अधिक समय ले लिए जाने के कारण उन्हें डर था कि कहीं यह रह न जाये । मैंने इसी लिए इसको प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है ।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : महा लेखापरीक्षक ने कहा है कि प्रतिवर्ष वही गलती की जाती है कि दौरों सम्बन्धी व्यय की राशि वर्ष के अन्त में छोड़ दी जाती है । सरकार को आश्वासन देना चाहिये कि भविष्य में इस की पुनरुक्षि नहीं होगी ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता जो पूरी न हो सके । कोई गलती नहीं करेगा, मैं कैसे कह सकता हूं ? मैं इतना कह सकता हूं कि इस बात की ओर ध्यान दिया जाएगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उन के लिये स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ?"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, ३, १ अनुसूची अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २, ३, १, अनुसूची, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्द यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनिवार्य ~~मकूल~~ जमा योजना विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब इस विधेयक पर खण्डवार विचार किया जाएगा।

श्री दाजी (इन्दौर) : महा न्यायवादी तथा अन्य कानूनी सलाहकारों की रिपोर्ट सदस्यों को दी जाए।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं प्रयत्न करूंगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : महान्यायवादी को सभा में बुलाकर आपने सभा की प्रभुता को कायम रखा है।

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :** अब कानूनी बातों का उत्तर मिल चुका है, अतः मुझे महान्यायवादी द्वारा बताई गई बातों में कहीं कुछ और नहीं जोड़ना है। अब प्रश्न दुकानदारों किसानों और वेतन वाले लोगों का है, जिन के सम्बन्ध में सीमा को १५०० से बढ़ाने के लिये कहा गया है। हम ने खण्ड ७ख के अन्तर्गत शक्तियां प्राप्त की है जिस में कहा गया है कि जहां आवश्यकता होगी हम छूट दे सकेंगे। किन्तु मैं ५ रु० लगान की सीमा को बढ़ाने को तैयार नहीं, क्योंकि यह विधेयक की योजना के अनुसार ठीक नहीं।

यह बात १५०० रु० की सीमा के बारे में है। मैं पहले भी इस का स्पष्टीकरण कर चुका हूं।

मैं सरकारी संशोधन से भिन्न संशोधनों का विरोध करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले मैं सरकारी संशोधनों को मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

(१) पृष्ठ ३, पंक्ति २ से ५ के लिये निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(a) in the case of a person falling under clause (a) of section 2, fifty per cent of the land-revenue (including surcharge thereon, if

---

†मूल अंग्रेज़ी में

any,) payable in respect of the land or lands held by him in the year for which the deposit is required to be made.

Explanation :—In this clause 'year' means the year with reference to which land-revenue, is payable under any law with respect to land-revenue ; ".

[" (क) धारा २ के खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति के मामले में उसके द्वारा उस वर्ष में, जिस के सम्बन्ध में जमा की जाती है, धृत भूमि और भूमियों के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व का ५० प्रतिशत (उस पर अधिभार सहित, यदि कोई हो तो,) ।।

व्याख्या:—इस खंड में "वर्ष" का अर्थ उस वर्ष से है जिस के सम्बन्ध में, भू-राजस्व से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन, भू-राजस्व देय है ; ।] (८५)

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति ११ से १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"Provided that where the property is assessed to such tax not with reference to its annual rental value, the maximum rate of deposit under this clause shall be twelve and a half per cent. of such tax ;".

["किन्तु जहां सम्पत्ति पर ऐसे कर का निर्धारण इस के वार्षिक किराया अनुसार मूल्य के आधार पर न किया गया हो, इस खण्ड के अन्तर्गत अधिकतम जमा की दर ऐसे कर की $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत होगी ; "।] (८६)

(३) पृष्ठ ३, पंक्तियां २२ से २५ हटा दी जाएं । (८७)

(४) पृष्ठ ४, पंक्ति २९ के पश्चात् निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(5A) Where a person falling under clause (d) of section 2 pays in any year any sum,

(i) to effect or to keep in force any insurance on the life of such person or on the life of the wife or husband of such person ; or

(ii) as a contribution to any provident fund to which the Provident Funds Act, 1925, applies to any "recognised provident funds" as defined in clause (38) of section 2 of the Income-tax Act ; or

19 of 1925.

(iii) in a ten-year account or a fifteen-year account under the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposit) Rules, 1959, as amended from time to time,

he shall not be liable to make any compulsory deposit under this section for that year if such sum is not less than eleven per cent of his annual income from salary.";

"(५क) जहां धारा २ के खण्ड (घ) के अन्तर्गत आने वाला कोई व्यक्ति किसी वर्ष में,

(१) किसी ऐसे व्यक्ति के स्वयं के जीवन का अथवा ऐसे व्यक्ति की पत्नी अथवा पति के जीवन का बीमा कराने के अथवा उस को चालू रखने के लिये, अथवा

(२) आय-कर अधिनियम की धारा २ के खण्ड (३८) में परिभाषित मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के सम्बन्ध में लागू होने वाले भविष्य निधि अधिनियम, १९२५ का १९ १९२५, के अन्तर्गत आने वाली किसी भविष्य निधि में अंशदान के रूप में; अथवा

(३) डाक-घर बचत बैंक (संचयी सावधि जमा) नियम, १९५९, समय-समय पर रुप भेदित रूप में, के अधीन किसी १० वर्षीय लेखे अथवा १५ वर्षीय लेखे में ;

कोई राशि देता है, यदि ऐसी राशि उस की वेतन से प्राप्त वार्षिक आय के ११ प्रतिशत से कम नहीं है तो वह इस धारा के अधीन कोई भी अनिवार्य जमा नहीं करेगा।";] (८८)

(५) पृष्ठ ४, पंक्ति ३५, "four percent per annum"["४ प्रतिशत प्रति वर्ष" के पश्चात् निम्नलिखित रख दिया जाये—

"to be calculated from the first day of the month immediately following the month in which the deposit is made to the last day of the month immediately preceding the month in which it is repaid (both days inclusive)".

["इस की गणना जमा किये जाने वाले मास के तुरन्त बाद वाले मास के प्रथम दिन से रुपया वापिस दिये जाने वाले महीने के तुरन्त पहले वाले मास के अन्तिम दिन तक की जायेगी (दोनों दिन सम्मिलित होंगे)।" (८९)

(६) पृष्ठ ५, पंक्ति २ और ३ में "In the event of the death of the depositor if the authority" ["जमा कराने वाले की मृत्यु हो जाने पर यदि अधिकार—पत्र"] के स्थान पर "in any case in which the authority" ["किसी भी अवस्था में जिस में अधिकार पत्र "] रख दिया जाये ।

(९०)।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये और स्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"खंड ४, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में १८८ और विपक्ष में ४०।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड—५ (अनिवार्य जमा बचत)

संशोधन किये गये :

(१) पृष्ठ ५, पंक्ति २५, अन्त में "or by whom penality is for failure to make deposits may by levied." ["अथवा जिन के द्वारा जमा न करने के लिये दण्ड लगाया जा सके"] जोड़ा जाए; (९१)।

(२) पृष्ठ ५ पंक्ति ३४ के पश्चात्

(gg) the exemptions, if any, to be granted in exercise of the powers under Section 7B ;

"(ggg) the delegation of powers in persuance of section 7C."

"(छछ) धारा ७ ख के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए यदि, कोई छूट देनी है ;

(छछछ) धरा ७ग के अनुसार शक्तियों का प्रत्यायोजन।" (९२)

पृष्ठ ५, पंक्ति ३९ के पश्चात् जोड़ा जाए —

(3) A scheme framed under this section may provide that all or any of its provisions shall take effect either prospectively or retrospectively on such date as may be specified in this behalf in the scheme.

(4) Any scheme framed under this section shall have effect notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, other than this Act, or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act."

["(३) इस धारा के अन्तर्गत बनाई गई योजना में उपबन्ध किया जा सकता है कि इसके सभी या कोई उपबन्ध ऐसी तिथि को, जो इस सम्बन्ध में योजना में निर्धारित की जाए, भावी प्रभाव में या भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा ;

(४) इस धारा के अन्तर्गत बनाई गई यह योजना —

इस अधिनियम से भिन्न, अथवा इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि द्वारा प्रभाव रखने वाले किसी नियम, से भिन्न, इस समय प्रचलित किसी विधि के उपबंध के बावजूद, प्रभावी होगी।" (९३) (**श्री मोरारजी देसाई**) :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड ६ और ७ विधेयक में जोड़े गये।

नये खण्ड ७क, ७ख, और ७ग

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

पृष्ठ ६, पंक्ति ४ के पश्चात् निम्न जोड़ दिया जाए :—

7A. Where the State Government has suspended payment of land revenue, or reduced or remitted the amount of

---

मूल अंग्रेजी में

Power to suspended, reduce or remit the amount of compulsory deposit.

land revenue payable in any year in respect of any and, then, the Central Government may, by order, suspend payment of the compulsory deposit, or reduce or remit the amount of such deposit payable in that year under section 4 by a person falling under clause (a) of section 2.

Power to exempt.

7B. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, either in the public interest or having regard to the peculiar circumstances of any case, it may, by notifiction in the official Gazette and subject to such conditions, if any, as it may specify in the notification,—

(a) exempt any person of class of persons from the operation of all or any of the provisions of this Act ; and

94

(b) cancel any such notification and again subject, by a like notification, the person or class of persons to the operation of such provisions.

Power to delegate.

7C. The Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any power which may be exercised by it under this Act, other than the power under section 5 or the power under this section, shall, subject to such restrictions and conditions, if any, as it may specify in the notification, be exercised also by—

(a) such officer or authority subordinate to the Central Government, or

(b) such State Government or such officer or authority subordinate to a State Government, or

(c) such other officer or authority, as may be specified in the notification."

अनिवार्य जमा की राशि को निलंबित करने, घटाने या छूट देने की शक्ति।

७क. जहां राज्य सरकार ने किसी भूमि के लिये किसी वर्ष में दिये जाने वाला भूमि का लगान निलंबित कर दिया है या घटा दिया है या छूट दे दी है, तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अनिवार्य जमा को निलंबित कर सकती है या घटा सकती है या उस की छूट दे सकती है, जो धारा २ के खण्ड (क) के अन्तर्गत आन वाले किसी व्यक्ति को धारा ४ के अन्तर्गत उस वर्ष में देनी हो।

छूट देने की शक्ति

७.ख. जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि लोकहित की दृष्टि से अथवा किसी मामले की विशिष्ट परिस्थितियों की दृष्टि से, एसा करना आवश्यक या वांछनीय है, तो वह सरकारी गजट में और जो शर्तें वह लगाना चाहे, उन्हें अधिसूचना में वार्णत करके अधिसूचना द्वारा :

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम के सभी या किसी उपबंध के लागू होने से मुक्त कर सकती है, और

(ख) ऐसी किसी अधिसूचना को रद्द कर सकती है और पुनः वैसी ही अधिसूचना के द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उन उपबंधों के अधीन ला सकती है।

प्रत्यावर्तन की शक्ति

७ग. केन्द्रीय सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा निदेश कर सकती है कि धारा ५ के अन्तर्गत या इस धारा के अन्तर्गत शक्ति से भिन्न, इस अधिनियम के अन्तर्गत जिस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, वह यदि हो, तो उनको अधिसूचना में निर्दिष्ट करके, उन प्रतिबंधों तथा शर्तों के अधीन शक्तियों का प्रयोग

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी अफसर या प्राधिकारी द्वारा, या

(ख) उस राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीन उस अफसर या प्राधिकारी द्वारा, या

(ग) अधिसूचना में निर्दिष्ट ऐसे दूसरे अफसर या प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है।"] (९४)

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

Power to suspend, reduce or remit the amount of compulsory deposit.

7A. Where the State Government has suspended payment of land revenue, or reduced or remitted the amount of land revenue, payable in any year in respect of any land, then, the Central Government may, by order, suspend payment of the compulsory deposit, or reduce or remit the amount of such deposit payable in that year under section 4 by a person falling under clause (*a*) of section 2.

Power to exempt.

7B. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expendient so to do, either in the public interest or having regard to the peculiar circumstances of any case, it may, by notification in the official Gazette and subject to such conditions, if any, as it may specify in the notification,—

(*a*) exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of this Act, and

94. (*b*) cancel any such notificaion and again subject, by a like notification, the person or class of persons to the operation of such provisions.

Power to delegate.

7C. The Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any power which may be exercised by it under this Act, other than the power under section 5 or the power under this section, shall, subject to such restrictions and conditions, if any, as it may specify in the notification, be exercised also by—

(*a*) such officer or authority subordinate to the Central Government, or

(*b*) such State Government or such officer or authority subordinate to a State Government, or

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

(c) such other officer or authority, as may be specified in the notification."

अनिवार्य जमा की राशि को निलंबित करने, घटाने या छूट देने की शक्ति।

[७ क. जहां राज्य सरकार ने किसी भूमि के लिये किसी वर्ष में दिये जाने वाला भूमि का लगान निलंबित कर दिया है या घटा दिया है या छूट दे दी है, तो, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अनिवार्य जमा को निलंबित कर सकती है या घटा सकती है या उस की छूट दे सकती है, जो धारा २ के खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति को धारा ४ के अन्तर्गत उस वर्ष में देनी हो।

छूट देने की शक्ति

७ ख. जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि लोकहित की दृष्टि से अथवा किसी मामले की विशिष्ट परस्थितियों की दृष्टि से, ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय है, तो वह सरकारी गजट में और जो शर्तें वह लगाना चाहे, उन्हें अधिसूचना में वर्णित करके, अधिसूचना द्वारा:

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम के सभी या किसी उपबंध के लागू होने से मुक्त कर सकती है, और

(ख) ऐसी किसी अधिसूचना को रद्द कर सकती है और पुनः वैसी ही अधिसूचना के द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उन उपबंधों के अधीन ला सकती हैं।

प्रत्यावर्तन की शक्ति

७ ग. केन्द्रीय सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा निदेश कर सकती है कि धारा ५ के अन्तर्गत या इस धारा के अन्तर्गत शक्ति से भिन्न, इस अधिनियम के अन्तर्गत जिस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, वह यदि हों तो उनको अधिसूचना में निर्दिष्ट करके, उन प्रतिबंधों तथा शर्तों के अधीन, शक्तियों का प्रयोग :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी अफसर या प्राधिकारी द्वारा, या

(ख) उस राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीन उस अफसर या प्राधिकारी द्वारा, या

(ग) अधिसूचना में निर्दिष्ट ऐसे दूसरे अफसर या प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है।"] (९४)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नये खण्ड ७ क, ७ख और ७ग विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ७ क, ७ ख और ७ ग विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ९ (जमा न करने के लिये जुर्माना)

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

(१) कि पृष्ठ ६, पंक्ति १५ में "an amount equal to" ["बराबर राशि"] के स्थान पर " an amount not exceeding " ["से अनधिक राशि"] शब्द रखे जाएं । (९५)

(२) पृष्ठ ६, पंक्ति २० और २१ में, "any company or other corporation referred to in clause (d) of section 2" ["धारा २ के खण्ड (घ) में उल्लिखित किसी समवाय या अन्य निगम" के स्थान पर "any person " ["कोई व्यक्ति"] शब्द रखे जाएं । (९६)

(३) पृष्ठ ६, पंक्ति २४ में "that-company or other corporation" ["वह समवाय या दूसरा निगम"] के स्थान पर "that person" ["वह व्यक्ति"] शब्द रखे जाएं । (९७)

†**श्री बड़े** : मैं अपने संशोधन संख्या ११५ और ११६ प्रस्तुत करता हूं । जुर्माने के रूप में ली गई राशि भी किसान को उसके जमा की राशि के समान ५ वर्ष पश्चात् लौटा दी जानी चाहिये । यदि जमा न करने के लिये उस व्यक्ति के पास पर्याप्त कारण हो, तो जांच अधिकारी को अधिकार होना चाहिये कि वह उसको मुआफ कर सके ।

†**श्री रंगा** : जुर्माना या दण्ड का खण्ड ही नहीं होना चाहिये, क्योंकि किसान की बचत बहुत ही कम होती है । और यदि इस खण्ड को रखना ही है, तो श्री बड़े का संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । लोगों को पर्याप्त अवसर दिया जाए कि वह यह सिद्ध कर सकें कि उन पर दण्ड नहीं लगना चाहिये ।

†**श्री काशीराम गुप्त** : जुर्माना १०० प्रतिशत की जगह ५० प्रतिशत होना चाहिये । पृष्ठ ६, पंक्ति १५ में "an amount to equal to"["के बराबर राशि"] के स्थान पर "Half" ["आधी"] रखा जाए । (७१)

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं इस संशोधन को स्वीकार का सकता हूं, अन्य संशोधनों को नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ६, पंक्ति १५ में "an amount equal to" ["के बराबर राशि"] के स्थान पर "Half" ["आधी"] रखा जाए । (७१)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११५ और ११६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

(१) पृष्ठ ६, पंक्ति १५ में "an amount equal to" ["के बराबर राशि"] के स्थान पर "an amount not exceeding" ["से अनधिक राशि"] शब्द रखे जाएं । (९५)

(२) पृष्ठ ६, पंक्ति २० और २१ में "any company or other corporation referred to in clause (d) of section 2" ["धारा २ के खण्ड (घ) में उल्लिखित किसी समवाय या अन्य निगम ।] के स्थान पर "any person" ["कोई व्यक्ति"] शब्द रखे जाएं । (९६)

(३) पृष्ठ ६, पंक्ति २४ में "that company or any other Corporation" ["वह समवाय या दूसरा निगम"] के स्थान पर "that person ["वह व्यक्ति"] शब्द रखे जाएं । (९७)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १० और ११ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ११-क

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

पृष्ठ ६ में पंक्ति ३९ के पश्चात् यह जोड़ा जाये :—

Power to remove difficulties. 11A. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act or of any scheme framed thereunder the Central Govt. may, by order as occasion requires do anything, (not in consistent with this Act) which appears to it to be necessary for removing the difficulty."

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति [११क. यदि इस अधिनियम के उपबंधों या इस के अधीन बनाई गई किसी योजना को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई आती है, तो केन्द्रीय सरकार, आदेश के द्वारा, जैसा अवसर के अनुसार आवश्यक हो, कोई काम कर सकती है (जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो) जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत होता हो ।"] (९८)

यह नया खण्ड कठिनाइयों को दूर करने के लिये तथा अधिनियम की भावनाओं को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार को आदेश जारी करने की शक्ति देने के लिये है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ६ में पंक्ति ३९ के पश्चात् यह जोड़ा जाये :—

Power to remove deffículties : 11 A. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act or of any scheme framed thereunder the Central Govt. may, by order as occasion requires, do anything, (not in consistent with this Act) which appears to it to be necessary for removing the difficulty."

---

†मूल अंग्रेजी में

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

[११क. यदि इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाई गई किसी योजना को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई आती है, तो केन्द्रीय सरकार, आदेश के द्वारा, जैसा अवसर के अनुसार आवश्यक हो, कोई काम कर सकती है (जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो) जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत होता हो । "] (९८)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११-क विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ११-क विधेयक में जोड़ा गया ।

खण्ड १२ विधेयक में जोड़ा गया ।

खण्ड १ (छोटा नाम, विस्तार तथा आरम्भ)

†**श्री पु० र० पटेल** : मैं अपना संशोधन संख्या ३२ प्रस्तुत करता हूं । संकटकाल समाप्त होने के पश्चात् यह विधेयक समाप्त हो जाना चाहिये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह संकटकालीन उपाय नहीं है । मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

संशोधन संख्या ३२ सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : मैं इस का विरोध करता हूं क्योंकि इस से किसानों, कम वेतन वालों, मध्यम वर्ग के लोगों पर, जो पहले ही ऋणग्रस्त हैं, बड़ा भार पड़ेगा । किसानों के प्रति भेदभाव किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

महान्यायवादी को सभा में बुलाने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने सदस्यों की बात को मान कर राजनीतिज्ञता का परिचय दिया है, जिस के लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं ।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : हम विधेयक की योजना से तो सहमत हैं । परन्तु दुःख है कि वेतन वाले लोगों, किसानों और दूकानदारों आदि के लिये दिये गये सुझाव स्वीकार नहीं किये गये ।

श्री त्यागी ने कहा था कि केन्द्र के कहने पर इंगलैंड में युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था का विधान बनाया गया था । परन्तु वहां की हालतें यहां से भिन्न थीं । यहां के लोगों पर बड़ा भार पड़ेगा । अब इस में छट या कमी देने की शक्ति सरकार ने ले ली है । हम ने जो संशोधन रखे थे जिन्हें कांग्रेस तथा विरोधी दलों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, वे वित्त मंत्री द्वारा स्वीकार नहीं किये गये, अतः हम इस सत्र में इस विधेयक का समर्थन नहीं करते ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : महान्यायवादी को सभा में बुलाया गया, किन्तु इस विधेयक के कई पहलुओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया । इस से किसानों और कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा भार पड़ जायेगा । लोगों को भूखा रख कर सरकार को धन अवश्य मिल जायेगा । देश में बड़ी ऋणग्रस्तता है, विशेषकर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों में । मझे दुःख है कि वित्त मंत्री ने उन सब बातों की उपेक्षा की है । अतः मैं इस विधेयक का पूरे दिल से समर्थन नहीं कर सकता ।

†**श्री काशीराम गुप्त** (अलवर) : वेतन वाले लोगों, किसानों तथा दूकानदारों के सम्बन्ध में निर्धारित कसौटी अनुचित है और हमारी बार बार की प्रार्थना के बाद भी वित्त मंत्री ने उसे स्वीकार नहीं किया । अतः मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल जोकि एक्ट बनने जा रहा है, यह कम्पलसरी सेविंग स्कीम नहीं है, बल्कि कम्पलसरी डिपाज़िट स्कीम है । अब मैं कुछ सुझाव ही इस के बारे में दे सकता हूं ।

क्लाजिज़ ५, ६ और ७ जिन को हार्डशिप होती है, उनके लिए कुछ सेफगार्ड्ज़ की व्यवस्था करते हैं । सैंट्रल गवर्नमेंट इन के द्वारा कुछ माडिफिकेशंज़ कर सकती है, कुछ स्कीम्ज़ बना सकती है और मोडिफाई करके उसको लागू कर सकती है । जिन को हार्डशिप होती है, उन में काश्तकार आते हैं । एक आदमी जो छः रुपया लगान का देता है, वह सेविंग नहीं कर सकता है । जिनकी इनकम सौ रुपये भी नहीं है, ऐसे लोगों को अधिक से अधिक सहूलियत देने की व्यवस्था की जाये, ऐसे केसिस की तरफ सहानुभूति से विचार किया जाये, यह मैं मंत्री महोदय से इस वक्त प्रार्थना करना चाहता हूं । आगे भी इन को हार्डशिप से कैसे बचाया जा सकता है, इस पर गवर्नमेंट बिचार करे ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । मंत्री महोदय ने कहा है कि सैंट्रल गवर्नमेंट तो और भी ज्यादा एग्जेम्पशन देने के लिए तैयार थी, लेकिब स्टेट गवर्नमेंट्स तैयार नहीं थीं, उन्होंने इन्कार कर दिया । वे क्यों इन्कार नहीं करेंगी । सैंट्रल गवर्नमेंट कानून बना कर पैसे उनको दे, ऐसी स्कीम को वे क्यों अपोज़ करें । आगे के लिए माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर खींचना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स माने या न मानें, जिस को हार्डशिप होती हो उसको जरूर वह एग्जेम्पशन देने की कृपा करें । इस में हार्डशिप किसानों को होती है, पचीस रुपये तक लगान देने वाले किसान को भी

---

†मूल अंग्रेजी में

हाडशिप होती है। लेकिन आप ने तो छः रुपये लगान देने वाले को भी इस में शामिल कर लिया है। आप उसकी इनकम को देखते तक नहीं हैं। आप ने यह भी नहीं देखा है कि कौन सी इरिगेटिड लैंड है और कौन सी ड्राई लैंड है। कुछ भी आप ने देखा नहीं है। आप ने यह भी नहीं देखा है कि किसान तीन हज़ार या दो हज़ार रुपया साल कमाता है या नहीं कमाता है। मैं कहना चाहता हूं कि छः रुपये लगान देने वाला किसान मज़दूर कहलाता है।

अध्यक्ष महोदय : अब सारी तकरीर नहीं हो सकती है। आप खत्म करें।

†**श्री पु० र० पटेल** (पाटन) : मुझे प्रसन्नता है कि इस संकट के समय हमारे वित्त मंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो साहसी हैं और जनमत का सामना कर सकते हैं। यदि हमें स्वतंत्रता बचानी है, तो कठिनाई उठानी ही पड़ेगी और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सरकार को धन देना ही होगा।

†**श्री कृष्णपाल सिंह** (जलेसर) : यह धन देश की प्रतिरक्षा के लिए नहीं अपितु विकास के लिए जा रहा है। माननीय मित्र को गलत कारणों के लिए सरकार को बधाई नहीं देनी चाहिए।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल चन्द मिनटों के बाद पारित होने जा रहा है। मैं महसूस करता हूं कि बचत योजना अच्छी योजना है। लेकिन साथ ही इस में जो कठिनाइयां हैं, उनकी तरफ में आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

वह किसान जो पांच रुपया बतौर लगान के देता है, वह लगान की राशि भी बहुत सालों तक उससे वसूल नहीं हो पाती है और यह नई राशि उससे कैसे वसूल हो सकेगी इस पर आप विचार करें। उसको बड़ी कठिनाई का सामना करना होगा। अगर यह वसूल हो भी गई तो हिसाब किताब कैसे रखा जायगा, यह भी देखने की बात है। मैं चाहता था कि हर किसान के नाम से पोस्ट आफिस सेविंग बैंक में खाता खुलवा दिया जाता ताकि जब वक्त आता वह अपना रुपया आसानी से वहां से निकाल लेता। आज रुपया जमा तो हो जायेगा लेकिन निकालने के समय इतनी कठिनाइयां होंगी, इतना भ्रष्टाचार होगा, कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। एकाउंट थोड़े नहीं होंगे, करोड़ों की तादाद में . . . .

अध्यक्ष महोदय : ये सब तजवीज़ें आप उन के पास भेज सकते हैं ताकि जब वे रूल बनाने लगें तो इन बातों पर गौर कर लें।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं एक दो मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं समझता हूं कि करोड़ों की तादाद में अकाउंट्स होंगे, खास कर किसानों को जमा करने में जो तकलीफ होगी वह तो होगी ही इस के अलावा रुपया निकालने में उन को इतनी तकलीफ होगी जिस का ठिकाना नहीं है। गवर्नमेंट भी बदनाम होगी। इस बदनामी को बचाने का एक ही उपाय है कि सब अकाउंट्स पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक्स में रक्खे जायें जिस में किसानों के हाथ में किताब रहे और वे आसानी से रुपया निकाल सकें। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : औद्योगिक विकास के समय अनिवार्य बचत की नीति अपनाई जाती है, जबकि लोगों के पास अतिरक्त धन हो, जान बूझ कर मुद्रा स्फीति उत्पन्न की गई हो ताकि लोग अधिक खरीद न सकें और बचत अधिक करें। परन्तु इससे अनेक प्रशासी कठिनाइयां होंगी। इन सब के लिए पर्याप्त प्रशासी व्यवस्था की आवश्यकता होगी। आशा है कि वह कुछ ऐसा उपाय निकालेंगे जिससे इन निक्षेपों की प्राप्ति तथा पुनर्भुगतान का काम सुविधाजनक बन सके।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री त्यागी]

फिर मेरा सुझाव है कि ग्रामवासियों को कुछ भावात्मक सन्तोष दिया जाना चाहिये क्योंकि वे यह भुगतान सूद पर उधार ले कर करेंगे । माननीय मंत्री यह मान लें कि यह धनराशि उसी क्षेत्र में लगाई जायेगी ताकि जमा करने वाले को कुछ मनोवैज्ञानिक सन्तोष रहे कि उसके धन से उसके ही गांव को विकास में सहायता मिली है ।

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा (बिल्होर) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के अन्तिम वाचन के ऊपर जो मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला है उस समय मैं वित्त मंत्री जी की तारीफ करता हूं लेकिन साथ ही साथ उन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर जो उन्होंने यह अनिवार्य बचत लागू की है उस पर वे कृपा कर के एक बार फिर विचार करें। उन्होंने इस हाउस में जब कि उन से कहा गया कि बड़े आदमी राष्ट्रीय रक्षा कोष में कम धन दे रहे हैं और गरीब आदमी अधिक दे रहे हैं एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि बड़े आदमियों का रुपया अधिक है और कम पाने वालों का रुपया थोड़ा है । तो फिर रुपया आप को बड़े आदमियों से भी मिल सकता है और छोटे आदमियों से नहीं मिल सकता है । जिन किसानों की भूमि खराब है या जिन की जोत अलाभ कर है, उन के पास पैसा नहीं बचता है, उन्हें तो पेट भरना कठिन है लेकिन यह पैसा तो उन से भी लिया जायेगा इस का नतीजा यह होगा कि वे महाजनों से ऊंचे ब्याज में रुपया ले कर बचत में देने के लिये बाध्य होंगे । वे कर्ज के बोझ से दब जायेंगे । मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी बहुत उदार हैं वे इस बात पर विचार करेंगे तथा किसानों की परिस्थिति को देखते हुए उन को कुछ और रियायत देने की बात सोचेंगे ।

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय यह बिल अब पास होने जा रहा है । इस संबंध में हम ने जो आपत्तियां उठाई थीं शुरु से, वे इस वास्ते उठाई गई थीं कि जो काश्तकार हैं उनके बारे में बोलने वाला यहां पर कोई नहीं है । बड़े बड़े सेठों साहूकारों के वास्ते तो सभी लोग बोल लेते हैं लेकिन छोटे आदमियों और काश्तकारों के वास्ते यहां पर कोई नहीं बोलता है । मैं मंत्री महोदय से यह विनती करता हूं कि उन्होंने इस बिल पर विचार होते समय कैटेगरिकल टर्म्स में यह नहीं कहा कि ५ रु० लैंड रेवेन्यू देने वाले जो किसान हैं उन को वे एग्जेम्ट कर रहे हैं उन्होंने यह कहा कि अगर गवर्नमेंट आवश्यक समझेगी तो जो ५ या १० रु० तक लैंड रेवेन्यू देने वाले होंगे उन को भी एग्जेम्ट कर देगी । मेरी आप से हाथ जोड़ कर यह प्रार्थना है कि कम से कम कोई कैटेगारिकल स्टेटमेंट तो दें, काश्तकारों के वास्ते वे कम से कम यह तो कहें कि जो लोग कर्जे के नीचे दबे हुए हैं उनको वे छूट देंगे । जो किसान कर्जा लेते हैं उन को इंटरेस्ट ज्यादा देना होता है जब कि आप सिर्फ ४ परसेंट ही देंगे । शेक्सपियर के शब्दों में तो यह इसी प्रकार हुआ : कृपा तो करने और कृपा का पात्र होने वाले दोनों को लाभ पहुंचाती है । इस वास्ते कम से कम काश्तकारों के लिये उन को मर्सी दिखलानी चाहिये । जो काश्तकार कर्जे लिये हुए हैं उन पर अधिक कर्जा न हो इसलिये यह बिल उन पर लागू नहीं होना चाहिये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं अपने माननीय मित्र श्री रंगा का उनके इन शब्दों के लिए बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मेरी निभाने की भावना की सराहना की । मैं उन्हें और इस सभा में सब को आश्वासन देता हूं कि मैंने माननीय सदस्यों की इच्छाओं को यथाशक्ति पूरा करना अपना कर्तव्य माना है, परन्तु यह बात निरन्तर उन्हीं बातों के ही बारे में है जिन्हें मैंने ठीक समझा है हो सकता है कि मैंने ठीक बात समझने में गलती की हो, परन्तु जब तक मुझे गलती का पता न लगे तब तक मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं वह कार्य छोड़ दूं जिसे मैं ठीक समझता हूं । आशा है कि वह मुझ से यहां तक सहमत होंगे कि जब मैं वह काम नहीं कर पाता जिसे वह ठीक समझते हैं और मैं गलत समझता हूं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

यह विधेयक देश के इतिहास में एक नया विधान है मैं मानता हूं कि इस से कठिनाई होगी परन्तु हम ऐसे देश में रहते हैं जो बहुत ही निर्धन है । यह दुर्भाग्य की बात है कि समृद्ध देश अधिक व्यय करते हैं, अन्यथा वे अपनी स्मृद्धता बनाये नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें अधिकाधिक उपभोग करना है ताकि वे अपना उत्पादन आन्दोलन चालू रख सकें । परन्तु निर्धन देशों के लिए स्वयं के लिए कठिनाई उत्पन्न कर के भी बचाना आवश्यक है, यदि वे स्मृद्ध बनना चाहते हैं पिछले युद्ध में पराजित तथा नष्ट होने के बाद जर्मनी ने स्वयं अपनी ही कार्यवाही से ऐसी स्थिति में आ गया लोगों को खाने के लिए भी कुछ न रहा । परन्तु उन्होंने अपना उत्पादन चार या पांच वर्ष तक प्रयोग नहीं किया । वे खुले में रहे, उन्होंने अपने मकान नहीं बनाये, कम खाया, जो भी उत्पादन किया वह निर्यात किया, धन कमाया और समृद्ध बन गये । अब, वे बहुत से देशों से अधिक समृद्ध हैं । हमारे देश को भी कठिनाई उठानी पड़ेगी और यथासंभव बचत करनी होगी । हमारी प्रतिशत जनता निर्धन है और जब तक वे बचत नहीं करते, तब इस देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता इसी विश्वास से मैंने यह विधेयक रखा है, ताकि १,५०० और ३,००० रु० के वेन वाले किसानों तथा अन्य कार्यकर्त्ताओं को यह बचत करने के लिए कुछ कठिनाई उठानी पड़े, जो उन्हें तथा उन के बच्चों को सहर्ष प्राप्त होगी । केवल इसी विश्वास से मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करना उचित सिद्ध कर सकता हूं ।

हम ने इस विधेयक में कठिनाई दूर करने का अधिकार प्राप्त किया है और हम इस पर निरन्तर नजर रखेंगे और देखेंगे कि टलने वाली कठिनाई उत्पन्न न हो इस से अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बचन देना और उसे पूरा न करता इस सभा के प्रतिधृष्टता होगी । क्योंकि यह विधेयक एक नया और अनोखा है, मैंने कोई बात नहीं कही यद्यपि पहिले तीन घंटे का समय दिया गया था और बाद में बढ़ा दिया गया । मेरा विश्वास है कि जो भी समय इस विधेयक पर लगा है, लाभप्रद रहा है और इससे हम सब को लाभ हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संविधान (पन्द्रहवाँ संशोधन) विधेयक १९६३

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम श्री अ० कु० सेन के २९ अप्रैल, १९६३ के निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी अपना भाषण जारी रख सकते हैं । वह ३१ मिनट ले चुके हैं ।

†**श्री त्रिदिवकुमार चौधरी** (वरहामपुर) : मैं यथाशीघ्र समाप्त करूंगा । मैंने दस मिनट मांगे थे, उनमें मैं संक्षेप में भाषण समाप्त कर दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** दस मिनट में से पांच मिनट वह ले चुके हैं ।

†**विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन) :** वह विषय पर अच्छा प्रकाश डाल रहे हैं, अतः मेरा निवेदन है कि उन्हें बोलने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : विधेयक के लिए नियत पांच घंटों में से हम ३½ घंटे द्वितीय वाचन पर ले सकते हैं ।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : हां ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : विधेयक के खंड ४ में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है कि क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिसूचित सेवा अवधि उस की अवस्था के बारे में विवाद होने के कारण कार्यपालिका द्वारा कम की जा सकती है या नहीं । इस पर कलकता उच्च न्यायालय में जे० पी० मित्र के मामले में निर्णय से इस का महत्व और भी बढ़ गया है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आजकल उच्च न्यायपालिका की कार्यपालिका से स्वाधीनता अनुच्छेद २१७ में सुरक्षित है जिसमें उल्लेख है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ६० वर्ष की अवस्था तक पदेन रहेगा । परन्तु प्रश्न यह है कि अवस्था के बारे में विवाद उत्पन्न होने पर निर्णय करने की शक्ति किस को होगी । मूल उपबंध में यह अधिकार राष्ट्रपति को था । संयुक्त समिति ने केवल यह संशोधन किया है कि इस प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के महा-न्यायाधीश के परामर्श से करेंगे ।

मैं इसी के बारे में बता रहा था कि प्रशासी निश्चयों के मामलों में देश के उच्चतम न्यायाधीश को शामिल करना सिद्धान्त स्वरूप सर्वाधिक आपत्तिजनक है । यदि सरकार वास्तव में भारत के महा न्यायाधीश का मत जानना चाहती थी तो यह केवल परामर्श से ही नहीं अपितु मुख्य न्यायाधीश का न्याय-मत होना चाहिये और वह मत परबन्धक होना चाहिये ।

श्री पी० एन० सपरू ने जो संयुक्त समिनि के एक सदस्य थे इस बारे में अपना यह मत प्रकट किया है कि जिस प्रकार सेवा निवृति की अधिक आयु निर्धारित कर दी गई है इसी प्रकार उच्च न्यायालय या उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु भी नियुक्ति-पत्र में निर्धारित कर देनी चाहिये और वह अन्तिम मानी जाये । यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस का निश्चय मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश तालिका द्वारा न्यायिक रूप में होना चाहिये और वह मत सरकार के लिए बन्धक होनी चाहिये ।

मैं समझता हूं कि श्री त्यागी का संशोधन वास्तव में सरकारी संशोधन है क्योंकि इसे विधि मंत्री की अनुमति पहिले ही मिल गई है । यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु पिछली तारीख से बढ़ाकर ६२ वर्ष करने के बारे में है ताकि १ जनवरी, १९६३ को सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीशों को हानि न हो । मुझे यह षड्यंत्र दिखाई देता है क्योंकि प्रेस के समाचार के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने १ जनवरी, १९६३ को सेवानिवृत्त होने वाले दस न्यायाधीशों को सेवा में रहने देने के बारे में लिखा था और इस संशोधन से उन्हें लाभ मिलता है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उन न्यायाधीशों के बारे म क्या निर्णय किया है जो मेट्रिकुलेशन की आयु के आधार पर १ जनवरी, १९६३ को सेवानिवृत्त होने वाले थे । मेरा विचार है कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निधि निर्धारित की है । उस में उस ने कहा था कि न्यायाधीश की आयु ६० वष होने पर, वह विधान या संविधान के अन्तगत पदेन नहीं रह सकता । अतः हम जान सकते हैं हैं कि ये न्यायाधीश संविधान में स्पष्ट उपबन्ध होने पर भी सेवा में कैसे चल रहे हैं ? मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री इस पर कुछ प्रकाश डालें ।

†**श्री शं० शा० मोरे** (पूना) : मैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवस्था में दो वर्ष की वृद्धि करने वाले उपबन्ध का विरोध करता हूं । विधि मंत्री ने इस का कोई कारण नहीं बताया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात यह है जब उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में विवाद हो, तो राष्ट्रपति को जांच करनी होगी और उन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मत मानना होगा । मैं समझता हूं कि हम अनुच्छेद १०२ के जैसा उपबन्ध कर सकते हैं । (**एक माननीय सदस्य** : आप का अभिप्राय है १०३) . . . . धन्यवाद । यह विधि मंत्री के मौखिक आश्वासन से अधिक स्पष्ट है । अतः मेरा आग्रह है खंड पुनः लिखा जाये । देश में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में बड़ी विभिन्नता है, अर्थात् पेंशन न्यायाधीश ५५ वष की आयु पर सेवानिवृत होता है तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ६५ वष की आयु पर सेवानिवृत होता है । अतः मेरा ख्याल है कि और दो वष की इस श्रेणी को जन्म न दिया जाये ।

†**श्री हिम्मत सिंहका** (गोड्डा) : मैं विधेयक का समथन करता हूं । न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा आयु के बारे में प्रस्ताव किया गया है कि आयु बढ़ा कर ६२ वर्ष कर दी जाये जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ६५ रखी गई है । आयु निर्धारण का प्रश्न मैं समझता हूं कि नियुक्ति के समय ही निश्चित हो जाना चाहिये और इस का उल्लेख नियुक्ति पत्र में कर देना चाहिये । अब केवल वतमान न्यायाधीशों की आयु का प्रश्न रह जाता है । इस बारे में भी मेरा ख्याल है कि असाधारण कारण न होने पर यह प्रश्न पुनः न उठाया जाये । यदि प्रश्न उठाया जाता है तो निश्चय करने वाले प्राधिकार केवल राष्ट्रपति हैं जो मुख्य न्यायाधीश के परामश से निश्चय करेंगे ।

जहां तक न्यायाधीशों के बदले जाने की बात है, भावना ऐसे उपबन्ध के विरुद्ध है क्योंकि कोई भी न्यायाधीश बदला जाना न चाहेगा क्योंकि बदली का अथ होगा न्यायाधीश के लिए अधिक व्यय । जहां तक इस प्रस्ताव की बात है कि जो व्यक्ति उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका है उसे अस्थायी रुप में काम करने के लिये उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनया जा सकता है । यह अच्छा उपबन्ध है ।

फिर एक बात कलकत्ता और बम्बई के उच्च न्यायालयों में वेतन को घटा कर ३,५०० रु० करने के बारे में है । लगभग १८६० में वेतन ४,००० रु० निर्धारित किया गया था, जबकि कोई आयकर न था और १९२० तक कर भी कम रहा ; शायद ४,००० रु० पर कर लगभग १०० रु० था और बढ़ कर यही कर ४,००० रु० पर १,२०० रु० हो गया है । अतः वेतन आकर्षक नहीं है और मेरा सुझाव है कि न्यायाधीश को दी जाने वाली पशन का कुछ ध्यान रखा जाये ताकि उसे सेवानिवृत्ति के बाद कठिनाई न हो और उसे अन्य न्यायालयों में वकालत करने का अधिकार न लेना पड़े । यदि पेंशन बढ़ा दी जाये और न्यायाधीश को विश्वास हो जाये कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे भली भांति रहने में कठिनाई न होगी, तो मेरा ख्याल है कि उचित न्यायाधीश पाने में अब होने वाली कठिनाइयां काफी कम हो जायेंगी । फिर, संगठनात्मक, अर्थात् छुट्टी के बारे में निदेश देने का उपबन्ध है । उच्च न्यायालय इसे पसन्द नहीं करते । यह काम उन्हीं पर छोड़ देना चाहिये कि किस दिन छुट्टी करें और किस दिन छुट्टी न करें । हां, अनुच्छेद ३११ का संशोधन आवश्यक है क्योंकि उस का निर्वाचन न्यायालयों ने किया है और सरकार के लिए निश्चय करना प्रायः असंभव हो गया है । हम भ्रष्टाचार के अनेक मामलों की बात सुनते हैं परन्तु जांच या दण्ड के लिए बहुत थोड़े मामले लिये जाते हैं । अतः यह उपबन्ध स्वागत-उपबन्ध है । मेरा ख्याल है कि अब भी कर्मचारी को सुनवाई होने का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा । अतः मैं समझता हूं कि सभा को यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये ।

जहां तक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रश्न है, वेतन पर उचित विचार किया जाना चाहिये क्योंकि कलकत्ता और बम्बई उच्च न्यायालयों के लिए उचित व्यक्ति नहीं मिलते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हिम्मत सिंहका]

न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उन को दी जाने वाली उपलब्धियों का भी ध्यान रखना चाहिये, अन्यथा उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होंगे और उपयुक्त व्यक्तियों के अभाव में मुकद्दमों में व्यय अधिक होगा क्योंकि मामले बहुत दिनों तक अनिर्णीत ही पड़े रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री दाजी** : इस विधेयक में संयुक्त समिति ने कुछ सुधार किये हैं। किन्तु विधेयक के कुछ सिद्धान्तों से मैं सहमत नहीं हूं। यह विधेयक संविधान को संशोधित करने के विषय में है; इसलिए जो कुछ हम करेंगे वह भविष्य में भी इस सभा का विधान सम्बन्धी मत समझ कर पढ़ा जायेगा। इसी दृष्टिकोण से मैं अपना भाषण दूंगा।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र ६० से बढ़ा कर ६२ करने में कोई युक्ति नहीं है। विधि आयोग ने इस विषय में काफी छान बीन कर के ६५ वर्ष की सिफारिश की है। उन्हों ने इस के लिये यह तर्क प्रस्तुत किया था कि इस से हमें अच्छे व्यक्ति उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि ६५ वर्ष की आयु के बाद न्यायाधीश अन्य कोई सरकारी कार्य नहीं कर सकेंगे और पहले से ही नियुक्त न्यायाधीशों पर उस का यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

किन्तु हम ने उन में से एक सिफारिश को अंशतः स्वीकार कर लिया और उम्र २ वर्ष बढ़ा दी। यह उचित नहीं है। ६० वर्ष की अवस्था की शर्त पर हम ने जो नियुक्तियां की थीं, उन में हो सकता है अधिक योग्य व्यक्ति न मिल सके हों। इसलिए मैं अत्यन्त आदरपूर्वक कहता हूं कि तदर्थ २ वर्ष की आयु बढ़ाना उचित नहीं है।

इस का आधार भी क्या है ? न्यायाधीशों का सामान्य मत यह है कि उन्ह अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाये। विधि आयोग ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान अवस्था के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, उस से अधिक मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। कुछ जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को जिन्हें मुश्किल से कुछ अनभव था, और विधि सचिवों को यदि वह विभिन्न राज्यों के विधि मंत्रियों की दृष्टि में अच्छे हैं पदोन्नति दे दी गई है। यह उचित नहीं है।

सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीशों के रुप में नियुक्ति के विषय में भी संयुक्त समिति की सिफारिश से मेरा मतभेद है। जहां लोगों की राय यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रलोभन कम कर दिया जाये, वहां आप उसे और बढ़ा रहे हैं। आप उन की पुनः नियुक्ति का सेवा-काल निर्धारित करने के लिये भी तैयार नहीं हैं। एक ओर तो आप संविधान में उन की सेवानिवृत्ति की उम्र का उपबन्ध कर रहे हैं और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि, सेवा-निवृत्ति के बाद उन की पुनः नियुक्ति की जाये और उस पुनः नियुक्ति का सेवा काल भी निर्धारित नहीं करते। सेवा-निवृत्ति के बाद उन्हें उच्च न्यायालय में भी बुलाया जा सकता है और उच्चतम न्यायालय में भी, समय का उल्लेख भी नहीं किया गया। केवल 'अस्थायी रुप से' का उल्लेख किया गया है। किन्तु यह 'अस्थायी' समय ३–४ वर्ष का भी हो सकता है। इस प्रकार का उपबन्ध कर के आप संविधान में उल्लिखित आयु-सीमा का ही उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिये मैं इस का विरोध करता हूं। यह बात उन के लिए प्रलोभन का काम करेगी कि सेवा-निवृत्ति के बाद भी उन की नियुक्ति हो सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि ऐसी संभावना हो कि ६० वर्ष की आयु के बाद एक न्यायाधीश भी ऐसा है जो दक्षता से काम नहीं कर सकता तो हमें ६० वर्ष के बाद का उपबन्ध ही नहीं करना चाहिये। श्री कृष्णमाचारी की भी यही राय थी। दूसरी बात यह है कि पुर्ननियुक्ति कार्य-पालिका ही करेगी। इसलिये इस प्रलोभन द्वारा न्यायाधीशों की स्वतंत्रता में भी बाधा पड़ेगी।

उनकी आयु को निर्धारित करने के सम्बन्ध में जो उपबन्ध किया गया है उससे भी पूर्णतया असहमत हूं। उसे एक ही बार निर्धारित किया जाना चाहिये और संविधान में ऐसा उपबन्ध किया जाना चाहिये। सेवा-निवृत्ति के समय यदि दो न्यायाधीश यह कहें कि उन्हों ने अपनी आयु कम लिखाई है, और उन में से यदि एक की बात मान ली जाती है और दूसरे की नहीं तो उस से भी उन की स्वतत्रता पर प्रभाव पड़ता है।

†**श्री त्यागी** : केन्द्रीय सरकार यह कार्य करती है।

†**श्री दाजी** : केवल केन्द्रीय सरकार ही ऐसा कर सकती है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपालों द्वारा नहीं की जाती।

†**श्री दाजी** : इस सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी यही राय है कि आयु का बार बार निर्धारण न्यायाधीशों के स्वतंत्रता को समाप्त कर देगा।

हम न्यायपालिका की स्वतन्त्रता समाप्त करने के लिये संवैधानिक उपबन्ध कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने संसद् सदस्यों से अपील की हैऔर कहा है कि हमारे देश के लिये वह दिन बहुत अशुभ होगा जबकि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि सरकार के सचिवों की इच्छा पर निर्भर रहेगी अतः संशोधन के इस प्रस्ताव से यह सन्देह होता है कि क्या राष्ट्रपति को भी किसी न्यायाधीश को हटाने का अधिकार प्राप्त है कि नहीं।

मेरे कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि सरकार भविष्य में अनुचित रूप से कार्य करेगी तथापि किसी कार्य से सन्देह की गुंजाइश नहीं होनो चाहिये।

जहां तक मैं समझता हूं वर्तमान संविधान के अधीन यह नहीं किया जा सकता है। अतः हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। इसके लिये नियुक्ति पत्र में लिखी शर्तें ही अन्तिम समझो जायें। जहां तक आठ दस न्यायाधीलों का मामला है, श्री सीतलवाड की भी यही राय है कि उनके मामले न्यायिक प्रक्रिया से ही निश्चय किये जायें।

अब मैं संविधान के अनुच्छेद ३११ को लेता हूं। अनुच्छेद ३११ में प्रस्तावित संशोधन अनावश्यक है; यह विधि के गलत निर्वचन पर आधारित है। उस अनुच्छेद के अन्तर्गत कर्मचारियों को दिये गये दो अवसर एक दूसरे से अन्तर्बद्ध हैं। उनको पृथक् नहीं किया जा सकता है। कार्मिक संघों के कई वर्षों के संघर्ष के बाद न्यायिक निर्णयों से यह अधिकार प्राप्त हुआ है। इसके वर्तमान रूप में भी अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत संरक्षण अपर्याप्त है। जब पूंजीपति कर्मचारियों के साथ सदैव कड़ा व्यवहार करते हैं तो संरक्षण को समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। कोई भी दूसरी जांच अथवा अवसर नहीं चाहता, आवश्यकता तो प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध प्रतिनिधान करने के वास्तविक अवसर की है। आरोपों में दण्ड शामिल करना गलत है। दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जबकि आरोपों की जांच

---

†मूल अंग्रेजी में

का परिणाम कर्मचारियों को प्राप्त हो जाये अतः अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत कर्मचारियों के अधिकारों को किसी प्रकार भी समाप्त न किया जाये ।

†**श्री अ० ना०विद्यालंकार** (होशियारपुर) : इस विषय पर आये हुए कई विपत्ति टिप्पणों से ज्ञात होता है कि संयुक्त समिति में इस सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद था । जहां तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आयु निर्धारण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में सर्वसम्मत निर्णय किया जाना चाहिये । तथा इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों के लिये एक निर्णय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये दूसरा निर्णय करना गलत है ।

उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश पहिले से ही सेवानियोजित हैं उनकी आयु के बारे में निर्णय का अधिकार कार्यपालिका को न सौंपा जाये । यह अधिकार मुख्य न्यायाधीश को दिया जाये क्योंकि उसका निर्णय ही आपके न्यायिक निर्णय समझा जायेगा । वर्तमान उपबन्ध से उच्च न्यायाधीश की गरिमा कम होती है । वस्तुतः न्यायाधीशों की आयु के सम्बन्ध में नियुक्ति के समय ही निर्णय कर लिया जाये । उसी समय उनसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ पत्र दाखिल करने को कहा जाये ।

मेरा सुझाव है कि सभी न्यायाधीशों के लिये आयु सीमा ६५ वर्ष होनी चाहिये । यह व्यवस्था विधि आयोग की सिफारिश के अनुरूप होगी । वस्तुतः चाहिये यह कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वही प्रैक्टिस न करें और न ही सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के लिये प्रयत्न करें वस्तुतः न्यायाधीशों के लिये कोई आयु सीमा नहीं होनी चाहिये ।

मेरे विचार से यह सुझाव स्वीकार कर लिया जाये कि विधेयक को भूतलक्षी अवधि से लागू किया जाये । क्योंकि विधेयक का प्रयोजन ही यह है कि पहिले से ही काम कर रहे न्यायाधीशों की योग्यता व अनुभव से लाभ उठाया जाये ।

सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने के लिये अनुच्छेद ३११ का उपबन्ध है । इन उपबन्धों में कोई कमी नहीं की जाये । हमें चाहिये कि हम कर्मचारियों में विश्वास की भावना की सृष्टि करें ताकि वे यह अनुभव करें कि उनके प्रति अन्याय नहीं किया जा रहा है । उन्हें पूर्ण अवसर देना आवश्यक है अतः इस उपबन्ध को बने रहने देना चाहिये ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : मैं माननीय सदस्य को इस आवश्यक संशोधन के लिये बधाई देता हूं । इस अनुच्छेद से लोगों को काफी कठिनाइयां पैदा हुईं तथा उच्च न्यायालय भी उनकी कोई सहायता नहीं कर सके ।

तथापि ३११ का जो संशोधन किया गया है मैं उसके विरुद्ध हूं क्योंकि इससे सरकारी कर्मचारियों को एक और अवसर मिलता था तथा वे अपनी शिकायतों की अपील कर सकते थे किन्तु अब अनुच्छेद ३११ में प्रस्तावित संशोधन का यह परिणाम होगा कि सरकारी कर्मचारी को उसे दिये जाने वाले प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध कुछ कहने का अधिकार छिन जायेगा । अधिकांश रेलवे कर्मचारी इस दृष्टि से अभागे हैं । अधिकारियों को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिये कि अपनी इच्छानुसार अधीनस्थ कर्मचारियों की बर्खास्तगी करें या उनकी पदावनति करें । सरकार को कोई ऐसा उपयुक्त संशोधन लाना चाहिये कि निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों को कुछ सहायता मिल सके और दण्ड के विरुद्ध अपील करने का अवसर प्राप्त रहे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं न्यायाधीशों की आयु के प्रश्न को लेता हूं। यह समझ में नहीं आता है कि मनमाने ढंग पर यह अवधि ६२ वर्ष क्यों निश्चित कर दी गयी इस विषय में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। न्यायाधीशों की पदनिवृत्ति की आयु पेंसठ वर्ष होनी चाहिये इसके पश्चात् उन्हें प्रेक्टिस करने अथवा सरकार के अधीन नौकरी के प्रयास करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये।

इस बात का सब समर्थन करते हैं कि न्यायाधीशों का स्थानान्तरण करना चाहिये परन्तु इस उपबन्ध में कोई दलील नहीं है कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जाने पर उन्हें प्रतिकर भत्ता दिया जायेगा। इस प्रकार स्थानान्तरण किये जाने पर भारतीय प्रशासन सेवा अथवा भूतपूर्व भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को इस प्रकार कोई प्रतिकर भत्ता नहीं दिया जाता था।

अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं कि संवैधानिक उपबन्धों में संशोधन करने वाले विधान को भूतलक्षी प्रभाव देना वांछनीय नहीं है। इससे कई जटिलतायें पैदा हो जायेंगी। अतः मैं श्री त्यागी से यह अनुरोध करता हूं कि यह संशोधन यहां के लिये उपयुक्त नहीं है।

†**श्री त्यागी :** मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इसमें सन्देह नहीं कि मैंने यह प्रस्ताव किया है कि विधेयक के उपबन्धों को भूतलक्षी अवधि से प्रभावी किया जाये। इस विधेयक को कई राज्यों को भेजा गया क्योंकि यह संविधान का संशोधन था। इस बीच कई वरिष्ठ न्यायाधीश पदनिवृत्त हो गये। यदि इसके उपबन्धों को भूतलक्षी अवधि से प्रभावित किया जाये तो हमें उनकी सेवायें उपलब्ध हो सकेंगी। विधेयक में लिया जाने वाला यह संशोधन इसी भावना से प्रस्तुत किया गया है। यदि इसे भूतलक्षी अवधि से लागू नहीं किया गया तो कुछ वरिष्ठ न्यायाधीश सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुकेंगे और हम उनकी सेवाओं से वंचित हो जायेंगे।

यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ब्रिटिश काल के पश्चात् हमारे देश में न्यायपालिका और उसकी प्रतिष्ठा का काफी ह्रास हो गया है। जब तक न्यायपालिका और उसकी प्रतिष्ठा का पर्याप्त ह्रास हो गया है। जब तक न्यायपालिका और उसका प्रशासन केन्द्र तथा राज्यों गृह मंत्रालय के हाथों में रहेगा उसका समुचित स्तर बनाये रखना कठिन होगा। उच्च न्यायालयों में सरकार द्वारा की गई कुछ नियुक्तियां अशोभनीय हैं।

केन्द्र में ही नहीं अपितु राज्यों में भी न्यायपालिका को गृह मन्त्रालय से विधि मन्त्रालय में स्थानान्तरित कर दिया जाये।

मेरा यह सुझाव है कि देश में एक अखिल भारतीय न्यायपालिका सेवा स्थापित करनी चाहिये। हमसे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का निर्वहन करने तथा राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता मिलेगी।

मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि न्यायाधीशों का स्थानान्तरण किया जाये मेरे विचार से सब न्यायाधीश तथा जिला मजिस्ट्रेटों को अखिल भारतीय न्यायपालिका सेवा में ले कर उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित किया जाये।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ६२ से बढ़ा कर ६५ करने का सभी ने स्वागत किया है। मेरा यह भी सुझाव है कि 'बार' से जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश लिया जाता है उसकी पेंशन नगण्य है उन पर भी यह प्रतिबन्ध है कि वह भविष्य में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है मेरा सुझाव है कि इस विषय में की जांच की जाये।

†**श्री मु० बि० भार्गव** (अजमेर) : विधेयक के खण्ड ८ और ९ द्वारा संविधान के अनुच्छेद २२७ और २२७ में संशोधन किया जा रहा है। ये संशोधन बड़े सरल तथा निर्विवाद हैं। इसके लिये विधि मन्त्री बधाई के पात्र हैं। इसमें मूलभूत अधिकारों के रक्षण की व्यवस्था है। अन्य संशोधनों के बारे में मेरा निवेदन है कि वे संविधान के आधारभूत सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। ये उस स्थिति के विरुद्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

है जो कि हमारे संविधान में न्यायपालिका को प्रदान कर रही है । न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कायम रखा जाना चाहिए। अतः एक न्यायाधीश की कार्यविधि और उसकी आयु इत्यादि के सम्बन्ध में निर्णय करने अथवा उसे तबदील इत्यादि करने वाले मामलों का निर्णय का अधिकार कार्यपालिका के हाथ में नहीं होना चाहिए। मेरे विचार में यह दुर्भाग्य की बात है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां अभी भी कार्यपालिका द्वारा ही की जाती हैं। विधि आयोग ने इस ढंग की कड़ी आलोचना की है। और आयोग ने यह सिफारिश की है कि यदि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और एकता बनाये रखना है तो हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक् है। आज तो यह सर्वत्र विदित है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां भी राजनीतिक प्रभावों से हो रही हैं।

विधि आयोग की सिफारिश है कि न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ा कर ६५ कर दी जाये। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इस सिफारिश के पीछे २ मुख्य बातें थीं। एक यह कि कोई सेवा निवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में अपनी निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा। परन्तु १९५६ में संविधान में संशोधन करके इसे हटा दिया गया था। यह व्यवस्था की गयी थी कि सेवा निवृत्त न्यायाधीश उस राज्य में प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा, जहां वह सेवानिवृत्त आ हो ।

इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि यदि हम इस बात के इच्छुक है कि राष्ट्रीय एकता स्थापित की जानी चाहिये, तो कम से कम एक तिहाई न्यायाधीशों की मूलतः भर्ती और नियुक्ति राज्य के बाहर से की जाये। यह भी धारणा है कि न्यायाधीशों का तबादला एक राज्य से दूसरे राज्य में इसलिये भी कर दिया जाता है, क्योंकि वे कई बार सरकार की इच्छा के अनुसार न्यायिक निर्णय नहीं देते।

न्यायपालिका का कार्य ठीक ढंग से चले, इसके लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारे न्यायाधीश सन्देह से ऊपर हो। उन पर शंका करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिये। मेरा मत तो यह है कि इसके लिये व्यवस्था यह की जानी चाहिये कि उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तबादला और आयु निर्धारण के मामले में निर्णय एक न्यायापालिका न्यायाधिकरण नियुक्त करके, उसे सौंप दिये जाये। इस न्यायाधिकरण में सर्वोच्च न्यायालय के तीन वरिष्ठ न्यायाधीश हो और मुख्य न्यायाधीश उसका सभापति हो। सभापति को न्यायाधिकरण की सिफारिशों पर चलना चाहिये। ऐसी व्यवस्था करके ही हम निश्चित रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा एकता को बनाये रख सकते है। अतः मैं उन समस्त उपबन्धों का विरोध करता हूं जिनकी व्यवस्था की जा रही है।

†**श्री नरसिन्हा रेड्डी** (राजमट) : विधि आयोग की सिफारिश है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्त आयु ६५ वर्ष की है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि ये सिफारिशें नये लोगों के लिये है, पुरानों के लिये नहीं। मेरे विचार में संविधान में छोटी छोटी बातों के लिये संशोधन कर लेना ठीक नहीं। एक बात उल्लेखनीय है कि विधि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बहुत ऐसी सिफारिशें भी की है जो कि महत्वपूर्ण है। परन्तु खेद की बात है कि जो संशोधन सरकार की ओर से रखे गये हैं वे ऐसे हैं कि जिनका आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों से कोई सरोकार नहीं है। यह निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि न्यायाधीशों की वृत्ति आयु की बृद्धि के संबंध में उपबन्ध करते हुये सरकार को यह भी व्यवस्था कर देनी चाहिये कि सेवा निवृत्ति के बाद अपनी निजी प्रैक्टिस

†मल अंग्रेजी में

करने की अनुमति नहीं होगी। यह भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि उन्हें इसके बाद कोई सरकारी पद भी नहीं दिया जायेगा।

यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखा जाय। उसके लिये मेरा सुझाव यह है कि विधि आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली जानी चाहिये कि जब तक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी व्यक्ति की सिफारिश न करे, उनको उच्च न्यायालय को न्यायाधीश नियुक्त न किया जाय। ऐसा करने से न्यायाधीश कार्यपालिका के प्रभाव से बचे रह सकते है। विधि आयोग का कहना है कि उच्च न्यायालयों में कई एक असन्तोषजनक नियुक्तियां हुई है। जिनका आधार राजनीतिक, क्षेत्रीय, और साम्प्रदायिक रहा है। उसका परिणाम यह हुआ है कि योग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां नहीं हो पा रहीं। और यह भी है कि इन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।

यह नियुक्तियां क्यों हुई, इसके बारे में विधि आयोग ने जो चित्र खिचा है वह बहुत भयावह है। देश के योग्य व्यक्तियों ने जो सिफारिशें की है उन्ह कार्यान्वित करना चाहिये।सरकार को इस बारे मैं सचेत रहना चाहिये। कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिये जिससे लोगों के दिमाग में

(श्री तिरुमल राव पीठासीन हुये।)

किसी प्रकार की शंका पैदा हो जाय। सेवा निवृत आयु के बारे मैं ६२ वर्ष की आयु को भूत लक्षी प्रभाव से लागू करने की बात को लोग सन्देह को दृष्टि से देख रहे है। सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिये कि ऐसा कभी प्रकट न हो कि वह किसी व्यक्ति विशेष में अपनी रुचि होने के कारण ऐसा संशोधन कर रही है।

अनुच्छेद ३११ में जो संशोधन किया जा रहा है, उसका उद्देश्य उस सरकारी कर्मचारी के लिये जिसके विरूद्ध आरोप लग चुके हों व्यवस्था करना है। दूसरी सुनवाई न करने की बात है। इस संशोधन का सभी वर्गों के कर्मचारियों ने कई बार विरोध किया है। यह संशोधन सरकारी कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय करने वाला है। इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नाम निर्देशित–आंग्ल भारतीय) : मेरे हृदय में विधि मंत्री के लिये बहुत सम्मान है परन्तु मुझे यह संशोधन पसन्द नहीं। इससे एक बहुत ही बुरी परम्परा का निर्माण हो जायेगा। इसमें विभिन्न विषषों पर विभिन्न संशोधनों का एक विचित्र मिश्रण है। शायद सरकार का यह उद्देश्य हो कि यह वह धारणा उत्पन्न कर दे कि वह संशोधन में अन्धाधुंध या बार बार परिवर्तन नहीं कर रही है। आज जो हमारी न्यायपालिका में दोष चल र हैं, उनको दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

बड़े खेद की बात है कि सरकार ने विधि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का एक बहुत ही सुन्दर अवसर खो दिया हैं। मेरा विचार है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु को ६२ वर्ष तक निश्चित करने में न कोई सिद्धांत ही निहित है और न ही कोई नीति है। चाहिये तो यह था कि पेंशन के संबंध में विधि आयोग की जो सिफारिश है उसे कार्यान्वित किया जाय, परन्तु हुआ यह कि सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाई जा रही है। सेवा निवृत्त होने के बाद निजी प्रक्टिस करने की मनाही तथा किसी अन्य सेवा नियुक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। प्रैक्टिस करने के अधिकार का घृणित रूप से विस्तार किया जा रहा है।

एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज सब कुछ कार्यपालिका के हाथ में है। कार्यपालिका के कहने पर न्यायाधीशों का तबादला होता है। मेरे विचार में यह कार्यपालिका की गरिमा के अनुकूल

---

†मूल अंग्रेजी मैं

नहीं है। इसका बहुत हानिकारक प्रभाव हो जायेंगे। न्यायाधीशों को राजनीतिक लोगों की कृपा योजना करने पर विवश होना होगा। जो ऐसा नहीं करेगा, उसे कार्यपालिका अपने अधिकारों का प्रयोग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबीदल कर देगी। न्यायाधीश को विवश होकर राजनीतिक प्रभाव के आगे आत्म समर्पण करना ही होगा।

जैसा कि कई वक्ताओं ने कहा भी है कि न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों अथवा भारत के मुख्य न्यायाधीश पर छोड़ देना चाहिये। विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव देने में तो मुझे कोई बुराई दिखाई नहीं देती, परन्तु मेरे समक्ष तो प्रश्न यह है कि क्या यह उचित भी है। इसी तरह का संशोधन अनुच्छेद ३११ में हो रहा है। इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असन्तोष पाया जाता है। उनको जो संरक्षण दिये गये है वे इससे कम हो जायेंगे। उनसे सुनवाई के दूसरे अवसर की सुविधा की छीनना बड़ा भारी अन्याय है। इसे छीनना नहीं चाहिये।

†**श्री च० का भट्टाचार्य** (रायगंज) : इस संशोधन को देख कर मुझे श्री गुरुदास वनर्जी की याद आती है जिन्हें अपने समय से पूर्व ही सेवा निवृत्त होना पड़ा। उन्होंने कहा था कि में अपने किसी युवक बन्धु का स्थान रोके रखना नहीं चाहता। सेवा निवृत्त होने के बाद वह २० वर्ष तक जीवित रहे और विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा करते रहे। कलकत्ता विशव विश्वविद्यालय के वह प्रथम उपकुलपति थे। संयुक्त समिति ने इस विधेयक पर विचार करते हुये विधि से संबंधित सभी पक्षों का मत लिया है। संयुक्त समिति के सदस्यों को पता है कि बहुत से प्रमुख व्यक्तियों की राय यह थी कि न्यायाधीशों की आयु के संबंध में फैसला अदालतों को करना चाहिये। परन्तु ऐसा गलता है पुराने सिद्धांतों की उपेक्षा करना आजकल न्यायपालिका में आम हो गया है।

इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि विधेयक के उपबन्धों के अध्ययन से पता चलता है कि विधि व्यवसाय द्वारा प्रवर समितियों के समक्ष जो भी बातें रखी गयी थीं, उसकी नितांत उपेक्षा कर दी गयी है। यह तो उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की आयु के निर्धारण के प्रश्न को न्यायालयों द्वारा हल किया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि उनका पदच्युत किया जाना प्रशासन की कार्यवाही के अन्तर्गत नहीं आना चाहिये। उनका यह भी मत है कि न्यायाधीशों को सेवा निवृत्त होने के बाद अपनी निजी प्रक्टिस करने की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिये। न ही उन्हें कोई नौकरी ही करनी चाहिये।

इसके साथ ही यह भी था कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की बहुत हद तक तबदीलियां भी नहीं होनी चाहिये। और भावात्मक दृष्टिकोण से एक तिहाई न्यायाधीशों को अन्य राज्यों से भर्ती किया जाय। इसी प्रकार की सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी की थी। यह भी सिफारिश की गयी थी कि न्यायाधीशों के स्थानान्तरण का मामला कार्यपालिका के हाथ में नहीं होना चाहिये। उसमें केवल इतना ही था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ा कर ६५ कर दी जाय। में इसके साथ सहमत हूं। क्योंकि कई मामलों में आयु मनुष्य का अलंकार हो जाती है। जैसा कि संसकृत में कहा है :

"अलंकरोति बार्द्धक्यम बुध वैध विचार वान।"

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये।)

इसके अतिरिक्त जो प्रशन बड़ा महत्वसूर्ण है वह है भाषा का। इस बात पर संयुक्त समिति के सदस्य तथा प्रस्तुत की जाने वाली साक्षियां सभी एक मत थे कि अदालतों की भाषा एक होनी

---

†मूल मैं

चाहिये। यदि ऐसा न हो तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले न्यायाधीश को काम करने में बहुत कठिनाई होगी। इस मामले का निर्णय तो गृह मंत्रालय करेगा। मेरा निवेदन यह है कि संयुक्त समिति द्वारा एक मत से की गयी महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों की सूचना के लिये मैं एक सरकारी संशोधन का उल्लेख करना चाहता हूं। यह माननीय सदस्यों को मिल जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं भी लगभग वही तर्क प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि पूर्व वक्ताओं ने सदन के समक्ष रखे हैं। केवल दो तीन बातें हैं मुझे कहना हैं। प्रथम बात यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवा निवृत होने की आयु सम्बंधी उपबंध को भूत लक्षी प्रभाव से न लागू किया जाय। इस का प्रभाव बहुत बुरा होगा और अन्य सरकारी कर्मचारी भी इसी प्रकार की माँग करने लगेंगे। इस समय सारे देश भर की सेवाओं में एक असंतोष पाया जाता है। इस बात से मैं सहमत हूं कि न्यायाधीशों की सेवा निवृति आयु बढ़ा कर ६५ वर्ष कर दी जाय। विधि आयोग की सिफारिश यही है। मेरे विचार में कई देशों में तो यह आयु ७५ वर्ष तक चलती है, परन्तु मेरा यह निवेदन जरूर है कि उच्च न्यायालय और उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीशों से भेद भाव का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि विधेयक खंड १० के संबंध में जो संविधान के अनुच्छेद ३११ को संशोधित करके व्यवस्था की गयी है, वह बहुत अच्छी बात है। उस का स्वागत किया जाना चाहिये। इससे केन्द्रीय सरकार के बहुत से कर्मचारियों को संतोष हो जायेगा। परन्तु इस का लाभ प्रतिरक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों को प्राप्त नहीं होगा। मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस बात की जाँच करे कि क्या प्रतिरक्षा कार्यालय में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों से दूसरे विभागों के असनिक कर्मचारी जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें भी अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाला लाभ प्राप्त होना चाहिए।

†**श्री कृष्ण मेनन** (बम्बई नगर उत्तर) : मैं इस संशोधन के दो तीन पहलुओं की चर्चा करना चाहूंगा। पहला न्यायाधीशों की पदावधि और सेवा निवृति की आयु के बारे में है। इस समय मैं समझता हूं कि ऐसी कोई सीमा नहीं होनी चाहिये, जिस पर कि किसी न्यायाधीश को सेवा निवृत हो जाना चाहिये। एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पर पद रहना चाहिये। यह उस की स्वतंत्रता की एक मात्र प्रतिभूति है। श्री त्यागी ने जो यह सुझाव दिया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि का कार्य गृह मंत्रालय से विधि मंत्रालय को दे देना चाहिये, अनुभव की दृष्टि से कोई उपचार नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सेवा निवृति की आयु की कोई सीमा नहीं होनी चाहिये। इस का एक निष्कर्ष यह भी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पुनः वकालत करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। इस के अतिरिक्त सेवा निवृति के बाद उन्हें और कोई लाभ पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। इसलिए मेरा निवेदन है कि सेवा निवृति की आयु को बढ़ाने का वर्तमान प्रस्ताव ठीक दिशा में एक कदम है।

संवैधानिक संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव देना बहुत अनुचित होगा, क्योंकि बहुत सी व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायेंगी। संविधान के अनुच्छेद ३११ के संशोधन के बारे में मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इस प्रकार का संशोधन ऐसी सरकार के द्वारा लाया जाये, जिस के नेता हमारे प्रधान मंत्री हैं। यह सरकारी कर्मचारियों से वह स्वतंत्रता भी छीन लेता है। जो कि उन्हें ब्रिटिश प्रशासन में प्राप्त थी। इस विषय में सरकार को ठीक सलाह नहीं दी गई। इस संशोधन का प्रभाव यह होगा कि

---

†मूल अंग्रेजी में

असैनिक कर्मचारियों को यह कहने का अधिकार नहीं होगा कि उन के दोष के लिए उन्हें दंड न दिया जाये । यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि असनिक कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों का अपेक्षा जो उद्योगों आदि में काम करते हैं, बहुत कम वेनन मिलता है और वह २४ घंटे सरकार की सेवा में रहता है । असैनिक कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान ही समझना चाहिये । उन्हें न्यायालयों में जाने के अधिकार अन्य कर्मचारियों के समान ही होने चाहियें । श्रम विवादों के मामले में, श्रमिक उच्चतम न्यायालय तक जा सकता है । सरकारी कर्मचारियों को यह अधिकार नहीं है । इसलिए इस समस्या का एक मात्र हल यह है कि उन के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किये जायें ।

विधि मंत्री ने जो संशोधन रखा है, उस में असनिक कर्मचारियों को ऐसी कोई चीज नहीं दी गई जो उसे अन्यत्र प्राप्त नहीं होगा । और इस संशोधन का प्रभाव यह होगा कि संवैधानिक सुरक्षण समाप्त हो जायेगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद): इस विधेयक में संविधान के १० से भी अधिक अनुच्छेदों को संशोधित करने का प्रयत्न किया गया है और चार या पाँच भिन्न मदें हैं, जैसा कि न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु, उन की आयु को निश्चित करना, उनकी छट्टियां सरकारी कर्मचारियों को दंड आदि देने का उपबंध । इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है । उच्च न्यायालयों के स्थानांतरण पर उनको अनुपूरक भत्ता देने की व्यवस्था बिल्कुल अनावश्यक है, क्योंकि कार्यपालिका में ऊंचे से ऊंचे पदाधिकारी को भी ऐसा कोई भत्ता नहीं दिया जाता । न्यायाधीशों का एक राज्य से दूसरे में स्थानांतरण करना ठीक नहीं है जैसा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी, एक राज्य के एक तिहाई न्यायाधीश राज्य से बाहर के होने चाहियें ।

उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध सर्वथा अनुचित है और इसका परिणाम शक्ति का दुरुपयोग में होगा ।

उच्चतम न्यायालय की सेवा निवृत्ति की आयु के बारे में, मैं इस प्रस्ताव के बहुत विरुद्ध हूं कि यह ६० से ६२ तक कर दी जाये । मैं चाहता हूं कि इसे ६० वर्ष ही रहने दिया जाये । पहली बात यह है कि वे सेवा निवृत्ति के बाद वकालत कर सकते हैं । इस के साथ हम यह भी देखते हैं कि सेवा निवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को आयोगों, न्यायाधिकरणों और अन्य विशेष कार्यों में लगा दिया जाता है, जिन का देना कार्यपालिका पर निर्भर है । मैं इस प्रथा के विरुद्ध हूं । सरकार को न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाये रखनी चाहिये । हाल के वर्षों में हमने देखा है कि न्यायाधीश ऐसी न्यायिक जाँच भी करते हैं, जिन में संघ के मंत्रियों के नाम भी होते हैं । इस तरह की एक जाँच और भी होने वाली है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ये विषय यहाँ संगत नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** अब मैं श्री त्यागी के संशोधन को जिस के द्वारा भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना है, लेता हूं । इस विषय पर संयुक्त समिति में जोरदार चर्चा हुई थी और वहाँ बहुत से इसे अस्वीकार कर दिया गया था । मेरे विचार में संविधान में ऐसा उपबंध करना अत्यधिक अनुचित होगा । यदि कोई व्यक्ति ५० वर्ष बाद इस अनुच्छेद को देखे, तो वह क्या समझेगा कि १ जनवरी, १९६३ का क्या विशेष महत्व था, उस दिन क्या हुआ था और सरकार के मन में किन न्यायाधीशों का ख्याल था । विधि मंत्री को बताना चाहिये कि पूरे तथ्य क्या हैं और इसे क्यों आवश्यक समझा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैंने संशोधन को स्वीकार करने के लिए नहीं कहा था, हमने कहा था कि हम इस पर गम्भारता से विचार करेंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : माननीय मंत्री के लिए पहले से ही कह देना कि एक संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा संसद् की उच्चतम परम्परा के अनुकूल नहीं है ।

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्यों दिया जा रहा है, जब कि अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है । मैं इस बात के भी विरुद्ध हूं कि उच्च न्यायालय की आयु निश्चित करने के मामले में राष्ट्रपति को लाया जाये, क्योंकि वे हमेशा अपने मंत्रि परिषद् की सलाह पर काम करते हैं और उन का अपना कोई राय नहीं होती । अनुच्छेद ३११ के बारे में जो संशोधन लाया जा रहा है, उस से मामले की आवश्यकता पूरी नहीं होती ।

†**श्री अ० कु० सेन** : सब से पहले मैं श्री एन्थनी और श्री कामत की इस आलोचना का उत्तर देना चाहता हूं कि इस विधेयक में विभिन्न संशोधनों को एक साथ जोड़ दिया गया है । मेरे विचार में ऐसा करने में कोई हानि नहीं है और चाहे संशोधन सरकारी कर्मचारियों के बारे में हो या न्यायाधीश के बारे में उन का बराबर महत्व है । सरकार इन सब बातों पर विचार करती रही है और प्रत्येक मामले पर एक पृथक विधेयक लाने की बजाये एक व्यापक संवैधानिक संशोधक विधेयक लाना अधिक उचित समझा गया है । श्री एन्थनी अलग अलग विधेयकों को अधिक पसन्द करते थे । हम ऐसा नहीं समझते, यद्यपि कई बार परिस्थितियों के कारण अलग अलग विधेयक लाना आवश्यक हो जाता है जैसा कि सोलहवाँ और सत्रहवाँ संशोधक विधेयक हाल में लाये जाने हैं । उन की आलोचना उचित नहीं है, क्यों कि वर्तमान विधेयक को लाने से पहले इस पर गम्भीरता से विचार किया गया है ।

श्री कामत और श्री एन्थनी दोनों ने कहा है कि न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु ६२ वर्ष पर स्वच्छन्दता से निश्चित की गई है । किन्तु यदि हम इसे ६५ पर ही निश्चित करते, तो वहां आलोचना की जाती और कहा जाता कि यह ६६, ६७ और ६८ पर क्य नहीं निश्चित की गई । मेरा निवेदन है कि विधि आयोग द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु निश्चित करने का एक कारण है । ६२ की आयु इसलिए रखी गई है कि राज्यों से सर्वोच्च न्यायालय में योग्य व्यक्ति आ सकें, यदि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निवृत्ति आयु एक ही अर्थात् ६५ हो, तो यह संभव नहीं होगा ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : किन्तु न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय से सेवा निवृत्ति की आयु पर पहुंचने से पहले उच्चतम न्यायालय में ले आना चाहिये ।

†**श्री अ० कु० सेन** : यह इस लिये है कि वे उच्च न्यायालयों को छोड़ कर उच्चतम न्यायालय में आ जाये, जैसा कि राज्यों के उच्च न्यायालयों के बहुत से मुख्य न्यायाधीशों ने किया है, यदि उनकी सेवा निवृत्ति की आयु अधिक न होती तो वे उसी वेतन पर वहां आना पसन्द न करते ।

†**श्री काशी राम गुप्त** : उन की सेवा निवृत्ति की आयु ७० वर्ष क्यों न कर दी जाये ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यह एक बिल्कुल भिन्न मामला है और विधि आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की थी ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु में अन्तर रखने के लिए ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु कम निश्चित की गई है । जब तक यह न सिद्ध किया जाये कि यह अन्तर तर्क संगत नहीं है, हम इसे बनाये रखना चाहेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेवा निवृत्ति की आयु को बढ़ाने के विरोध को मैं समझ नहीं सका। उन सदस्यों ने जिन्होंने ऐसा किया है, कोई कारण नहीं दिया। किन्तु हम कह सकते हैं कि बढ़ाने का एक बहुत अच्छा कारण यह है कि आजकल एक व्यक्ति ६० वर्ष की आयु पर अच्छी तरह काम करने के योग्य होता है। फिर हमारा अनुभव है कि यदि अच्छे न्यायाधीशों को ६० वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्त कर दिया जाये, तब उनके स्थान पर नये व्यक्ति ढूंढ़ना कई बार कठिन हो जाता है। यदि उन्हें दो साल और ऊपर रखा जाये, तो उच्च न्यायालयों और राज्यों को उनके अनुभव से अधिक लाभ पहुंचेगा।

न्यायाधीशों के स्थानांतरण के बारे में, विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कहा है कि यह उपबन्ध उन को डर की हालत में रखने के लिये किया गया है। स्वयं संविधान में उपबन्ध है कि स्थानांतरण बिना अनुपूरक भत्त के किया जाये। किन्तु यह याद रखना चाहिये कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कभी उनकी सहमति के बिना स्थानांतरित न किया जाये और अब भी अनुपूरक भत्ता देने का कोई दायित्व नहीं है। मैं ने संयुक्त समिति में यह बताया था कि अनुपूरक भत्ता देना क्यों जरूरी है। सभी न्यायाधीशों के स्थानांतरण न केवल उनकी सहमति से बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किये गये हैं, यद्यपि राष्ट्रपति को बिना किसी रोक टोक के एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का पूरा अधिकार है। इसलिए सरकार ने इन शक्तियों का बहुत संयम से प्रयोग किया है और यह आरोप सही नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने न्यायपालिका के साथ हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया है। वे लोग जो यह आरोप लगाते हैं, या तो तथ्य जानते नहीं या जानना नहीं चाहते।

यदि हम स्थानांतरण के सिद्धांत को अच्छा समझते हैं और इसे वांछनीय समझते हैं, तो विभिन्न राज्यों से न्यायाधीशों का लिया जाना राष्ट्रीय एकता के हित में होगा, हमारी न्यायपालिका का अखिल भारतीय रूप होगा और इसका दृष्टिकोण राष्ट्रीय होगा। हमने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय दृष्टिकोण यह अत्यावश्यक समझा है कि न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित किया जाये, ताकि राज्य के उच्चतम न्यायपालिका अधिकरण में ऐसे तत्व हों, जो स्थानीय प्रतिकूल प्रभावों से ऊपर हों, और बिना पक्ष पात के प्रशासनीय न्याय करने के काम की ओर अपना सारा ध्यान लगा सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री ५ मिनटों में अपना भाषण समाप्त कर लेंगे ? यदि नहीं, तो वे अपना भाषण कल जारी रखें ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं कल जारी रखूंगा।

---

*संविधान के अनुच्छेद ३१क का संशोधन

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़) : प्रश्न यह है कि क्या संविधान का संशोधन करना उचित है। जब राज्य और केन्द्रीय सरकारों द्वारा बनाए गए सामाजिक कानूनों के लिये ऐसा करने की आवश्यकता है, तो हमें संविधान का संशोधन करना चाहिए।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा।

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : संविधान के संशोधन के बारे में विधि मंत्री इस सत्र के आखिरी दिन विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

†**श्री अ० क० गोपालन** : पहली, दूसरी और तीसरी योजना में भूमि संबंधी विधानों को काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। भूमि सुधार विधान के तीन लक्ष्य थे, धारणा अधिकार की सुरक्षा, किराये की कमी और भाट की को स्वामित्व का अधिकार दिया जाना। इसी उद्देश्य से सरकार ने कहा था कि सभी राज्यों में १९६० तब भूमि सुधार विधान का कार्यन्वयन किया जाए।

बड़ी कठिनाइयों के बाद केरल भमि सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद राज्य सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता इस विधान का कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया। किराए को कम करने का प्रश्न था। न्यायाधिकरणों ने इस प्रश्न पर विचार किया। लगभग १ लाख याचकीएं भी प्रस्तुत की गईं। १७,००० मामलों में निर्णय दिये गए और लगभग ५,००० मामलों में न केवल किराया ही कम किया गया, परन्तु किराये के १२ गुने के बराबर राशि भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए भूमि संबंधी न्यायाधिकरणों के पास जमा कर दी गई।

कुछ व्यक्ति मामला उच्चतम न्याययालय में ले गये। चूंकि रायटवाड़ी भूमि संपदा की परिभाषा के अर्न्तगत भी आती है, अतः कासरगोड़ क्षेत्र में अधिनियम अमान्य हो गया।

ट्रावनकोर और मालाबार के बारे में भी उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को अमान्य करा दिया।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों के बाद राज्य सरकार ने कहा कि अधिनियम अमान्य था। अतः उन्होंने अधिनिष्ठकासन बन्द करने के लिये एक अध्यादेश जारी किया। बाद में अध्यादेश को अधिनियम में बदल दिया गया।

यदि सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को अमान्य बनाना था तो सरकार उच्चतम न्यायालय को बनी जाती और रोको आदेश ले लो। लोगों को धन खर्चना पड़ा और याचिकाएं दी गईं। सरकार को यह विधान पहले लाना चाहिये था। पता नहीं सरकार ने इतनी देर क्यों लगाई जब कि केरल सरकार शीघ्र ही यह संशोधन चाहती थी।

सरकार द्वारा संवैधानिक संशोधन पहले ही लागू किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियां मान्य रहें। यदि ऐसा संशोधन पारित किया जाये तो लाखों लोगों को जो कि भूमि संबंधी न्यायाधिकरण के पास जा चुके हैं और धन व्यय कर चुकें है, लाभ होगा। इस विधेयक को इसी सत्र में पारित करना चाहिए।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि जब वे किये गये कामों को मान्य बनाने के लिए संविधान या कानूनों का संशोधन करें तो वे उसे पहले लागू करेंगे ताकि उन लोगों को जिनको बीच में समय में हानि हुई हो और हानि न हो।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि जब वे इस मामले पर विचार करें और मालाबार अधिनियम को मान्य बनाने की कोशिश करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि तामिलनाद, आन्ध्र, मैसूर, गुजरात व पंजाब के कुछ भागों में जो रायटवाड़ी प्रणाली हैं, उस पर बुरा प्रभाव न पड़े क्योंकि रायटवाड़ी या पट्टे वाले अपने भूमि के पूरे स्वामी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** कोचूनिस के मामले पर निशीथ का जिक्र हुआ है स्थिति इस प्रकार थी। केवल कृषक संबंध अधिनियम की मान्यता के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में लेख याचनाएं प्रस्तुतु की गईं। अपने ५ दिसम्बर, १९६१ के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया कि कोचीन क्षेत्र धारणाधिकार के संबंध में अधिनियम मान्य था क्योंकि कोचीन क्षेत्र में धारणाधिकार संपदा माने जाते थे। मद्रास से केरल में मिलाए गये क्षेत्रों के संबंध में अधिनियम अमान्य करार दिया गया, क्योंकि ये भूमियां संपदा नहीं थीं। अपने १३ नवम्बर, १९६२ के निर्णयन में, उच्च न्यायालय ने मालाबार और ट्रावनकोर क्षेत्रों के संबंध में भी अधिनियम को अमान्य करा दिया।

अनुच्छेद ३१क की व्यवस्थाएं उन संपदाओं पर लागू होती थी जो कि संविधान के लागू होने पर संपदाएं घोषित की गई थीं।

विधेयक इस समय विधि मंत्रालय के पास है और यदि पहले न लाया जा सका तो अन्तिम दिन लाया जायेगा। अन्य विधानों के कारण इस को देरी की जा रही है। यह संपदा की परिभाषा को व्यापक बनाएगा। कुछ अधिनियमों को शामिल करने के लिये हमें ९वीं अनुसूचि में परिवर्तन करना है।

†**श्री अ० क० गोपालन :** पंडारवका भूमियों को भी शामिल करना चाहिए।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** हम ऐसा ही सोच रहे हैं।

†**श्री रंगा :** क्या यह सारे भारत पर लागू होगा ?

†**श्री अ० क० गोपालन :** पंडारवका केवल उसी क्षेत्र में है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** उस क्षेत्र से संबंध रखने वाले सभी अधिनियम ९ वीं अनुसूची में लिए जाएंगे। विधेयक में इस से अधिक चीजें होगीं। ९ वीं अनुसूची में २० अधिनियमों का जिक्र है। अब मेरे अनुमान के अनुसार लगभग १०० या १२० अधिनियमों का उल्लेख इसमें होगा।

दूसरे अनुच्छेद ३१ ख के अर्न्तगत संरक्षण के संबंध में ९ वीं अनुसूची में अधिनियमों को शामिल करने की व्यवस्था की गई है। कौन से अधिनियम शामिल करना है उनकी सूची बनाने के लिए हमें कई राज्य सरकारों से पूछना पड़ा। इसी लिए देरी हुई। अब सब उत्तर आ गए हैं।

सभा के सामने एक व्यापक विधेयक होगा और यह सब को संतुष्ठ करेगा।

†**श्री दाजी :** क्या इसको पहले से लागू किया जाएगा।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** मेरे विचार में यह पहले से ही लागू किया जाएगा।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार १ मई, १९६३/वैशाख ११, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, ३० अप्रैल, १९६३

१० वैशाख १८८५, (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		५५२५—४३
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१०८७	कोयले के परिवहन के लिये विदेशी जहाज . . .	५५२५—२७
१०८८	सामुदायिक विकास	५५२७—२९
१०८९	दिल्ली में नया असैनिक हवाई अड्डा . . .	५५३०—३१
१०९०	एयर इंडिया द्वारा क्रय	५५३१—३४
१०९२	सहकार के लिये वित्तीय व्यवस्था . . .	५५३४—३६
१०९३	खेती के औजार	५५३६—३८
१०९४	मिज़ो पहाड़ियों का विकास	५५३९—४०
१०९५	मरमागाओ बन्दरगाह	५५४०—४२
१०९७	वाणिज्यिक विमान चालक संस्था . . .	५५४२—४३
१०९८	नई टेलीफोन प्रणाली . . .	५५४३—४४
१०९९	रेलवे कर्मचारियों के लिये मनोवैज्ञानिक परीक्षा .	५५४५—४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		५५४७—५०
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
११०१	एयर इंडिया	५५४७—४८
११००	सीधे टेलीफोन करने की सुविधा . .	५५४८
११०१	रेल मार्ग विद्युतीकरण का व्यय . .	५५४८
११०२	दक्षिण-भारत के लिये विशेष रेलगाड़ी . .	५५४८—४९
११०३	दिल्ली से चीनी का बाहर ले जाया जाना .	५५४९
११०४	चितरंजन लोकोमोटिव फैक्टरी . . .	५५४९
११०५	चीनी का कारखाना मूल्य . . .	५५४९—५०

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

११०६	भारत के पूर्वी भागों में भूकम्प . . .	५५५०
११०७	इंटीग्रल कोच फैक्टरी	५५५०
११०८	जापानी युवा कृषकों के दल की भारत यात्रा . .	५५५१

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२४८१	महाराष्ट्र में कृषि का विकास . .	५५५१
२४८२	सिंचाई प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र को सहायता . .	५५५१–५२
२४८३	महाराष्ट्र में नलकूप	५५५२
२४८४	महाराष्ट्र में कृषि विश्वविद्यालय . . .	५५५२
२४८५	हावड़ा–मद्रास एक्सप्रैस	५५५२–५३
२४८६	रेलवे छात्रावास कटक	५५५३
२४८७	कटक में छात्रावास	५५५३–५४
२४८८	रामगडा जेपुर (उड़ीसा) टेलीफोन सम्पर्क . .	५५५४
२४८९	उड़ीसा के डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर .	५५५४–५५
२४९०	उड़ीसा में केतकी के बागान का विकास . .	५५५५
२४९१	गुणपुर–नौपदा लाइट रेलवे	५५५५–५६
२४९२	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक . .	५५५६
२४९३	डाक तार कार्यालय	५५५६
२४९४	रेलगाड़ी की छत पर यात्रा करने वाले यात्री .	५५५७
२४९५	कृषि विद्यालय . . .	५५५७
२४९६	गण्डक नदी पर सड़क का पुल . .	५५५८
२४९७	खेती के औजारों के लिये लोहे का आवंटन . .	५५५८
२४९८	खाद्यान्न का आयात . . .	५५५९
२४९९	काजू बागान	५५५९–६०
२५००	पटना के लिये फोकर फ्रैंडशिप सेवा . . .	५५६०
२५०१	राजस्थान में टेलीफोन . . .	५५६०
२५०२	अमरीकी मित्र सेवा समिति . .	५५६०–६१
२५०३	अंगूर उत्पादकों के लिये पुरस्कार . .	५५६१
२५०४	नारियल की जटा की वस्तुओं पर भाड़े की दरें . .	५५६१–६२

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२५०५	अनुसन्धान कार्य के लिये छात्रवृत्तियां .	५५६२
२५०६	दक्षिण रेलवे पर स्टेशनों का विद्युतीकरण	५५६२
२५०७	रेलवे सुरक्षा बल	५५६२–६३
२५०८	टी० टी० ई० . . .	५५६३
२५०९	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में डाक तथा तार सुविधायें .	५५६३
२५१०	कृषि का सुधारा गया ढंग . .	५५६३
२५११	भीमवरम–गुडिवाडा लाइन पर रेल दुर्घटना .	५५६४
२५१२	कृषि यंत्र मरम्मत केन्द्र .	५५६४
२५१३	आन्ध्र प्रदेश में चल रही अनुसन्धान योजनायें .	५५६४
२५१४	पालम हवाई अड्डे पर टर्मिनस .	५५६५
२५१५	गिर शेरों को विष देना . . .	५५६५
२५१६	मछली पकड़ने के संशलिस्ट जाल बनाने का कारखाना	५५६५
२५१७	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	५५६६
२५१८	जलागम क्षेत्र में भूमि संरक्षण	५५६६
२५१९	सोमालिया से भेड़ों की खरीद	५५६७
२५२०	विपणन समितियां	५५६७
२५२१	हतगमहरिया और रायरंगपुर के बीच बड़ी लाइन . .	५५६७–६८
२५२२	रेलवे इंजन .	५५६८
२५२३	रेलवे स्टेशनों पर वाटर कूलर	५५६८
२५२४	सिंचाई के छोटे कार्य . .	५५६८–९९
२५२५	उदयपुर–हिम्मतनगर रेलवे लाइन	५५६९
२५२६	दिल्ली राज्य-क्षेत्र में मोटर कर	५५६९–७०
२५२७	मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना .	५५७०
२५२८	उड़ीसा में संयुक्त खेती की अग्रिम योजनायें .	५५७०
२५२९	कटिहार–खजूरियाघाट सेक्शन के स्टेशनों पर सिगनल	५५७१
२५३०	"इंटरलाकिंग"	५५७१
२५३१	रेलपथ निरीक्षक . . .	५५७१–७२
२५३२	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये एवरो–७४८ विमान .	५५७२
२५३३	बचत बैंक की जमा का गबन	५५७२–७३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५३४	मालगाड़ी का पटरी से उतरना . .	५५७३
२५३५	धान की पैदावार . . .	५५७३
२५३६	मिरज–पूना सैक्शन . .	५५७३–७४
२५३७	पंचायती राज संस्थायें	५५७४
२५३८	भूमि अधिग्रहण . . .	५५७४
२५३९	मालगाड़ी का पटरी से उतरना .	५५७४–७५
२५४०	अखिल भारत कृषि सेवा . .	५५७५
२५४१	बीकानेर–दिल्ली राजपथ पर दुर्घटना	५५७५
२५४२	कार की एक्सप्रैस रेलगाड़ी से टक्कर . .	५५७६
२५४३	रेलवे कर्मचारियों को पुरस्कार . .	५५७६
२५४४	रेल कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तथा किराया वसूली	५५७७
२५४५	वाणिज्यिक संस्थाओं में सेवा निवृत्त रेल पदाधिकारी	५५७७
२५४६	रेलवे सेवा आयोग . .	५५७७–७८
२५४७	उपभोक्ता सहकारी भंडार	५५७८
२५४८	सैलम जिले में राष्ट्रीय राजपथ	५५७८–७९
२५४९	पास और पी० टी० ओ० . .	५५७९
२५५०	रेलवे में ठगी करने वाले	५५७९
२५५१	जबलपुर–इटारसी मार्ग .	५५७९–८०
२५५१-क	पर्वतीय क्षेत्रों का विकास	५५८०
२५५१-ख	मैसूर में लघु सिंचाई कार्य	५५८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		५५८०—८३

(१) **श्री हेम बरुआ** ने भारत में निरुद्ध चीनियों के उत्पीड़न तथा उनके साथ दुर्व्यवहार के बारे में न्यू चाइना न्यूज़ एजेन्सी के प्रतिवेदन की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री सुबोध हंसदा ने तृतीय योजनाकाल में खाद्य उत्पादन के लक्ष्यों में कथित कमी रह जाने की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाया ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राम सुभग सिंह) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५५८४–८५

(१) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८-क की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २५ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस०ओ० १२१६ की एक प्रति ।

(२) वर्ष १९६२ के लिये गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के प्रतिवेदन के हिन्दी संस्करण की एक प्रति ।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ३० मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ९४४ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६३ ।

(दो) दिनांक १३ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३६ में प्रकाशित उर्वरक (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६३ ।

(४) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १८ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८० की एक प्रति ।

(५) एयर कारपोरेशन अधिनियम, १९५३ की धारा १५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ के लिए इण्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के वार्षिक लेखे की एक प्रति और उसका लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(६) एयर कारपोरेशन नियम, १९५४ के नियम ३ के उप-नियम (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) वर्ष १९६३–६४ के लिए इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के राजस्व तथा व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश ।

(दो) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्ष १९६१–६२ के लिए वास्तविक आंकड़ों का सारांश, वर्ष १९६२–६३ के लिए बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष १९६३–६४ के लिए पूंजी के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन ।

(तीन) वर्ष १९६३–६४ के लिए एयर-इण्डिया कारपोरेशन के राजस्व तथा व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश ।

(चार) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के वर्ष १९६१–६२ के लिए वास्तविक आंकड़ों का सारांश, वर्ष १९६२–६३ के लिए बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष १९६३–६४ के लिए पूंजी के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन ।

(७) वर्तमान अधिवेशन में हुई सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की तीसरी बैठक के कार्यवाही-सारांश ।

विषय पृष्ठ

(८) निम्नलिखित के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश :--

(एक) वित्त मंत्रालय (आर्थिक-कार्य विभाग)--अनुदानों की मांगों के प्रपत्र और विषयवस्तु के पुनरीक्षण के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन;

(दो) खान और ईंधन मंत्रालय--कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयले की ढुलाई, कोयला बोर्ड, कोयला धोने के कारखाने, भारत की कोयला परिषद् आदि के बारे में तेंतीसवां प्रतिवेदन;

(तीन) प्रक्रिया सम्बन्धी तथा विविध विषय ।

(९) प्राक्कलन समिति की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी उप-समिति के सामने दिये गये साक्ष्यों के कार्यवाही-सारांश और निम्नलिखित प्रतिवेदनों से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश की एक-एक प्रति :--

(एक) खान और ईंधन मंत्रालय--इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड के बारे में अट्ठाईसवां प्रतिवेदन;

(दो) खान और ईंधन मंत्रालय--राष्ट्रीय, कोयला विकास निगम लिमिटेड के बारे में बत्तीसवां प्रतिवेदन;

(तीन) खान और ईंधन मंत्रालय--इण्डियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड, के बारे में चौंतीसवां प्रतिवेदन; और

(चार) वित्त मंत्रालय--भारत के औद्योगिक वित्त निगम के बारे में छत्तीसवां प्रतिवेदन ।

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, ३० अप्रैल, १९६३

लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ५५८९

पहला प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मन्त्री द्वारा वक्तव्य ५५८९–८७

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) ने पश्चिम बंगाल में सीमेंट के कारखाने के बारे में १९ अप्रैल, १९६३ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ९५० के उत्तरों के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन–उपस्थापित ५५८७

सैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

समिति के लिये निर्वाचन ५५८७

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुने । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विषय पृष्ठ

विधेयक पुरस्थापित

विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६३। ५५८८–९०

विधेयक पारित ५५९०–५६०३

(१) वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।

(२) अनिवार्य जमा योजना विधेयक, १९६३ पर अग्रेतर खंडवार चर्चा समाप्त हुई। विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया गया।

विधेयक विचाराधीन ५६०३–१६

संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा ५६१६–१८

श्री अ० क० गोपालन न संविधान के अनुच्छेद ३१-क के संशोधन के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या १८६ के २५ फरवरी, १९६३ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) ने चर्चा का उत्तर दिया।

बुधवार, १ मई, १९६३/११ वैशाख, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ पर चर्चा तथा उसका पारित किया जाना।

GIPND—LS III—589 (Ai) LS—17-6-63—160.

श्री रंगा ५५९९–५६००
श्री प्रभात कार ५६००
श्री स० मो० बनर्जी ५६००
श्री काशी राम गुप्त ५६००
श्री दे० शि० पाटिल ५६००–०१
श्री पु० र० पटेल ५६०१
श्री द्वा० ना० तिवारी ५६०१
श्री त्यागी . . ५६०१–०२
श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा ५६०२
श्री बड़े ५६०२–०३

संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ ५६०३–१६

विचार करने का प्रस्ताव . . ५६०३
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी . ५६०३–०४
श्री शं० शा० मोरे . ५६०४–०५
श्री हिम्मतसिंहका ५६०५–०६
श्री दाजी . . ५६०६—०८
श्री अ० ना० विद्यालंकार ५६०८
श्री उ० मू० त्रिवेदी ५६०८–०९
श्री त्यागी . . ५६०९
श्री मु० बि० भार्गव . . ५६०९–१०
श्री नरसिम्हा रेड्डी . ५६१०–११
श्री फ्रैंक एन्थनी . ५६११–१२
श्री च० का० भट्टाचार्य ५६१२–१३
श्री स० मो० बनर्जी ५६१३
श्री कृष्ण मेनन . ५६१३—१५
श्री अ० कु० सेन ५६१५–१६

संविधान के अनुच्छेद ३१क के संशोधन के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५६१६—१८

श्री अ० क० गोपालन . ५५१६
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् . . ५६१७–१८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५६१९—२५

PLS. 41. XVIII 55. 63
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।